



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265587
CG-DL-E-21082025-265587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947

No. 219]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

अंतिम जाँच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई) - 14/2024

विषय : चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/16/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित

वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड और वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया था।
2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/16/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 जून, 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाता है, तो आवेदकों को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की।

ख. प्रक्रिया

3. जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने जाँच आरंभ करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
 - ii. नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 29 जून, 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसके तहत संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
 - iii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 महीने) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।
 - iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत जानकारी प्रदान करें और जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अनुरोध प्रस्तुत करें।
 - v. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(3) के अनुसार प्रदान की। भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें।

- vi. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली को संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजा था।

क्र.सं.	संबद्ध देश	संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	चीन जन. गण.	जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप आई/ई कंपनी लिमिटेड
2		जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
3		शांदोंग किलु पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
4		सिनोपेक शंघाई पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
5		यानचेंग लैबोन टेक्निकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
6	पेरू	सुदामेरिकाना डी फाइबर्स एस.ए.
7	थाईलैंड	थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड

- vii. उपर्युक्त के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है:

क्र.सं.	संबद्ध देश	संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	चीन जन. गण.	जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप आई/ई कंपनी लिमिटेड
2		जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड
3		जिलिन क्यूफेंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
4	पेरू	सुदामेरिकाना डी फाइबर्स एस.ए.
5	थाईलैंड	थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड

- viii. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावली भेजकर आवश्यक जानकारी मांगी थी:

क्र.सं.	प्रयोक्ता /आयातक
1	अरविंद ओजी नॉन-वोवन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	आशुतोष फाइबर प्राइवेट लिमिटेड
3	एशियन पेंट्स लिमिटेड
4	ऑटोटेक नॉन-वोवन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	भगवती कॉटन एंड स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

7	गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड
8	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9	हर्ष इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन
10	इंडस्ट्रियल फिल्टर्स एंड फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
11	लक्ष्मी वूलन मिल्स
12	महा लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स
13	ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड
14	पेरिनियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	रामजी एक्रो लिमिटेड
16	शिवा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	शिवाल्या स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	श्री गणेश इंडस्ट्रीज
19	श्री अन्नपूर्णा कॉटन मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
20	सुप्रीम नॉन-वोवन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
21	द इंडिया जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- ix. उपरोक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में पंजीकरण कराया है और अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	प्रयोक्ता /आयातक
1	गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड
2	महा लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स
3	ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड
4	शिव वूलन मिल्स
5	श्री गणेश स्पिनर्स
6	स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड

- x. उदय उद्योग, पंजाब स्पिनर्स एसोसिएशन, ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, शरमन वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और निटवियर एवं टेक्सटाइल क्लब ने उपाय न लागू करने का अनुरोध करते हुए पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन पक्षकारों ने अपने अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किए हैं।
- xi. ऐसे निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने इस जाँच का उत्तर नहीं दिया है या संगत जानकारी प्रदान नहीं की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

- xii. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदकों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आवेदकों और पेरू और थाईलैंड के भागीदार निर्यातकों और आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा एक आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की गई थी।
- xiii. क्षति जाँच अवधि और जाँच अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयात का डीजी सिस्टम के आंकड़े प्रदान करने के लिए सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। यह प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम में इस पर विचार किया गया है।
- xiv. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो, तो जांच शुरूआत अधिसूचना के प्रचालन के 15 दिनों के भीतर पीसीएन प्रस्तावित करने का अवसर दिया गया। अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने 26 सितंबर, 2024 को पीसीएन को स्पष्ट और अधिसूचित किया था।
- xv. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें।
- xvi. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 21 जनवरी, 2025 को हाइब्रिड मोड में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद यदि कोई हो तो खंडन अनुरोध करें।
- xvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण, 23 मई, 2025 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, जिसके बाद यदि कोई हो तो खंडन अनुरोध प्रस्तुत करें।
- xviii. नियमावली के नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया था।
- xix. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा गया है) का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर किया गया है, जो आवेदक द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के

आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क आवेदकों को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- xx. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर सभी सूचनाओं पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने की सीमा तक विचार किया है।
- xxi. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटन विवरण 17 जुलाई, 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की, संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध, जो केवल पिछले अनुरोध की पुनः प्रस्तुतीकरण मात्र था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- xxii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.69 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरूआत के समय, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के एक्रिलिक फाइबर हैं। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पॉलिमर की एक लंबी शृंखला (चेन) है, जो कम से कम 90 प्रतिशत वजन के हिसाब से एक्रिलोनिट्राइल से बनी होती है, जो एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल, एक्रिलिक टौ और एक्रिलिक टॉप शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, एक्रिलिक स्टेपल, फाइबर, एक्रिलिक टौ और एक्रिलिक टॉप को वाणिज्यिक शब्दावली में एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच के माप की इकाई मीट्रिक टन (एम.टी.) है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत उप शीर्षों 55013000, 55033000 और 55063000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद का आयात भी 55033010 और 55033090 के अंतर्गत किया जा रहा है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- i. आवेदक एंटी-पिलिंग एक्रिलिक, ब्लूसाइन अनुमोदित जेल-डाईड एक्रिलिक, पिगमेंट (या घोल) डाईड एक्रिलिक, पुनर्चक्रित जीआरएस प्रमाणित एक्रिलिक, होमोपॉलीमर एक्रिलिक, एसिड डाईएबल एक्रिलिक, एंटी-बैक्टीरियल एक्रिलिक, थर्मोरिगुलेटरी एक्रिलिक, लो एब्रेजन एक्रिलिक और उच्च सिंक्रेज एक्रिलिक का निर्माण नहीं करते हैं।
- ii. एक्रिलिक फाइबर के विशेष ग्रेड की कीमत 2100 से 5000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है, जो नियमित ग्रेड की तुलना में काफी अधिक है, जिनकी कीमत 1600 से 1800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के बीच है। कीमत अंतर दर्शाता है कि ये विशेष ग्रेड हैं और उन्हें बाहर रखना उचित है।
- iii. एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि आवेदकों के पास घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है। यह आवेदक की वेबसाइट से स्पष्ट है, जिसमें एंटी-पिलिंग की कोई सूची नहीं है। इसके अलावा, आवेदकों द्वारा एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर के किसी भी उत्पाद का संवर्धन नहीं किया गया है।
- iv. यद्यपि मानक एक्रिलिक फाइबर में 90% एक्रिलोनाइट्राइल और लीनियर पॉलीमर श्रृंखलाएँ होती हैं, एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर में 5-10% कॉमोनोमर्स, क्रॉस-लिंकड बहुलक श्रृंखलाएँ होती हैं और इसके लिए विशिष्ट उत्पादन तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- v. मानक फाइबर का स्थायित्व 2-3.5 ग्राम/डेनियर होता है, जबकि एंटी-पिलिंग फाइबर का स्थायित्व 3.5 ग्राम/डेनियर से अधिक होता है। मार्टिंडेल पिलिंग परीक्षणों में, मानक फाइबर की दर 1-2 और एंटी-पिलिंग की दर 4-5 होती है। इस प्रकार, मानक एक्रिलिक फाइबर एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर का विकल्प नहीं हो सकता है।
- vi. मानक एक्रिलिक फाइबर का उपयोग निम्न से मध्यम श्रेणी के निटवियर, कैजुअल वियर, बुनियादी घरेलू वस्त्रों और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जबकि एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर का उपयोग प्रीमियम निटवियर, लक्ज़री आउटरवियर, उच्च-स्तरीय कंबल, उच्च-यातायात समान, सैन्य और सुरक्षात्मक कपड़ों और विशिष्ट अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- vii. एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण प्रीमियम मूल्य पर बिकता है, जबकि मानक एक्रिलिक फाइबर को एक किफायती विकल्प माना जाता है। उपभोक्ता धारणाएँ और कीमत अंतर इस फाइबर के लिए अलग-अलग बाज़ार खंडों का संकेत देते हैं।
- viii. एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर, जेल-डाईड फाइबर और उच्च सिंक्रेज फाइबर तकनीकी और व्यावसायिक रूप से आवेदकों द्वारा उत्पादित मानक ग्रेड से अलग हैं।
- ix. पेरू से आयात घटिया उत्पादों तक सीमित है, जो अन्य संबद्ध देशों से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के समान बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। कम आयात मूल्य एक अलग बाज़ार खंड को इंगित करता है और व्यावसायिक या तकनीकी रूप से प्रतिस्थापन योग्य नहीं है।
- x. घटिया उत्पाद समान उत्पादन लाइनों पर बनाए जाते हैं, लेकिन परिभाषित गुणवत्ता विनिर्देशनों के बिना। इसके परिणामस्वरूप कम प्रसंस्कृत रेशे, अधिक अपशिष्ट और बार-बार धागे के टूटने और लपेटे जाने के कारण कटाई मशीन की उत्पादकता कम हो जाती है।

- xi. पेरू से निर्यात किए गए उत्पाद घटिया हैं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अप्रतिस्थापनीय हैं। कीमत अंतर और अंतिम उपयोग अनुप्रयोग उत्पाद को भिन्न बनाते हैं।
- xii. पेरू से कम आयात मूल्य एक अलग बाजार खंड को इंगित करता है और आवेदकों के उत्पादों के साथ व्यावसायिक या तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है।
- xiii. पेरू से आयात और अन्य संबद्ध देशों से आयात के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। इसलिए आयातों को संचित नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

6. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार और किस्मों का एक्रिलिक फाइबर है। यह उत्पाद सिंथेटिक पॉलिमर की एक लंबी श्रृंखला है जो भार के हिसाब से कम से कम 90% एक्रिलोनाइट्राइल से बनी है, जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री है।
- ii. एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टौ फाइबर और एक्रिलिक टॉप फाइबर शामिल हैं।
- iii. एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर और मानक एक्रिलिक फाइबर में समान कच्ची सामग्री, रासायनिक संरचना और आणविक संरचना होती है। अंतर केवल एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर में अतिरिक्त प्रसंस्करण का है, जो इसकी आवश्यक विशेषताओं को बदले बिना पिलिंग के प्रतिरोध को बढ़ाता है।
- iv. एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर और मानक एक्रिलिक फाइबर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आवेदक ने उत्पाद का निर्यात किया है। जाँच अवधि के दौरान, एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर का आयात मुश्किल से 100-120 मीट्रिक टन है, जो भारतीय माँग का (***) प्रतिशत हिस्सा बनता है।
- v. जेल डाईड एक्रिलिक, रंगे हुए एक्रिलिक फाइबर जैसा ही होता है, जिसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रंगाई की विधि चाहे जो भी हो, अंतिम उत्पाद हमेशा रंगे हुए एक्रिलिक फाइबर ही होते हैं, जिनका उपयोग एक ही तरीके से किया जाता है। ये उत्पाद एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। आवेदकों ने पहले भी जेल-डाईड एक्रिलिक की आपूर्ति की है, लेकिन कम माँग के कारण, वे वर्तमान में इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं और आयात भी न्यूनतम है।
- vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर उच्च सिंक्रेज वाले फाइबर को बाहर करने का अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। तथापि, आवेदकों ने घरेलू बाजार में उच्च सिंक्रेज वाले एक्रिलिक की आपूर्ति की है। उत्पाद की माँग बहुत कम है। सिंक्रेज का स्तर एक सापेक्ष शब्द है और यह उत्पाद या उसके उपयोग के तरीके या अंतिम उपयोग को प्रभावित नहीं करता है।

- vii. विशेष ग्रेडों को जाँच से बाहर रखने का अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, इन उत्पादों का कुल आयात 160 मीट्रिक टन से कम है, जो भारत की कुल माँग का 1 प्रतिशत भी नहीं है।
- viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि विशेष उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर है, इन विशेष ग्रेडों के उत्पादों का आयात जाँच अवधि के दौरान नियमित एक्रिलिक फाइबर के समान कीमत पर किया गया है। भले ही अतीत में विशेष ग्रेडों का निर्यात अधिक कीमतों पर किया गया हो, इन्हें भविष्य में तुलनीय कीमतों पर निर्यात किया जा सकता है और ये आवेदकों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद का स्थान ले सकते हैं, जिससे वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के उद्देश्य का महत्व कम हो जाता है।
- ix. आवेदक विशेष ग्रेडों का उत्पादन करते हैं, तथापि उत्पादन कम मात्रा में होता है।
- x. यदि किसी ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाता है, तो उस ग्रेड के आयातों का पाटन जारी रहेगा। तथाकथित विशेष ग्रेडों को बाहर रखने से आवेदकों को निरंतर क्षति होती रहेगी।
- xi. पेरू के उत्पादक ने दावा किया कि वह भारत को "घटिया उत्पाद" निर्यात कर रहा है, जो प्रथम गुणवत्ता वाले एक्रिलिक फाइबर की तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा नहीं करते हैं। 2018 में पाटनरोधी जाँच में, निर्यातक ने इसी आधार पर निम्न श्रेणी के उत्पादों को बाहर करने का अनुरोध किया था, किंतु उत्पाद को बाहर नहीं किया गया।
- xii. पेरू से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद समान है। कोई भी प्रौद्योगिकी कच्ची सामग्री की लागत से कम कीमत पर इतनी बड़ी मात्रा में घटिया एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। भारत में न्यूनतम निम्न गुणवत्ता वाला एक्रिलिक फाइबर उत्पादित होता है और थोड़ी छूट पर बेचा जाता है।
- xiii. एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के आयात को सीमा शुल्क शीर्ष 5504 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है जो जाँच के दायरे से बाहर है।
- xiv. गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और उसने वर्तमान जाँच में भाग लिया है। उपभोक्ता ने घरेलू उद्योग, चीन, थाईलैंड और पेरू से खरीदारी की है, लेकिन पेरू से निम्न गुणवत्ता वाले एक्रिलिक फाइबर को बाहर करने के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।
- xv. पेरू के आयात कीमत अन्य संबद्ध देशों के मूल्यों के अनुरूप रही है। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने उपभोक्ताओं के उसी समूह को उत्पाद बेचा है।
- xvi. इस उत्पाद की पूर्व में जाँच की गई है और यह लगातार पाया गया है कि पेरू से आयातित उत्पाद अन्य देशों के समान ही है और भारत में उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किया जाता है।
- xvii. भारत में ऐसे लगभग 15-20 उत्पादक हैं जो पेरू और अन्य संबद्ध देशों से आयात करते हैं। इसलिए, यह तर्क कि पेरू का आयात केवल घटिया उत्पादों तक सीमित है जो अन्य संबद्ध देशों से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के समान बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते, गलत है।

xviii. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विशेष ग्रेड नियमित एक्रिलिक फाइबर से भिन्न है। आवेदकों ने पहले ही यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं कि जांच से बाहर रखने हेतु अनुरोध किए उत्पाद विशेष ग्रेड के नहीं हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की जाँच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार है।
8. विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के एक्रिलिक फाइबर हैं। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पॉलिमर की एक लंबी श्रृंखला है जो भार के हिसाब से कम से कम 90 प्रतिशत एक्रिलोनाइट्राइल से बनी होती है, जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल, एक्रिलिक टौ और एक्रिलिक टॉप शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टौ और एक्रिलिक टॉप को वाणिज्यिक शब्दावली में एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। इस उत्पाद का उपयोग यार्न बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग परिधान, घरेलू सामान और औद्योगिक उपयोग आदि में किया जाता है।
9. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को जाँच शुरूआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और पीसीएन के दायरे पर अपने अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया था।
10. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति पर विचार किया, जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 26 सितंबर, 2024 की सूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

क्र.सं.	उत्पाद प्रकार	रंग	पीसीएन कोड
1	स्टेपल फाइबर या टौ	डाइड	पी11
		अनडाइड	पी12
2	टॉ	डाइड	पी21
		अनडाइड	पी22

11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत उप-शीर्षों 55013000, 55033000 और 55063000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सौदावार आयात आँकड़े प्राप्त किए गए हैं और यह देखा गया कि 55013000, 55033000 और 55063000 के अतिरिक्त, उत्पाद

को 55033090 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संबद्ध जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से एक्रिलिक फाइबर के ऐसे कतिपय विशेष ग्रेड को बाहर रखा जाना चाहिए, जिनमें विशिष्ट तकनीकी या वाणिज्यिक विशेषताएँ होती हैं और कथित तौर पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं। मांगे गए अपवर्जन में शामिल हैं:

- i. एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर,
- ii. ब्लूसाइन स्वीकृत जेल-डाइड एक्रिलिक फाइबर,
- iii. उच्च सिक्रेज एक्रिलिक फाइबर,
- iv. होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर,
- v. पिगमेंट-डाइड या विलयन-डाइड एक्रिलिक फाइबर,
- vi. पुनर्चक्रित जीआरएस प्रमाणित एक्रिलिक फाइबर,
- vii. एसिड डाईएबल एक्रिलिक फाइबर,
- viii. एंटीबैक्टीरियल एक्रिलिक फाइबर,
- ix. थर्मोरेगुलेटरी एक्रिलिक फाइबर, और
- x. लो अब्रेजन एक्रिलिक फाइबर

13. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि ये तकनीकी रूप से उन्नत या पर्यावरणीय रूप से प्रमाणित प्रकार हैं जो विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं और इनकी कीमत मानक ग्रेड की तुलना में काफी अधिक है। यह भी अनुरोध किया गया है कि आवेदक इनमें से अधिकांश ग्रेड का उत्पादन नहीं करते हैं और जहाँ भी दावा किया गया है, नियमित घरेलू बिक्री का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनमें से अनेक विशेष ग्रेड अलग-अलग ब्रांड नामों के तहत आयात किए गए हैं, जैसे:

- पिलिंग-रोधी एक्रिलिक फाइबर के लिए पिलब्लॉक, और
- पिगमेंट डाइड (सॉल्यूशन डाइड) एक्रिलिक फाइबर के लिए ड्यूराशाइन
- एंटीबैक्टीरियल एक्रिलिक फाइबर के लिए एएमआईसीओआर

15. ये आयात पहचान योग्य व्यावसायिक नामों के अंतर्गत किए गए हैं, जो दर्शाता है कि इन वस्तुओं का ऑर्डर उनकी विशिष्ट निष्पादन विशेषताओं के लिए दिया गया था। संबंधित निर्यातकों ने अपने उत्तरों में इन ग्रेडों की तकनीकी विशिष्टताओं और स्वामित्व संबंधी फॉर्मूलेशन के बारे में भी स्पष्ट किया है।

16. यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों ने एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन का दावा किया है, किंतु जाँच अवधि के दौरान इसे घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है। निर्यात का केवल एक ही नमूना बीजक प्रस्तुत किया गया है और भारत के भीतर इस ग्रेड की नियमित व्यावसायिक बिक्री का कोई

प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्य ग्रेड जैसे ब्लूसाइन स्वीकृत, पिगमेंट/सॉल्यूशन डाईड, पुनर्चक्रित जीआरएस प्रमाणित, एसिड डाईएबल, एंटीबैक्टीरियल, थर्मोरेगुलेटरी और लो अब्रेजन वाले एक्रिलिक फाइबर के लिए आवेदकों ने किसी उत्पादन का दावा नहीं किया है।

17. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का विचार है कि आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उपर्युक्त विशेष ग्रेडों को शामिल करने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित नहीं किए हैं। घरेलू उत्पादन या बिक्री की कमी, कम माँग और ऐसे आयातों की भिन्न प्रकृति तथा आवेदक द्वारा समावेशन को उचित ठहराने में असमर्थता को देखते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव करते हैं।

- i. एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर,
- ii. ब्लूसाइन स्वीकृत जेल-डाईड एक्रिलिक फाइबर,
- iii. उच्च सिक्रेज एक्रिलिक फाइबर,
- iv. होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर,
- v. पिगमेंट-डाईड या विलयन-डाईड एक्रिलिक फाइबर,
- vi. पुनर्चक्रित जीआरएस प्रमाणित एक्रिलिक फाइबर,
- vii. एसिड डाईएबल एक्रिलिक फाइबर,
- viii. एंटीबैक्टीरियल एक्रिलिक फाइबर,
- ix. थर्मोरेगुलेटरी एक्रिलिक फाइबर, और
- x. लो अब्रेजन एक्रिलिक फाइबर

18. पेरू से आयातित एक्रिलिक फाइबर को घटिया गुणवत्ता के आधार पर बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद को केवल घटिया होने के आधार पर जाँच के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। चीन जन. गण., बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू से एक्रिलिक फाइबर के आयात से संबंधित पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच में भी यह मुद्दा उठाया गया था और उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा गया था। यह भी देखा गया है कि अपशिष्ट एक्रिलिक फाइबर के आयात को शीर्ष - 5505 मानव निर्मित फाइबर के अपशिष्ट (नॉयल, यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। एक्रिलिक फाइबर के अपशिष्ट को 55051010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तथापि, पेरू के आयात को विचाराधीन उत्पाद के लिए उपर्युक्त एचएस कोड में रिपोर्ट किया गया है। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से यह भी नोट किया गया है कि भारत में लगभग 15-20 उत्पादक हैं जो पेरू और अन्य संबद्ध देशों से सोर्सिंग कर रहे हैं। गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और घरेलू उद्योग, चीन और थाईलैंड और पेरू से खरीद की है, परंतु ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। अतः प्राधिकारी पेरू से आयातित उत्पाद को जांच के दायरे से बाहर रखने को उचित नहीं समझते हैं।

19. उक्त के मद्देनजर, विचाराधीन उत्पाद के दायरे की निम्नानुसार पुष्टि की जाती है।

वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार और किस्मों का एक्रिलिक फाइबर हैं, जिसमें होमोपॉलिमर एक्रिलिक फाइबर, एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर, ब्लूसाइन स्वीकृत जेल-डाईड एक्रिलिक फाइबर, पिगमेंट (या सॉल्यूशन) डाईड एक्रिलिक, उच्च सिंक्रेज एक्रिलिक फाइबर, पिगमेंट डाईड या सॉल्यूशन डाईड एक्रिलिक फाइबर, पुनर्चक्रित जीआरएस प्रमाणित एक्रिलिक, एसिड-डाईएबल एक्रिलिक, एंटी-बैक्टीरियल एक्रिलिक, थर्मोरेगुलेटरी एक्रिलिक और 100 प्रतिशत एक्रिलोनाइट्राइल युक्त लो अब्रेजन एक्रिलिक फाइबर शामिल नहीं है।

20. आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। अतः यह विचार करने का प्रस्ताव है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु, संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड के एक संबंधित पक्षकार वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स और वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड हैं, जिन्होंने जाँच अवधि के दौरान थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, किंतु आवेदक ने जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।
 - ii. बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयात पर पूर्ववर्ती पाटनरोधी जाँच में, प्राधिकारी ने वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा था।
 - iii. जाँच इस आधार पर समाप्त की जानी चाहिए कि आवेदकों में से एक ने यह गलत घोषणा की है कि उसका कोई संबद्ध आयातक नहीं है।
 - iv. इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और इसलिए इसे नियम 2(ख) की परिभाषा के अंतर्गत घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।

घ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में आवेदकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. यह आवेदन इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड और वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का 100 प्रतिशत हिस्सा है।
- ii. इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से [*** मीट्रिक टन] विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। ये आयात निर्यात उद्देश्यों के लिए यार्न निर्माण के लिए किए गए थे। कुल आयात कंपनी के उत्पादन और भारत में समग्र मांग की तुलना में ये आयात नगण्य हैं।
- iii. यद्यपि वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड संबद्ध देशों में निर्यातक से संबंधित नहीं है, तथापि वह उत्पाद के आयातक से संबंधित है। तथापि, संबंधित आयातक ने उत्पाद का व्यापार नहीं किया है, बल्कि उसे आबद्ध रूप से उपभोग किया है।
- iv. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड की संबंधित कंपनी द्वारा आयात की कम मात्रा वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग माने जाने से वंचित नहीं करती है।
- v. पूर्ववर्ती जाँच में वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड के संबंधित पक्षकार द्वारा कंपनी के उत्पादन के संबंध में किया गया आयात 20-30 प्रतिशत के बीच था। वर्तमान जाँच में कंपनी के उत्पादन के संबंध में आयात केवल [*** प्रतिशत] था।
- vi. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड के संबंधित पक्षकार द्वारा किया गया आयात भारतीय माँग और वर्धमान उत्पादन के 1 प्रतिशत से भी कम है। चूँकि आयात की मात्रा कम थी, इसलिए यह उन्हें पात्र घरेलू उद्योग माने जाने से वंचित नहीं करती है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

23. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और आवेदकों किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और निम्नानुसार समाधान किया गया है:

24. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

25. वर्तमान आवेदन इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड और वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

26. आवेदकों में से एक अर्थात् इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का [*** मीट्रिक टन] आयात किया है। इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड ने दावा किया है कि इन आयातों का उपयोग निर्यात उद्देश्यों के लिए यार्न के आगे उत्पादन के लिए किया गया था और विचाराधीन आयातित उत्पाद का उपयोग करके उत्पादित यार्न घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया था। नीचे दी गई तालिका इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयात की मात्रा को दर्शाती है और उक्त आयातों की तुलना कंपनी के उत्पादन, भारत में कुल माँग और कुल आयात के साथ करती है। आयात की मात्रा का सत्यापन डीजी सिस्टम के आंकड़ों का उपयोग करके किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	आयात
1	आवेदक द्वारा किए गए आयात	*** एमटी
2	कंपनी के उत्पादन के संबंध में आयात	1% से कम
3	कुल माँग के संबंध में आयात	1% से कम
4	कुल आयातों के संबंध में आयात	1% से कम

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मात्रा, आयातों की कुल मात्रा, कंपनी के उत्पादन और देश में कुल माँग की तुलना में नगण्य है। यह भी देखा गया है कि इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड ने केवल जाँच अवधि के दौरान ही आयात किया है। इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मात्रा इतनी नहीं है कि उन्हें पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने से अयोग्य ठहराया जा सके।
28. वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड के एक संबंधित आयातक होने संबंधी अनुरोधों के बारे में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड और वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड अलग-अलग कानूनी संस्थाएँ हैं और वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को अपनी सहयोगी कंपनी द्वारा किए गए ऐसे किसी भी आयात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि आंतरिक नीतियाँ ऐसी सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रतिबंधित करती हैं।
29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का लगातार आयात किया है। यह भी देखा गया है कि डीजी सिस्टम के सौदावार आँकड़े वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लिमिटेड के किसी भी आयात को नहीं दर्शाते हैं। नीचे दी गई तालिका डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार क्षति अवधि के दौरान वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयात की मात्रा को दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***

30. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों का औचित्य सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि आयातित उत्पाद का घरेलू बाजार में उपभोग किया गया है या बेचा गया है या निर्यात किया गया है। बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू से एक्रिलिक फाइबर के आयात से संबंधित पूर्ववर्ती पाटनरोधी जाँच में भी वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना गया था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और संबंधित आयातक द्वारा घरेलू बाजार के लिए किए गए लगातार आयातों के आलोक में, प्राधिकारी वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करना उचित समझते हैं।
31. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड और पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड नियम 2(ख) के अंतर्गत एकमात्र पात्र उत्पादक हैं। ये दोनों उत्पादक भारत में समान वस्तु के कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।
32. उपर्युक्त के आधार पर, नियम 2(ख) के प्रावधानों और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड और पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड भारत में उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। प्राधिकारी का मानना है कि दोनों उत्पादक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता और विविध मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- आवेदकों ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने बिक्री मूल्य के वास्तविक समेकित आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया है: (क) घरेलू बिक्री - लघु उद्योग (ख) लघु उद्योग के अलावा अन्य घरेलू बिक्री (ग) निर्यात बिक्री और (घ) कैप्टिव खपत, प्रति इकाई पीबीआईटी, कुल पीबीआईटी, ब्याज और वित्तीय लागत और मूल्यहास।
 - आवेदकों ने सीएमए रिपोर्ट में बताई गई कीमत के आधार पर पेरू और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, किंतु उनके गोपनीय होने का दावा किया है। ये कीमतें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

- iii. आवेदकों ने वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए जाने के बावजूद शटडाउन संबंधी सार्वजनिक जानकारी को गोपनीय बताया है।
- iv. आवेदकों ने इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयात की मात्रा और आयातित सामग्री के पुनः बिक्री कीमत को गोपनीय बताया है।
- v. आवेदकों को 1996 से 2019 तक दो दशकों से अधिक समय तक विभिन्न देशों में व्यापार सुधारात्मक उपायों के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 11.1 के तहत प्रगतिशील उदारीकरण के सिद्धांत के अनुसार, जब तक आवश्यक हो, पाटनरोधी उपाय लागू रहना अपेक्षित है। यूएस-कार्बन स्टील (भारत) मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपीलिय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

ड.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

34. गोपनीयता के संबंध में आवेदकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. वास्तविक बिक्री मूल्य, लाभ और व्यय के प्रकटन से उनके बिक्री कीमत और लाभ का प्रकटन होगा। चूंकि यह जानकारी अत्यधिक व्यावसायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए इसका बाजार में आवेदकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ii. लाभ और बिक्री कीमत के प्रकटन से उपभोक्ता कीमत समायोजन की मांग कर सकते हैं, यह जानते हुए कि दूसरों ने कम भुगतान किया है। इससे आवेदकों की बाजार स्थिति प्रभावित हो सकती है और संभावित रूप से बिक्री में कमी आ सकती है क्योंकि उपभोक्ता अन्य आपूर्तिकर्ताओं के पास जा सकते हैं।
- iii. पेरू और थाईलैंड का सामान्य मूल्य सीएमए रिपोर्ट में बताई गई कीमत पर आधारित है। सीएमए रिपोर्टें तृतीय पक्षकार द्वारा भुगतान की गई जानकारी हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू उद्योग ऐसी जानकारी का प्रकटन करने के लिए अधिकृत नहीं है।
- iv. आवेदन में दिए गए शटडाउन विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विवरणों की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी केवल एक विवरण है, जबकि प्राधिकारी को प्रदत्त सूचना काफी अधिक विस्तृत है।
- v. इस अनुरोध पर कि आयातों की पुनः बिक्री कीमत के गोपनीय होने का दावा किया गया है, आवेदकों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयात केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए यार्न के उत्पादन के लिए हुए हैं और घरेलू बाजार में नहीं बेचे गए हैं।

ई.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 35. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय सार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
- 36. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय

आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

37. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों को, जहाँ तक प्रासंगिक समझा गया, जाँच की गई है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय सार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है।
38. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदकों को दो दशकों से अधिक समय से व्यापार उपचार उपायों के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं से निवारण की माँग करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है या पाटनरोधी शुल्क लगाने की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिशें प्राधिकारी द्वारा गहन जाँच के बाद और अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही की जाती हैं।
39. पाटनरोधी नियमों के नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से और स्पष्टीकरण मांगे हैं। संबद्ध देशों के सहभागी उत्पादकों के साथ-साथ भारत में आयातकों को भी पत्र भेजे गए। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों की जाँच की गई है और जहाँ तक प्रासंगिक समझा गया, उन पर विचार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि शिव वूलन मिल्स ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर और सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।
40. यह देखा गया है कि थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड ने बताया कि उसने कुछ उपयोगकर्ता-आयातकों - अर्थात् गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड, महा लक्ष्मी स्पनिंग मिल्स और श्री गणेश स्पिनर्स - को क्रेडिट नोट्स के माध्यम से चालान-पश्चात छूट प्रदान की थी। उपयोगकर्ताओं ने अपने-अपने प्रश्नावली उत्तरों में ऐसी किसी छूट की सूचना नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादक द्वारा बताए गए चालान मूल्यों और इन उपयोगकर्ताओं द्वारा बताए गए संगत क्रय मूल्यों के बीच सामंजस्य का अभाव रहा।

41. इन विसंगतियों को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबंधित आयातकों को पत्र भेजकर उनसे स्पष्टीकरण माँगा। उत्तर में, श्री गणेश स्पिनर्स ने कहा कि उनके खातों में क्रेडिट नोट दर्ज किए गए थे, जबकि महा लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स ने कहा कि उन्हें कोई छूट या रियायत नहीं मिली। गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड ने शुरू में चालान के बाद किसी भी छूट या रियायत प्राप्त करने से इनकार किया। हालाँकि, श्री गणेश स्पिनर्स और गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड, दोनों ने बाद में स्वीकार किया कि उनके खातों में क्रेडिट नोट दर्ज किए गए थे और खरीद मूल्य सकल मूल्य को दर्शाता था। इसके विपरीत, उत्पादक ने निवल आधार पर चालान मूल्य की सूचना दी थी, जिससे प्रयोक्ता द्वारा दी गई सूचना में विसंगति की पुष्टि हुई। इसके अलावा, इन प्रयोक्ता-आयातकों ने वाणिज्यिक चालान, प्राप्त क्रेडिट नोट और किए गए भुगतानों के लिए समाधान विवरण, प्राधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के साथ उपलब्ध नहीं कराए।
42. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध देशों में उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमीशन एजेंटों की उपस्थिति के बारे में विवरण प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उत्तर में, निर्यातकों जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, जिलिन क्यूफेंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड और जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप आई/ई कंपनी लिमिटेड ने अनुरोध किया कि उनकी लगभग सभी बिक्री—एक चालान को छोड़कर—एक कमीशन एजेंट के माध्यम से की गई थीं। इन उत्पादकों ने कमीशन एजेंटों के साथ हुए समझौतों की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं, जिनसे पुष्टि हुई कि उत्पाद का विपणन और भुगतान की प्राप्ति एजेंट को सौंपी गई ज़िम्मेदारियाँ थीं।
43. हालाँकि, प्रयोक्ता-आयातकों में से एक, गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड, जिसने इन आपूर्तिकर्ताओं से सामान आयात किया था, ने कहा कि उनके लेन-देन में कोई कमीशन एजेंट शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप बिक्री के तरीके के संबंध में निर्यातक और आयातक के बयान परस्पर विरोधी हैं। उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड लिखित समझौतों द्वारा समर्थन प्राप्त हैं, जबकि उपयोगकर्ता द्वारा अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।
44. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भाग लेने वाले उपयोगकर्ता-आयातकों, अर्थात् शिव वूलन मिल्स, गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड, महा लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स और श्री गणेश स्पिनर्स द्वारा प्रस्तुत उत्तर अपूर्ण, असंगत और अविश्वसनीय हैं। बिल-पश्चात छूट का खुलासा करने में उनकी विफलता, साथ ही कमीशन एजेंटों की संलिप्तता के संबंध में विरोधाभासी दावे, जाँच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग के अभाव को दर्शाते हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के प्रयोजनों के लिए, थाईलैंड को एक वैकल्पिक देश माना जाना चाहिए। थाईलैंड एक बाजार अर्थव्यवस्था के तहत संचालित होता है जहाँ कीमत और लागत बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- ii. थाईलैंड के उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े बाजार में लागत और मूल्य के बारे में प्रत्यक्ष और सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान करते हैं।
- iii. थाईलैंड भारत को उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- iv. पेरू को तीसरी बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना जा सकता क्योंकि पेरू के उत्पादक घटिया उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करते हैं। इसलिए, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए पेरू की लागत और मूल्य उपयुक्त नहीं होंगे।
- v. प्राधिकारी ने पूर्व में थाईलैंड को चीन जन. गण. के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना है।
- vi. चीन के उत्पादकों के संयंत्र लगभग 90% क्षमता उपयोग पर संचालित होते हैं, जिससे आक्रामक पाटन की सीमित गुंजाइश रहती है। उनकी उत्पादन रणनीति घरेलू मांग को पूरा करने पर केंद्रित है, जिसमें निर्यात एक पूरक बाजार के रूप में कार्य करता है।

च.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

46. आवेदकों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(क)(ii) जो अनुच्छेद 15(ख) के तहत परिकल्पित है, दिसंबर 2016 में समाप्त हो गया था और इसे वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- ii. भाग लेने वाला चीनी समूह वर्तमान जाँच में एमईटी प्रश्नावली दायर करने में असफल रहा है। इसलिए, प्राधिकारी को उनकी घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं करना चाहिए। सामान्य मूल्य के संबंध में किसी भी टिप्पणी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह विलंब से आया है।
- iii. चूँकि चीनी उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के आधार पर किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल अनुक्रमिक तरीके से किया जाना

है और इसकी पुष्टि शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की गई है।

- iv. अनुबंध 1 के पैरा 7 के तहत, नियमों के तहत पहला विकल्प बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या लागत है। नियमों में यह प्रावधान है कि उत्पाद और देश के विकास के स्तर के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
- v. थाईलैंड को बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश नहीं माना जा सकता क्योंकि थाईलैंड भी इस जांच के अधीन है। चीन जन.गण., कोरिया आर पी, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से पीवीसी पेस्ट के आयात के संबंध में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी संबंधी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।
- vi. नियमों के तहत दूसरा विकल्प ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में कीमत है। उत्पाद का आयात तुर्की, जापान आदि से किया जाता है। तुर्की से आयात की मात्रा न्यूनतम से अधिक है और इसे सामान्य मूल्य का आधार माना जा सकता है। कुइतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में सेस्टेट के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। तुर्की से आयात कीमत मात्रा के हिसाब से पर्याप्त है और इसे बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जा सकता है।
- vii. किसी अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि थाईलैंड, चीन जन.गण. के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में योग्य है।
- viii. थाईलैंड में केवल एक ही उत्पादक है, जबकि चीन में कई उत्पादक हैं। चीन एक प्रमुख उपभोक्ता है, जबकि थाईलैंड में मांग कम है। इसलिए, थाईलैंड को तुलनीय विकास स्तर वाला बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना जा सकता।
- ix. संबद्ध देश को सरोगेट के रूप में मानना स्थापित प्रथाओं के अनुरूप नहीं है और वैकल्पिक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों पर विचार किया जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

47. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है
 - i. जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप आई/ई कंपनी लिमिटेड
 - ii. जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - iii. जिलिन क्यूफेंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - iv. सुदामेरिकाना डे फाइबर्स एस.ए.
 - v. थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क. चीन जन. गण. से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

i. चीन जन. गण.के लिए सामान्य मूल्य

48. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:

"जी ए टी टी -का अनुच्छेद 1994VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार,) 1994 "पाटनरोधी करार" (-के अनुच्छेदVI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन -यदि जांचाधीन उत्पादक साफ उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार , करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है-यदि जांचाधीन उत्पादक साफ , उत्पादन और बिक्री के संबंध में , साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद)14क)14 , (ख , ()14ग)14 और (घ में निर्धारित (राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे तो आयात करने , उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों , तथापि , वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में जहां व , यवहार्य हो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर , प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उपके अनुसार प्रयुक्त पद्धति (क) पैराग्राफ-यों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी (ख) तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के

राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।" 49. आवेदकों ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) और अनुलग्नक-1 के पैरा 7 का हवाला देते हुए दावा किया था कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में समान उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और कम बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों ने कहा है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और मूल्य सूचना बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

49. आवेदकों ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) और अनुबंध-1 के पैरा 7 का हवाला देते हुए दावा किया था कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में समान उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और कम बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों ने कहा है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और मूल्य सूचना बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
50. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो चुका है, फिर भी, पाटनरोधी नियमावली के आवश्यक पैराग्राफ 8 में निर्धारित एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।
51. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने डेटा/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:

7. "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी

ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

52. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को मूल्य के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी भी उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें उचित लाभ मार्जिन शामिल हो। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा 7 के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
53. प्राधिकारी विभिन्न निर्णयों में निहित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य की संरचना पर विद्यमान न्यायशास्त्र को भी नोट करते हैं। ये निर्णय उपयुक्त विकल्प के चयन और उससे संबंधित दायित्वों से संबंधित नियमों के अनुबंध। के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश प्रदान करते हैं।
54. आवेदन के चरण में, आवेदकों ने ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदकों ने तुर्की से भारत में आयात मूल्य पर विचार किया था।
55. कानूनी पदानुक्रम के अनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इसे उस देश से भारत सहित अन्य गंतव्यों को निर्यात कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु थाईलैंड को एक वैकल्पिक देश के रूप में प्रस्तावित किया है। हालाँकि, पाटनरोधी नियमावली में निर्दिष्ट है कि संबंधित देश के विकास के स्तर और उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का चयन किया जाना चाहिए। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि चीन और थाईलैंड विकास के तुलनीय स्तरों पर हैं। इसके अलावा, थाईलैंड में केवल एक ही उत्पादक है, जबकि चीन में कई हैं, और थाईलैंड की घरेलू मांग न्यूनतम है। इस प्रकार, चीन और थाईलैंड में उत्पाद के विकास का स्तर तुलनीय नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने चीन और कोरिया से क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेज़िन के आयात से संबंधित एक पूर्व पाटनरोधी जाँच का भी हवाला दिया है, जहाँ थाईलैंड को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में प्रयोग किया गया था। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि उस मामले में, चीन के लिए सामान्य मूल्य थाईलैंड के निर्यात मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था, न कि उसकी घरेलू कीमतों के आधार पर। यह विशेष रूप से नोट किया गया कि थाईलैंड की निर्यात मात्रा असंबद्ध देशों में सबसे अधिक थी, और चूँकि थाईलैंड के विरुद्ध

कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं थे, इसलिए सीआईएफ मूल्य को प्रतिनिधि माना गया। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान मामले में थाईलैंड को चीन का प्रतिनिधि देश नहीं माना जा सकता।

56. नियमों के अंतर्गत अगली कार्यप्रणाली किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात मूल्यों पर विचार करना है। असंबद्ध देशों में, तुर्की में आयात की मात्रा सबसे अधिक है। चूँकि तुर्की किसी भी पाटन रोधी उपायों के अधीन नहीं है और उसके निर्यात की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है, और उन निर्यातों को पाटित नहीं किया गया है, इसलिए वह इस पद्धति के अंतर्गत योग्य है। प्राधिकारी ने कुइतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सेस्टेट ने यह माना था कि जब किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो प्रासंगिक कारक ऐसे निर्यातों की मात्रा और जाँच अवधि के दौरान पाटन का अभाव होते हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने तुर्की से आयात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसे कारखाना-पूर्व स्तर पर लाने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

57. इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

i. जिलिन समूह

58. निम्नलिखित तीन कंपनियों ने जिलिन समूह के हिस्से के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

- जिलिन क्यूफेंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड (क्यूफेंग) (उत्पादक एवं निर्यातक)
- जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड (जिमोंट) (उत्पादक)
- जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप आई/ई कंपनी लिमिटेड (जेसीएफआईई) (निर्यातक)

59. चूँकि एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं है, इसलिए एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर के निर्यात पर विचार नहीं किया गया है। क्यूफेंग ने भारत में स्वतंत्र ग्राहकों को सीआईएफ आधार पर सीधे निर्यात किया है। निर्यात मात्रा *** मीट्रिक टन है और निर्यात का सकल मूल्य *** सीएनवाई है। इसके अलावा, क्यूफेंग ने सीआईएफ आधार पर निर्यातक के एक संबंधित व्यापारी जेसीएफआईई के माध्यम से भारत में स्वतंत्र ग्राहकों को अप्रत्यक्ष निर्यात किया है। विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की मात्रा और सकल मूल्य क्रमशः *** मीट्रिक टन और *** चीनी युआन है। क्यूफेंग ने [***] मीट्रिक टन एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर का निर्यात किया है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। निर्यात मूल्य और पहुँच मूल्य की गणना के लिए इन आयातों पर विचार नहीं किया गया है।

60. क्यूफेंग का निर्यात चैनल -

61. जिमोंट ने सीआईएफ आधार पर एक संबंधित व्यापारी *** के माध्यम से भारत में स्वतंत्र ग्राहकों को अप्रत्यक्ष निर्यात किया है। निर्यात की मात्रा और सकल मूल्य क्रमशः *** मीट्रिक टन और *** चीनी युआन है।

62. जिमोंट का निर्यात चैनल -

63. क्यूफेंग और जिनमोंट ने समुद्री माल दुलाई, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह व्यय, कमीशन, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, ऋण लागत आदि के लिए समायोजन का दावा किया है। क्यूफेंग की प्रत्यक्ष बिक्री के मामले में, कोई ऋण लागत नहीं है क्योंकि भुगतान शर्तों में किसी ऋण अवधि का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत की गणना निर्यातक के अंतिम चालान मूल्य को सीएनवाई में लेकर और निर्यात से संबंधित सभी समायोजनों, आकस्मिक और सहायक, को घटाकर की गई है, जैसा कि निर्यातक और उत्पादक के संबंधित परिशिष्टों में दर्शाया गया है। निर्धारित कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक

64. अन्य उत्पादकों के लिए निवल निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. थाईलैंड से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड

65. थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड (टीएएफ) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं का [***] मीट्रिक टन की बिक्री की है। यह देखा गया है कि घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को केवल [***] मीट्रिक टन उत्पाद बेचा गया है। संबंधित पक्षकारों को की गई बिक्री की कीमत असंबद्ध इकाई को दिए गए बिक्री मूल्य से कम है और इसलिए, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस पर विचार नहीं किया गया है। यह भी देखा गया है कि कुल घरेलू बिक्री में से, [***] मीट्रिक टन उत्पाद विशिष्ट ग्रेड का बेचा गया है जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं है। इन ग्रेडों को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादक ने भारत को [***] मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

66. उत्पादक ने भारतीय बाजार में केवल ***** का निर्यात किया है और घरेलू बाजार में उत्पाद की पर्याप्त बिक्री है।

i. सामान्य मूल्य

67. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया

परीक्षण किया है। जहाँ पीसीएन के लिए 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभदायक बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पीसीएन के लिए, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उस पीसीएन की सभी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

68. टीएएफ ने अंतर्देशीय मालभाड़े के कारण मूल्य समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। इस प्रकार, टीएएफ के लिए कारखाना-पूर्व स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

ii. निर्यात कीमत

69. टीएएफ ने भारत में असंबद्ध आयातकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष निर्यात किया था। निर्यात की मात्रा *** मीट्रिक टन है और सकल मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है।

टीएएफ के निर्यात का माध्यम -

70. टीएएफ ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय मालभाड़ा और बंदरगाह संबंधी व्ययों के लिए समायोजन का दावा किया है। भारत को सभी निर्यात स्वतंत्र ग्राहकों को किए जाते हैं। एफओबी प्रविष्टियों के मामले में, केवल अंतर्देशीय मालभाड़ा और बंदरगाह व्यय घटाए जाते हैं और सीआईएफ प्रविष्टियों के मामले में, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय मालभाड़ा और बंदरगाह व्यय घटाए जाते हैं। तदनुसार, कारखाना-पूर्व स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक

71. अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. पेरू से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

सुदामेरिकाना फाइबर्स एस.ए.

72. सुदामेरिकाना फाइबर्स एस.ए. (एसडीएफ) ने जाँच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की, जबकि उसने भारत को [***] मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात कीं। एसडीईएफ ने अनुरोध किया है कि घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पाद मानक उत्पाद हैं, जबकि भारत को निर्यात किए गए उत्पाद निर्धारित मानक से कम हैं।
73. निर्यातक ने पीसीएन-वार निर्यात जानकारी प्रदान नहीं की है। उत्पादक ने अपने प्रश्नावली के उत्तर का सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया है। चूँकि प्राधिकारी उत्पादक की ईक्यूआर में दी गई जानकारी का सत्यापन करने में असमर्थ हैं, इसलिए उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह देखा

गया है कि उत्पादक अपनी पूरी क्षमता से प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहा है। इसलिए, उत्पादक को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान न करने का प्रस्ताव है।

कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक

74. पेरू के सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

75. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर, डंपिंग मार्जिन की गणना की गई है और इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य अम.डॉ./ मी.ट.	एनईपी अम.डॉ./मी. .ट.	पाटन मार्जिन अम.डॉ./मी. ट.	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
क	चीन					
1	जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड, जिलिन क्यूफेंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50%
ख	थाइलैंड					
1	थाई एक्रिलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20%
ग	पेरू					
1	कोई उत्पादक	***	***	***	***	210- 220%

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

छ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. भारत में माँग आधार वर्ष में 1,04,119 मीट्रिक टन से गिरकर जाँच अवधि में 96,291 मीट्रिक टन रह गई है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग की बिक्री पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ii. संबद्ध देशों से कथित रूप से पाटित आयातों की मात्रा में कोई भी वृद्धि अन्य देशों से आयातों के बाजार हिस्से में कमी के कारण है।
- iii. थाईलैंड से आयात स्थिर रहा है। चीन जन. गण. (250%) से आयात में तीव्र वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग के लिए किसी भी क्षति का स्रोत है।
- iv. थाईलैंड और चीन से आयात में क्रमशः 248 और 58 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, लेकिन पेरू से आयात में आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में केवल 1 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है।
- v. पेरू से आयात समय के साथ स्थिर रहा है और इसने आवेदकों की कीमतों और बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित नहीं किया है।
- vi. थाईलैंड के लिए क्षति मार्जिन 0-10% की सीमा में है, जो पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी कीमत निर्धारण रणनीतियाँ अति महत्वाकांक्षी कटौती में शामिल हुए बिना निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी रही हैं।
- vii. घरेलू उद्योग के आंकड़ों के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि कथित पाटित किए गए आयातों के कारण कोई महत्वपूर्ण मात्रा या कीमत प्रभाव नहीं है। उत्पाद की कुल मांग में गिरावट आई है, और आग से संबंधित स्टॉक हानि और महामारी से संबंधित व्यवधान जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- viii. ऐक्रेलिक फाइबर बाजार एक्रिलोनाइट्राइल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हुआ है। इससे निर्माता के सामने लाभप्रदता बनाए रखने की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आई हैं। पशुपति ने अपनी 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है।
- ix. पेरू से आयात और अन्य संबद्ध देशों से आयात के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। इसलिए आयातों को संचित नहीं किया जाना चाहिए।
- x. आधार वर्ष से जाँच अवधि में आयात मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है, लेकिन आवेदकों का विक्रय मूल्य स्थिर रहा है। आवेदक विक्रय मूल्य बढ़ा सकते थे, लेकिन रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय के कारण, इसने कीमतें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया।
- xi. थाईलैंड से आयात कीमत अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इस प्रकार, आवेदकों पर कोई भी कीमत दबाव अन्य देशों से कम कीमत वाले आयातों के कारण है।

- xii. चीन जन.गण. के पास केवल 6% बाजार हिस्सेदारी है जबकि घरेलू उद्योग के पास लगभग 70% बाजार हिस्सेदारी है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग कीमतों को निर्धारित करने में एक प्रमुख स्थिति में है।
- xiii. चीनी उत्पादक मुख्य रूप से अपने घरेलू बाजार की आपूर्ति करते हैं और भारत को निर्यात उनकी कुल बिक्री का एक छोटा हिस्सा है।
- xiv. पिछले वर्ष भी पेरू से आयात आवेदकों की कीमतों से कम था और आवेदक लाभदायक रहे। जब 2021-22 में पेरू से आयात कीमत में वृद्धि हुई, तो आवेदकों का पीवीआईटी घट गया। इससे पता चलता है कि पेरू से आयात मूल्य ने आवेदकों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया है।
- xv. क्षति विश्लेषण से 2022-23 को बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 2022-23 में महामारी के बाद मांग में असामान्य रूप से उच्च वृद्धि देखी गई, जिसमें जाँच अवधि के दौरान कुछ सुधार हुए।
- xvi. आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में आवेदकों की क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- xvii. आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में आवेदकों की औसत मालसूची में गिरावट आई है। जाँच अवधि में आवेदकों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
- xviii. आवेदकों के आंकड़ों में, विशेष रूप से क्षति मापदंडों के संबंध में, विसंगतियां हैं। आवेदक कथित पाटन और हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने में विफल रहे।
- xix. यूएस-हॉट-रोल्ड स्टील, डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह माना गया था कि जब तक अन्य कारकों के प्रभावों को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जाता है, तब तक अधिकारियों के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है कि पाटित किए गए आयात क्षति का कारण बन रहे हैं या पाटनरोधी शुल्क लगाने को उचित ठहराते हैं।
- xx. आवेदकों ने पहले की अवधि में अधिक कीमतों पर एक्रिलोनाइट्राइल खरीदा है और अधिक लागत वाली मालसूची से उत्पादन किया है।
- xxi. एनआईपी कानून उच्च दरों के प्रभाव को पूरी तरह से बेअसर नहीं करेगा; यह केवल मात्रा के संदर्भ में अकुशल उपयोग को संबोधित करता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि एनआईपी निर्धारित करते समय जाँच अवधि के दौरान उपभोग किए गए स्टॉक से उच्च-मूल्य वाले एक्रिलोनाइट्राइल को बाहर रखा जाए और केवल जाँच अवधि के दौरान खरीदे गए एक्रिलोनाइट्राइल की कीमत को ही दर निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- xxii. आवेदकों को हुई क्षति कोविड-19 जैसे बाहरी कारकों के कारण हैं।

- xxiii. आवेदकों ने जाँच की अवधि में नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट का दावा किया। हालांकि, 2022-23 के दौरान नियोजित पूंजी में 15% की वृद्धि हुई जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बिना जाँच अवधि में जारी रही।
- xxiv. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आवेदकों के कार्य बंद होने का कारण कोविड लॉकडाउन और सरकारी प्रतिबंध थे। जाँच अवधि में क्षति स्व-प्रेरित है, जिसके लिए कथित पाटित किए गए आयातों के बजाय तकनीकी चुनौतियों, रोज़गार और उत्पादकता संबंधी समस्याओं, कम क्षमता उपयोग और उच्च लागत जैसे आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- xxv. वर्धमान ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि जाँच अवधि के दौरान उच्च कीमत वाले स्टॉक के कारण उच्च एक्रिलोनाइट्राइल खपत लागत ने माँग में गिरावट में योगदान दिया।
- xxvi. आवेदकों द्वारा आंतरिक हस्तांतरण और निर्यात में किसी भी गिरावट का क्षमता उपयोग के साथ-साथ उच्च स्थिर लागत के कारण लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ता है, जो थाईलैंड से आयात के कारण नहीं है।
- xxvii. पिछले कुछ वर्षों में ऐक्रेलिक फाइबर बाजार को प्राकृतिक फाइबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। उत्पाद की माँग में गिरावट से आवेदकों को काफी क्षति हुई है, जैसा कि इंडियन ऐक्रेलिक लिमिटेड और पशुपति ऐक्रेलिक लिमिटेड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पुष्टि की है।
- xxviii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति निराधार है और अनुचित व्यापार प्रथाओं के बजाय आंतरिक अक्षमताओं के कारण है।
- xxix. यद्यपि उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्धमान ऐक्रेलिक लिमिटेड और पशुपति ऐक्रेलिक लिमिटेड ने संपूर्ण क्षति अवधि में लाभ कमाया, केवल इंडियन ऐक्रेलिक ने ही पिछले लगभग 8 वर्षों के दौरान कुछ वर्षों में क्षति का दावा किया है और स्व-प्रदत्त कारणों से हुए ऐसे घाटे वर्तमान कार्यवाही का आधार नहीं हो सकते।

छ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

77. आवेदकों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. उत्पाद को दो दशकों से अधिक समय से भारत में बार-बार पाटित किया जा रहा है। एक देश से दूसरे देश में पाटन के स्थानांतरण ने आवेदकों को उचित लाभ पर काम करने की अनुमति नहीं दी है।
- ii. थाईलैंड में केवल एक ही उत्पादक है, जिसका नाम थाई ऐक्रेलिक लिमिटेड (टीएएफ) है। अकेले टीएएफ का भारतीय बाजार में उत्पाद पाटन करने का एक लंबा इतिहास रहा है।

- iii. 1997 में मूल जाँच के बाद से, प्राधिकारी ने बार-बार पाया है कि टीएफ पाटन कर रहा है, जिसके कारण 2002, 2007, 2013 और 2019 में कई समीक्षाओं में पाटनरोधी शुल्क लगाए गए और बाद में बढ़ाए गए।
- iv. दो दशकों से अधिक समय से पाटनरोधी उपायों के अधीन होने के बावजूद, थाईलैंड से आयात में वृद्धि जारी है। टीएफ की कार्यप्रणाली में बाजार पर कब्जा करने के लिए उत्पाद का पाटन करना शामिल है।
- v. ऐतिहासिक आयात आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1999-00 की शुरुआत से 2015-16 तक थाईलैंड से आयात की मात्रा में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। यह वह अवधि थी जब मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं था।
- vi. टीएफ की शुरुआत में क्षमता 14,000 मीट्रिक टन थी। हालांकि, तीन दशकों में, घरेलू खपत में कोई वृद्धि किए बिना, टीएफ ने अपनी क्षमता में वृद्धि की। वर्तमान में, टीएफ की स्थापित क्षमता 1,20,000 मीट्रिक टन है जबकि घरेलू मांग मात्र 5000 मीट्रिक टन है। यह स्पष्ट है कि उत्पाद को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने के उद्देश्य से और बड़े पैमाने पर चीनी बाजार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित की गई थीं।
- vii. टीएफ चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अन्य देशों को महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात कर रहा है। हालांकि, टीएफ को सामान्य रूप से वैश्विक बाजारों और विशेष रूप से चीन और इंडोनेशिया में बाजार का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है।
- viii. 2015 में टीएफ का कुल निर्यात 108 किलोटन था जो 2018 में घटकर 98 किलोटन और 2022 में 90 किलोटन रह गया। यह नुकसान काफी हद तक पिछले कुछ वर्षों में चीनी उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार और वैश्विक स्तर पर मांग में कमी के कारण हुआ है।
- ix. चीनी बाजार में नुकसान के कारण, टीएफ ने भारत के लिए अपनी कीमतें कम कर दीं। थाईलैंड से आयात मूल्य में लागत में गिरावट से अधिक गिरावट आई। टीएफ ने अन्य देशों को निर्यात की तुलना में भारतीय बाजार में उत्पाद कम कीमत पर बेचा है।
- x. चीनी उत्पादकों के पास पहले क्षमता की कमी थी और वे अन्य देशों और विशेष रूप से टीएफ से आयात पर निर्भर थे। हाल के वर्षों में, चीनी उत्पादकों ने महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं स्थापित की हैं। परिणामस्वरूप, चीन 2015 में 139 किलोटन और 2018 में 130 किलोटन का शुद्ध आयातक से बदलकर 2022 में 21 किलोटन का शुद्ध निर्यातक बन गया है।
- xi. जांच अवधि के दौरान प्रदर्शन की तुलना 2020-21 और 2021-22 से करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये वर्ष कोविड-19 से प्रभावित थे। इसलिए, जांच अवधि के दौरान प्रदर्शन की तुलना तत्काल पिछले वर्ष से की जानी चाहिए।

- xii. क्षति का प्रारंभिक कारण कम कीमत वाले पाटित आयातों का प्रवाह था, जिसके कारण कीमत ह्रास, कटौती और बाजार हिस्सेदारी की क्षति हुई।
- xiii. कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2021-22 में उत्पाद की मांग में गिरावट आई। 2022-23 में मांग में वृद्धि हुई। हालांकि, जांच अवधि में इसमें गिरावट आई। उत्पाद की मांग में गिरावट एक चक्रीय प्रवृत्ति का अनुसरण करती है।
- xiv. संबद्ध देशों से आयात में 2021-22 में वृद्धि हुई और 2022-23 में मामूली गिरावट आई। जांच अवधि में आयात में फिर से तेजी से वृद्धि हुई।
- xv. संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने और जांच अवधि में उत्पाद की मांग में गिरावट आने के बावजूद, संबद्ध आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में 40% और आधार वर्ष की तुलना में 73% की वृद्धि हुई है।
- xvi. मांग के संबंध में आयात, ठीक पिछले वर्ष के 17% से बढ़कर जांच अवधि में 22% हो गया है। उत्पादन के संबंध में, ठीक पिछले वर्ष के 16% से बढ़कर जांच अवधि में 28% हो गया है।
- xvii. भारित औसत के आधार पर, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत आवेदकों की बिक्री कीमत से कम है। इस प्रकार, संबद्ध आयात आवेदकों की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- xviii. संबद्ध देशों से बड़े हुए आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान कीमतों में भारी कटौती हुई है और वित्तीय नुकसान हुआ है। संबद्ध देशों से आयातों ने सीधे तौर पर क्षति में योगदान दिया है।
- xix. 2021-22 में, आवेदकों की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण बिक्री कीमत में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई। जैसे-जैसे 2022-23 में, बिक्री लागत में कमी आई, बिक्री कीमत में भी गिरावट आई। इस अवधि के दौरान आवेदक उचित लाभ कमा रहे थे।
- xx. जांच की अवधि के दौरान, जबकि बिक्री लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन (23 सूचकांक अंक) की गिरावट आई, बिक्री कीमत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन (29 सूचकांक अंक) की उल्लेखनीय गिरावट आई। इसलिए, आवेदकों का विक्रय मूल्य कम है।
- xxi. आवेदकों की क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है और देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- xxii. आवेदकों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिरावट आई है।
- xxiii. आवेदकों की घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में उत्पादन के समान प्रवृत्ति रही और जांच अवधि में इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई।

- xxiv. जाँच अवधि में उत्पाद की मांग में 7% की गिरावट आई, जबकि घरेलू बिक्री और उत्पादन में क्रमशः 20% और 15% की गिरावट आई।
- xxv. जाँच अवधि के अंत में, आवेदकों के संयंत्रों ने केवल 20-30% क्षमता उपयोग के बीच ही परिचालन किया है।
- xxvi. जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई। दूसरी ओर, आवेदकों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- xxvii. जाँच अवधि के दौरान आवेदकों के पास माल सूची में पिछले वर्षों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। पाटित आयातों ने आवेदकों को महत्वपूर्ण संचित माल के साथ परिचालन करने के लिए मजबूर किया है।
- xxviii. जाँच अवधि के दौरान जब आयात लगभग दोगुना हो गया, तो आवेदकों के माल सूची में तेजी से वृद्धि हुई। आवेदक, संबंधित देशों से कम कीमत वाले आयातों के कारण, बीच-बीच में उत्पादन स्थगित करने को बाध्य हुए हैं।
- xxix. पाटित किए गए आयातों का प्रभाव इतना अधिक था कि आवेदकों के संयंत्र केवल जाँच अवधि में ही कुल मिलाकर 100 दिनों से अधिक समय तक बंद रहे।
- xxx. आवेदकों का नकद लाभ और पीबीआईटी पिछले वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में कम हुआ। जाँच अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा अर्जित लाभ कोविड से प्रभावित अवधि में अर्जित लाभ से कम है।
- xxxi. पिछले वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में नकद लाभ और पीबीआईटी में क्रमशः 94% और 75% की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, आवेदकों के आरओआई में तेज़ी से गिरावट आई।
- xxxii. आवेदकों ने जाँच अवधि में सबसे कम आरओआई दर्ज किया, जो बैंक द्वारा दी जाने वाली सावधि जमा दर से भी कम है।
- xxxiii. आवेदक अपनी बिक्री कीमत को लागत के अनुरूप कर सकते थे, हालाँकि, संबंधित आयातों का पहुँच मूल्य 32 सूचकांक अंकों तक गिर गया, जिससे आवेदकों को उत्पाद घाटे में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- xxxiv. इस अनुरोध पर कि कच्चे माल की कीमतों ने प्रदर्शन को प्रभावित किया है, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि ने संबद्ध देशों के उत्पादकों को समान रूप से प्रभावित किया है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के दावे पर कोई जानकारी नहीं दी है। एक्रिलोनाइट्राइल के उपभोग मूल्य और खरीद मूल्य के बीच [***] का अंतर है।

xxxv. कच्चे माल, उपयोगिताओं, उपभोग्य सामग्रियों, वेतन, प्रारंभिक पैकिंग और बिक्री उपरिव्यय की लागत व्यय का 90% है। कम निर्यात और आंतरिक हस्तांतरण के कारण उत्पादन में गिरावट से उच्च स्थिर लागत नहीं हो सकती है जो घरेलू बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।

xxxvi. वार्षिक रिपोर्ट में बयानों पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, जबकि प्राधिकारी क्षति की तुलना में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन और घरेलू संचालन से चिंतित है, जबकि वार्षिक रिपोर्ट विचाराधीन उत्पाद और कंपनी के समग्र संचालन पर ध्यान केंद्रित करती है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

78. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का संज्ञान लिया है और प्रयोज्य कानूनों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण में आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख किया गया है।
79. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने उच्च कीमतों पर एकीलोनाइट्राइल की अधिप्राप्ति की है जिस कारण लागतों में वृद्धि हुई, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने लेखा बही से प्राप्त जानकारी पर भरोसा किया है। यह प्राधिकारी के अभ्यास के अनुरूप है। बिक्रियों की लागत को पूर्ण वर्ष के लिए कच्चे माल की खपत कीमत के आधार पर परिकलित किया गया है।
80. जहां तक वार्षिक रिपोर्टों में विवरणों पर अनुरोधों का संबंध है, जिनमें कहा गया है कि प्राकृतिक फाइबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा और उत्पाद की मांग में गिरावट क्षति का मामला है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए कथन कंपनी के समग्र निष्पादन और उत्पादनों से संबंधित वर्तमान वृहत-आर्थिक स्थिति से संबंधित हैं। निष्पादन जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के प्रदर्शन और कैसे आयातों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है, का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि उत्पाद की मांग या खपत में गिरावट आई है। हालांकि, इसके बावजूद संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। अतः, पाटित कीमत पर आयातों में वृद्धि, जब कि मांग में गिरावट आई है, यह स्थापित करता है कि पाटन ने घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय क्षति पहुंचाई है। यह भी देखा गया है कि आवेदकों में से एक (इंडियन एक्रेलिक्स लिमिटेड) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, कम कीमत वाले आयातों की क्षति के एक कारण के रूप में पहचान की है। यह भी प्रासंगिक है कि प्राधिकारी पाटन के मार्जिन से चिंतित हैं न कि पाटन के कारणों से, जबकि वार्षिक रिपोर्टें शेयर-धारकों के लाभ के लिए इन कारणों को बता सकती हैं।
81. जहां तक क्षमता में वृद्धि के बिना नियोजित पूंजी में वृद्धि संबंधी अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी में परिवर्तन घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के कारण है। घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित निवल निर्धारित परिसंपत्तियों में वास्तव में

गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी में वृद्धि को क्षमता में वृद्धि तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। नियोजित पूंजी में वृद्धि बहुत से कारणों की वजह से भी हो सकती है जैसे संयंत्र और मशीनरी में परिवर्तन, कार्यशील पूंजी में वृद्धि, आदि। वर्तमान मामले में, नियोजित पूंजी में इस कारण वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग की कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई है, जिसके कारण नियोजित पूंजी में भी वृद्धि हुई है।

82. इस अनुरोध के बारे में कि केवल इंडियन एक्रेलिक्स लिमिटेड ने ही हानि उपगत की है जबकि अन्य दो आवेदकों ने लाभ दर्शाया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 11(2) के अनुसरण में, क्षति का आकलन समग्र रूप में घरेलू उद्योग पर आधारित होना चाहिए, पृथक कंपनियों पर आधारित होने की बजाय। चूंकि घरेलू उद्योग को इंडियन एक्रेलिक्स लिमिटेड और पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, क्षति विश्लेषण को इन दोनों उत्पादकों के लिए संग्रहित रूप से आयोजित किया गया है। इसके अलावा, जब अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया गया है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से यह देखा जा सकता है कि दोनों, पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड और वर्धमान एक्रेलिक्स लिमिटेड, ने भी लाभों में गहरी गिरावट का अनुभव किया है।

83. हितबद्ध पक्षकारों और आवेदकों द्वारा यह कहा गया है कि निष्पादन कोविड-19 द्वारा भी प्रभावित हुआ था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोविड-19 की स्थितियां वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अभिभावी थीं। आवेदकों ने भी अनुरोध किया है कि तुलना 2022-23 से की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि को निर्धारित करने तथा क्षति आकलन के लिए सम्पूर्ण क्षति अवधि को निर्धारित करने का प्रयोजन चार वर्षों की संपूर्ण अवधि के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करना है। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना आधार वर्ष से की है। तथापि, बीच की अवधि में निष्पादन को भी क्षति विश्लेषण में उचित महत्व दिया गया है।

संचयी आकलन

84. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामले में जहां किसी एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात एक ही समय पाटनरोधी जांच के अध्यधीन हैं, तो वहां प्राधिकारी ऐसे आयात के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित करता है कि:-

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत से कम है, तो आयात को संचयी रूप से समान वस्तु के कुल आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

- (ख) आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है।

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:-

- (क) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटन की मात्रा नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा पृथक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।
- (ग) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी।

86. जहां तक इस दावे का संबंध है कि पेरू से आयात और अन्य संबद्ध देशों से आयातों के बीच प्रतिस्पर्धी स्थितियों में अंतर के कारण पेरू से आयातों का संचयी रूप से आकलन नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि प्रयोक्ता पेरू तथा अन्य संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की अधिप्राप्ति कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि पेरू और अन्य संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की कीमत में एक साथ वृद्धि हुई है। इसलिए, प्राधिकारी पेरू और अन्य संबद्ध देशों से आयातों में कमी करना उचित नहीं समझते।

87. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करना उचित है।

88. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत करते हैं: *"..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

ज.4.1 मांग का आकलन/स्पष्ट खपत

89. भारत में उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने आवेदकों की घरेलू बिक्रियों और संबद्ध देशों से आयातों और अन्य देशों से आयात के जोड़ पर विचार किया है:-

90.

क्र.सं.	मांग/खपत	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	127	102
2	वर्धमान एक्रेलिक्स लिमि. की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	72	112	101
3	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	11,859	14,778	14,164	19,235
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	24,456	14,819	6,545	6,366
5	भारत में कुल मांग	एमटी	1,02,846	91,348	1,02,414	93,366
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	89	100	91

विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2021-22 में गिरावट आई, 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान इसमें दुबारा गिरावट आई। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उत्पाद के स्वरूप को देखते हुए, इसकी मांग चक्रीय प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। आवेदकों ने उत्पाद के लिए मांग के इतिहास पर सूचना उपलब्ध कराई है, जो दर्शाता है कि जहां कुछ विशेष वर्षों में मांग में गिरावट आई है, बाद के वर्षों में इसमें तदनुरूपी गिरावट आई है।

ज.4.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा का प्रभाव

91. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में कुल रूप में या तो उत्पादन के सापेक्ष पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी.जी. सिस्टम आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
क	आयात मात्रा					
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	11,859	14,778	14,164	19,235
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	24,456	14,819	6,545	6,366

3	कुल आयात	एमटी	36,315	29,597	20,709	25,601
ख	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
1	भारत में खपत	%	12%	16%	14%	21%
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	140	120	179
2	भारत में उत्पादन	%	22%	30%	19%	34%
	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	138	90	159
3	कुल आयात	%	33%	50%	68%	75%

92. यह देखा गया है कि-

- क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2021-22 में वृद्धि हुई, 2022-23 में इसमें बहुत मामूली गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें दुबारा महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- ख. जहां संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, वहीं अन्य देशों से आयातों में वर्ष 2022-23 में जांच की अवधि में बहुत मामूली सी वृद्धि के साथ गिरावट आई है।
- ग. संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने और जांच की अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में गिरावट आने के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- घ. संबद्ध देशों से आयातों में कुल रूप में तथा साथ ही उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में 2021-22 में वृद्धि हुई थी, 2022-23 में इसमें गिरावट आई और तब जांच की अवधि में इसमें दुबारा वृद्धि हुई। जांच की अवधि के दौरान कुल रूप में और सापेक्ष रूप में आयात उच्चतम स्तर पर रहे हैं।
- ड. जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 33% से बढ़कर 75% हो गया। संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

93. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि थाइलैंड में केवल एक उत्पादक है अर्थात् थाई एक्रेलिक्स लिमिटेड (टीएएफ)। थाइलैंड दो से अधिक दशकों से पाटनरोधी उपायों के अधीन था। टीएएफ केवल 5000 मी.टन की घरेलू मांग के प्रति 1,15,000 एमटी की उत्पादन क्षमता के साथ थाइलैंड में एकमात्र उत्पादक है। टीएएफ ने आरंभ में 14,000 मी.टन उत्पादन क्षमता स्थापित की थी। इसने घरेलू मांग में किसी तदनुरूपी वृद्धि के बिना लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाना जारी रखा। उत्पादक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, यह देखा गया कि [***] एमटी की क्षमता के विरुद्ध घरेलू बिक्रियां [***] एमटी हैं। यह दावा किया

गया है कि थाईलैंड से भारत को किए गए निर्यात की कीमत लगातार अन्य बाजारों को किए गए निर्यातों की कीमत से कम रही है। नीचे दी गई तालिका थाईलैंड से भारत को और बाकी विश्व को किए गए निर्यातों की कीमतों को दर्शाती है:-

क्र.सं.	माह	यूओएम	भारत	शेष विश्व	अंतर
1	अप्रैल -23	रु./एमटी	1,73,173	1,79,791	6618
2	मई -23	रु./एमटी	1,66,467	1,77,866	11399
3	जून-23	रु./एमटी	1,48,501	1,63,315	14814
4	जुलाई-23	रु./एमटी	1,31,911	1,49,934	18024
5	अगस्त-23	रु./एमटी	1,32,606	1,41,138	8532
6	सितंबर-23	रु./एमटी	1,30,892	1,43,469	12577
7	अक्तूबर-23	रु./एमटी	1,38,971	1,43,999	5028
8	नवंबर-23	रु./एमटी	1,48,012	1,58,205	10193
9	दिसंबर-23	रु./एमटी	1,37,731	1,51,146	13416
10	जनवरी-24	रु./एमटी	1,39,831	1,48,796	8964
11	फरवरी-24	रु./एमटी	1,46,092	1,51,754	5662
12	मार्च -24	रु./एमटी	1,44,624	1,51,787	7163

स्रोत: आवेदकों के एचएस कोड 550130 और 550330 द्वारा उपलब्ध कराया गया ट्रेड मैप डेटा (लिखित अनुरोध)।

94. यह भी अनुरोध किया गया है कि चीन पहले उत्पाद का एक शुद्ध आयातक था। हालांकि, चीनी उत्पादकों ने महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं स्थापित कर ली हैं। परिणामस्वरूप, चीन ने शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदलाव किया है। चीन द्वारा आयातों की मात्रा में 2015 से 139 केटी से 2022 में 22 के टी में गिरावट आई है।

ज.4.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

95. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमत में ह्रास किया है या कीमत में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा सामान्य क्रम में घटित हुआ होता। कीमत कटौती और कीमत में ह्रास/गिरावट, यदि कोई हो, के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव हुआ है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और

घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

96. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन हेतु, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूलियों की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत में कटौती करने वाले प्रभावों को निम्नानुसार तैयार किया गया है:-

97. नीचे दी गई तालिका थाईलैंड से आयातों के संबंध में कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र. सं.	थाईलैंड	आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रु./एमटी	पहुंच कीमत रु./एमटी	कीमत कटौती	
					रु./एमटी	%
1	पी 11	***	***	1,31,585	***	***
2	पी 12	***	***	1,58,461	***	***
3	पी 21	-	***	-	-	-
4	पी 22	-	***	-	-	-
5	कुल	12,144	***	1,58,415	***	(0-5)%

98. यह भी देखा गया है कि थाईलैंड से प्रतिभागी उत्पादक ने अपने प्रश्नावली उत्तर में इनवॉयसिंग के पश्चात छूट की सूचना दी है। हालांकि, डी.जी. सिस्टम सौदावार आंकड़ों में इन छूटों को ध्यान में नहीं रखा गया है। चूंकि, थाईलैंड के मामले में केवल एक उत्पादक है, प्राधिकारी ने दायर किए गए उत्तर के आधार पर ही थाईलैंड के लिए कीमत कटौती को निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। कटौती को नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	थाईलैंड	आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रु./एमटी	पहुंच कीमत रु./एमटी	कीमत कटौती	
					रु./एमटी	%
1	पी 11	***	***	***	***	***
2	पी 12	***	***	***	***	***
3	पी 21	***	***	***	***	***
4	पी 22	***	***	***	***	***
5	कुल	***	***	***	***	0-5%

99. नीचे दी गई तालिका चीन और पेरू के लिए कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र. सं.	चीन	आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रु./एमटी	पहुंच कीमत रु./एमटी	कीमत कटौती	
					रु./एमटी	%
1	पी 11	-	-	-	-	0%
2	पी 12	5,353	***	1,57,153	***	***
3	पी 21	-	-	-	-	0%
4	पी 22	-	-	-	-	0%
5	कुल	5,353	***	1,57,153	***	(0-5)%

क्र. सं.	पेरू	आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रु./एमटी	पहुंच कीमत रु./एमटी	कीमत कटौती	
					रु./एमटी	%
1	पी 11	138	***	77,688	***	***
2	पी 12	1,600	***	1,05,295	***	***
3	पी 21	-	-	-	-	0%
4	पी 22	-	-	-	-	0%
5	कुल	1,737	***	1,03,106	***	50-60%

100. नीचे दी गई तालिका समग्र रूप में संबद्ध देशों के लिए भारांशित औसत कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र.सं.	कुल	आयात मात्रा एमटी में	बिक्री कीमत रु./एमटी	पहुंच कीमत रु./एमटी	कीमत कटौती	
					रु./एमटी	%
1	पी 11	***	***	***	***	***
2	पी 12	***	***	***	***	***
3	पी 21	-	-	-	-	-
4	पी 22	-	-	-	-	-
	कुल	***	***	***	***	0-10%

101. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की भारांशित औसत पहुंच कीमत समग्र रूप में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

ख. कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण

102. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण स्तर तक ऐसी कीमतों में गिरावट कर रहा है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है जो अन्यथा सामान्य क्रम में घटित हुआ होता, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की नीचे दिए गए अनुसार जांच की गई है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020- 21	2021- 22	2022- 23	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	137	116
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	145	132	104

103. यह देखा गया है कि:-

- क. वर्ष 2021-22 में, आवेदकों की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, किन्तु बिक्री कीमत में बिक्रियों की लागत के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। यह कहा गया कि यह कोविड-19 के प्रभाव के कारण था।
- ख. वर्ष 2022-23 में, जहां बिक्रियों की लागत में 21 सूचकांक बिंदुओं की गिरावट आई थी, आवेदकों की बिक्री कीमत में केवल 13 सूचकांक बिंदुओं की गिरावट आई। घरेलू उद्योग इस अवधि में एक उचित लाभ प्राप्त करने में समर्थ था।
- ग. जांच की अवधि में, बिक्रियों की लागत में 21 सूचकांक बिंदु गिरावट आई, किन्तु बिक्री कीमत में 28 सूचकांक बिंदु की गिरावट हुई। घरेलू उद्योग ने इस अवधि में हानि का सामना किया है।
- घ. जब क्षति अवधि के दौरान देखने पर तो, घरेलू उद्योग की लागत 16 सूचकांक बिंदु बढ़ी है लेकिन बिक्री कीमत में 4 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

104. यह देखा गया है कि जब क्षति अवधि के दौरान देखा जाए तो जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है।

ज.4.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

105. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष जाँच में कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों की वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें

बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में किए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की उद्देश्यपरक जांच की है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

106. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में आवेदकों की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	90	133	102
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	90	133	102
7	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	127	102
9	मांग	एमटी	1,03,129	91,845	1,03,275	94,803
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	89	100	92

107. यह देखा गया है कि:-

- क. घरेलू उद्योग के पास क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर बनी रही है। यह देखा गया है कि भारतीय उद्योग के पास देश में पूरी मांग को वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2021-22 में गिरावट आई किन्तु 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई। जांच की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में एक बार फिर गिरावट आई है।

- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 2021-22 में मामूली वृद्धि हुई और 2022-23 में दोबारा वृद्धि हुई। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- घ. जहां विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि में 8% की गिरावट आई है वहीं उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में क्रमशः 30% और 24% की कमी आई है।
- ड. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग को उत्पाद के पाटन के कारण जांच की अवधि के दौरान [***] दिनों से अधिक दिनों के लिए अपने प्रचालन को बन्द करने के लिए विवश होना पड़ा

ख. बाजार हिस्सा

108. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, वर्धमान एक्रेलिक लिमिटेड और संबद्ध और असंबद्ध देशों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

क्र.सं.	निम्न का बाजार हिस्सा	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	127	113
3	वर्धमान एक्रेलिक लिमिटेड	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	81	112	111
5	भारतीय उद्योग	%	65%	68%	80%	73%
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	123	112
7	संबद्ध देशों से आयात	%	12%	16%	14%	21%
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	140	120	179
9	अन्य देशों से आयात	%	24%	16%	6%	7%
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	68	27	29

109. यह देखा गया है कि 2021-22 और 2022-23 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। तथापि, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से 2022-23 तक वृद्धि हुई किन्तु जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2021-22 में वृद्धि हुई है, 2022-23 में गिरावट आई किन्तु जांच की अवधि में इसमें तीव्र वृद्धि हुई।

ग. मालसूची

110. क्षति अवधि में आवेदकों के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	प्रारंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
2	अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
3	औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	60	57	68

111. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में 2021-22 में गिरावट आई और 2022-23 में इसमें और अधिक गिरावट आई। जांच की अवधि में औसत मालसूची में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग द्वारा कटौती किए गए उत्पादन के साथ क्षति अवधि में मालसूची के स्तर में गिरावट आई है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

112. लाभप्रदता, लाभों, नकद लाभों, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में आवेदकों के निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	रु./ एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	5	82	-21
3	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	5	104	-21
5	प्रति यूनिट नकद लाभ	रु./ एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	16	79	-10
7	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	16	100	-11
9	पीबीआईटी प्रति यूनिट	रु./ एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	34	79	18
11	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	35	100	19
13	आरओसीई	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	35	81	15

113. यह देखा गया है कि:-

- क घरेलू उद्योग के लाभों में 2021-22 में तीव्र गिरावट आई जबकि संबद्ध आयातों में मांग में गिरावट के बावजूद वृद्धि हुई। लाभों में 2022-23 में वृद्धि हुई जब मांग में वृद्धि हुई किंतु संबद्ध आयात समान स्तर पर बने रहे। वर्ष 2022-23 तक घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था।
- ख मांग में गिरावट के बावजूद, जांच की अवधि में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग के लाभों में तीव्र गिरावट आई और घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानियों का सामना किया।
- ग नकद लाभ और पीबीआईटी ने समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया जो कर पूर्व लाभ में किया गया था। नकद लाभ और पीबीआईटी में 2021-22 में गिरावट आई, 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई और तब जांच की अवधि के दौरान इसमें गहन गिरावट आई। घरेलू उद्योग नकद हानियों के साथ प्रचालन कर रहा है और जांच की अवधि में इसका पीबीआईटी निम्नतम रहा है।
- घ पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पूंजी निवेशों पर आय में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी निम्नतम आय दर्ज की है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

114. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	98	98
3	वेतन तथा मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	116	123	113
5	दैनिक उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	90	133	102
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	94	136	105

115. यह देखा गया है कि:-

- क. घरेलू उद्योग के पास कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2020-21 में गिरावट आई किन्तु 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई। हालांकि, जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में मामूली गिरावट आई। कुल मिलाकर, कर्मचारियों की संख्या समान स्तर पर बनी रही।
- ख. वर्ष 2021-22 में उत्पादन में गिरावट आई, 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई और तब जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। उत्पादकता की प्रवृत्तियां वही बनी रही हैं, जैसी कि उत्पादन में प्रवृत्तियां थीं।
- ग. वर्ष 2021-22 में मजदूरियों में वृद्धि हुई, 2022-23 में इसमें और अधिक वृद्धि हुई किन्तु जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।
- घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मापदंड विभिन्न अन्य मापदंडों पर आधारित हैं और उद्योग पर पाटन के सीधे प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते।

च. संवृद्धि

116. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों की मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में आवेदकों की वृद्धि नीचे तालिका में दिए गए अनुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई
1	उत्पादन	वर्ष/वर्ष	-10%	47%	-23%
2	क्षमता उपयोग	वर्ष/वर्ष	-10%	47%	-23%
3	घरेलू बिक्री मात्रा	वर्ष/वर्ष	1%	26%	-19%
4	मालसूची	वर्ष/वर्ष	-40%	-6%	19%
5	प्रति यूनिट लाभ	वर्ष/वर्ष	-95%	1513%	-125%
6	पीबीआईटी प्रति यूनिट	वर्ष/वर्ष	-66%	130%	-77%
7	प्रति यूनिट नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	-84%	386%	-113%
8	नियोजित पूंजी पर आय	वर्ष/वर्ष	-65%	134%	-81%

117. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है। पीओआई में संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि के साथ साथ, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, प्रति यूनिट लाभ, प्रति यूनिट पीबीआईटी, प्रति यूनिट नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक थी।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

118. पाटन की मात्रा उस सीमा का सूचक है जिस तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। जांच यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा है।

ज. पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता

119. मात्रा और कीमत, खातों दोनों पर घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। चूंकि, संबद्ध देशों से आयात कीमत में गिरावट आई, जिस कारण घरेलू उद्योग को हानियों, नकद हानियों और निवेश पर निम्न आय का सामाना करना पड़ा। अतः, पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है।

झ. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

120. डी.जी. सिस्टम आयात आंकड़ों की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से भारांशित आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से निम्न है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में परिवर्तन करने में अक्षम रहा है। संबद्ध देशों से निम्न कीमत वाले आयातों के कारण आयातों का कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयातों ने आवेदकों की कीमतों को प्रभावित किया है।

ञ. क्षति पर निष्कर्ष

121. उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:-

- क. कुल रूप में साथ ही उत्पादन और खपत के संबंध में भी, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में समर्थ नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो गई है।
- घ. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि में स्थिर बनी रही है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।
- ङ. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन बन्द करने के लिए विवश होना पड़ा।
- च. जांच की अवधि में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। जांच की अवधि में भारतीय बाजार के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है।
- छ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है।

- ज. घरेलू उद्योग वित्तीय हानियों का सामना कर रहा है। नकद लाभ जांच की अवधि के दौरान ऋणात्मक हो गया है और ब्याज पूर्व लाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में अपनी निम्नतम आय दर्ज की है।
- झ. घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत मापदंडों, दोनों में ऋणात्मक वृद्धि देखी है।
- ञ. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- ट. संबद्ध देशों से पाटन ने पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित किया है।
- ठ. पाटित आयातों की भारांशित औसत पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला यह एकमात्र कारक है।

122. प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग ने उल्लेखनीय क्षति का सामना किया है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोप्य विश्लेषण

123. प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों के अलावा, अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच किए जाने की जरूरत है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण उत्पन्न क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जा सके। इस संबंध में संगत माने जा सकने वाले कारकों में अन्यो के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों में परिवर्तन और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी व निर्यात निष्पादन तथा आवेदकों की उत्पादकता में परिवर्तन को शामिल किया जा सकता है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध कारक आवेदकों द्वारा झेली गई क्षति में योगदान कर सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

124. संबद्ध देशों से आने वाले आयात भारत में आने वाले आयातों का 74% हिस्सा बनते हैं। अन्य देशों से आने वाली संबद्ध वस्तुओं के आयात या तो (क) गैर-महत्वपूर्ण मात्राओं पर अथवा (ख) उच्च कीमतों पर किए गए हैं और इसलिए ये घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। इसके अलावा, जहां संबद्ध आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, वहीं अन्य देशों से आयातों में तीव्र गिरावट आई है।

ख. मांग में संकुचन

125. विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि और क्षति अवधि में गिरावट आई है। मांग में गिरावट के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में गिरावट मांग में गिरावट की तुलना में कहीं अधिक उच्च है। मांग में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग और संबद्ध आयातों, दोनों में गिरावट दिखनी चाहिए थी। जहां मांग में लगभग 8000 एमटी की गिरावट आई थी वहीं संबद्ध आयातों में 6000 एमटी की वृद्धि हुई और भारतीय उद्योग

की बिक्री में 14,000 एमटी की कमी हुई। अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी बिक्री मात्राओं की हानि उठाई है। इसलिए, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का प्रमुख कारण नहीं हो सकती।

ग. खपत की पद्धति में परिवर्तन

126. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई ज्ञात भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

127. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा के संबंध में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। अतः, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ङ. प्रौद्योगिकी का विकास

128. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी का विकास होने से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

च. निर्यात निष्पादन

129. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालनों को क्षति होने से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

130. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों का निष्पादन क्षति होने का संभावित कारण नहीं है।

ज. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

131. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

क. संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर हैं।

- ख. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम है।
- ग. सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत में गिरावट के चलते आवेदकों के लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- घ. कम कीमत के आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता हानि में परिवर्तित हो गई।
- ङ. पाटित आयातों में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बाजार अंश में गिरावट आई है।

132. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

133. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर आवेदकों के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत के संबंध में सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए, विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत के साथ क्षतिरहित कीमत की तुलना की गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री और यूटिलिटी के सर्वोत्तम उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर आवृत्ति व्यय और/ अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/ अथवा क्षतिरहित कीमत से अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) अनुमत किया गया है ताकि ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली हो सके और नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत प्राप्त हो सके।

134. उपरोक्तानुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना पीसीएन आधार पर की गई है। प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन का भारित औसत नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी यूएस	पहुंच कीमत यूएस	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन रेंज
----------	-------	-------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------

		डॉलर/ मी. टन	डॉलर/ मी. टन	यूएस डॉलर/ मी. टन	%	
क	चीन					
1	जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कं. लिमि., जिलिन क्यूफेंग केमिकल फाइबर कं. लिमि. और जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप आई/ई कं. लिमि.	***	***	***	***	0-10%
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20%
ख	थाइलैंड					
1	थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लिमि.	***	***	***	***	0-10%
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20%
ग	पेरू					
1	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	110- 120%

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक 1,300 से 1,500 लोगों को रोजगार देते हैं, जबकि 30-40 कताई मिलें अर्ध-संगठित क्षेत्रों में 40,000-50,000 श्रमिकों को रोजगार देती हैं और स्वेटर व शॉल की बुनाई करने वाले एमएसएमई/ एसएमई 7,500-10,000 श्रमिकों को रोजगार देते हैं, जिनमें करीब 10 लाख लोग लगे हुए हैं। इन उद्योगों पर इन उपायों के लागू होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- ii. पिछले शुल्कों से आवेदक को काफी लाभ कमाने का अवसर मिला था।
- iii. पिछले शुल्कों से उत्पाद पर ऐतिहासिक रूप से यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे स्वेटर/शॉल का उत्पादन जैसे कि भारत के डाउनस्ट्रीम उद्योग चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं। इससे घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने से पिछली चुनौतियों की पुनरावृत्ति होगी।
- iv. वर्धमान भी यार्न के उत्पादन में है और यदि पाटन रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो उपयोगकर्ता आवेदकों द्वारा बिक्री किए जाने वाले यार्न के साथ कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। चूंकि आवेदक डाउनस्ट्रीम उत्पाद के उत्पादन में हैं, अतः उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा।
- v. विचाराधीन उत्पाद यार्न के लिए मुख्य कच्ची सामग्री है। यह उत्पाद डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की लागत का 60-70% है और 5-80% की रेंज में अपेक्षित पाटन रोधी शुल्क का 4-48% की रेंज में प्रभाव पड़ेगा। उपयोगकर्ता आयातित यार्न अथवा तैयार माल की ओर अपना रुख करेंगे।
- vi. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित न होने वाले विशेष ग्रेड के आयात को रोकने का प्रयास है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि इस तरह की कार्रवाइयां उपभोक्ताओं के विकल्प को सीमित करती हैं और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए इनपुट लागत में वृद्धि होती है।
- vii. पाटन रोधी शुल्क लगाने से उन भारतीय उपयोगकर्ताओं को अनुचित रूप से दंडित किया जाएगा जो इन स्रोतों से उच्च-गुणवत्ता के अथवा विशिष्ट ऐक्रेलिक के फाइबर पर निर्भर हैं।
- viii. शुल्क लगाए जाने से कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि होगी।
- ix. डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 10 लाख रोजगार प्रदान करता है।
- x. पाटन रोधी शुल्क भारतीय उद्योग के लिए सहायक नहीं होगा क्योंकि स्थानीय फाइबर की कीमतों में पाटन रोधी शुल्क सहित आयातित कीमतों के समान वृद्धि हो जाएंगी। इससे यार्न की कीमतों में वृद्धि होगी और इस प्रकार फैब्रिक उत्पादक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछे रह जाएंगे।

- xi. वस्त्र मंत्रालय ने भी यह स्वीकार किया है कि ऐक्रेलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क से ऐक्रेलिक यार्न की मूल्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उसने वित्त मंत्रालय से ऐसे शुल्कों को हटाए जाने की सिफारिश की है।
- xii. ऐक्रेलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क होने से कताई मिलें और उनके डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता समाप्त हो जाएंगे, जिनमें कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है।

ज.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

136. आवेदकों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. रिकार्ड में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि शुल्क लगाए जाने से उपयोगकर्ता के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि शुल्क दो दशकों से भी अधिक समय से शुल्क लागू रहे हैं। अंतिम उपयोग उत्पाद पर पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव बहुत ही कम है।
- ii. भारत इस उत्पाद में आत्मनिर्भर है और आवेदकों के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।
- iii. केवल जांच की अवधि में ही संबद्ध देशों से आयात मूल्य 310 करोड़ रुपये है। क्षति अवधि में आयात मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक है।
- iv. वर्ष 2021-22 में, आयात कीमत करीब 2,00,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी, जो अब कम होकर 1,50,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई हैं। विगत उच्च आयात कीमतों का उपयोगकर्ता उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि पाटनरोधी उपायों का उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
- v. संबद्ध देशों के उत्पादक केवल राजस्व को अधिकाधिक करने पर ही काम करते हैं। वे बेहतर कीमतों के लिए बाजारों को बदल सकते हैं। दूसरी ओर, आवेदक, उपभोक्ताओं की तरह ही राष्ट्रीय क्षेत्र में होने के कारण, उपभोक्ता के हितों को प्राथमिकता देंगे।
- vi. आवेदकों ने इस व्यवसाय से अर्जित लाभ से विभिन्न सामाजिक गतिविधियां की हैं। यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो आवेदकों के लाभों में कमी हो जाएगी, जिससे आवेदकों द्वारा की गई

सभी पहलों पर प्रभाव पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क उत्पादकों, उपभोक्ताओं और आम जन के हित में है।

- vii. पाटनरोधी उपाय कोई सुरक्षा नहीं है, बल्कि यह भारतीय बाज़ार में अनुचित कीमत के निर्धारण को दुरुस्त करने का एक उपाय है। इसके बजाय, पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन ही संबद्ध देशों के उत्पादकों के निर्यातकों द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकना है।
- viii. इस तर्क के संबंध में कि कताई मिलें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं, तो कताई मिलें विशेष रूप से ऐक्रेलिक फाइबर में काम नहीं कर रही हैं। उनके लिए ऐक्रेलिक फाइबर मात्र एक उत्पाद है।
- ix. क्षति अवधि के दौरान थाईलैंड से आयात की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को कीमतों के परिवर्तन पर तुरंत प्रतिक्रिया करने का अवसर मिला। इसके विपरीत, प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के कारण कीमतों में परिवर्तन नगण्य होंगे और उपभोक्ता कीमत में इस वृद्धि को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं।
- x. धागे की बिक्री कीमत में यार्न की खरीद कीमत के अनुरूप परिवर्तन यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं के पास अपनी बिक्री कीमत को तदनुसार समायोजित करने की क्षमता है।
- xi. घरेलू उद्योग निष्क्रिय क्षमताओं के साथ संचालित होता है; अतः उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति में बाधा आने का सामना नहीं करना पड़ेगा। घरेलू उद्योग को यदि 88% क्षमता पर संचालित किया जाए, तो वह पूर्ण आयात मात्रा की सीमा तक आपूर्ति करने में सक्षम होगा।
- xii. घरेलू उद्योग के अलावा आपूर्ति के कई अन्य स्रोत भी हैं। घरेलू उद्योग आयात पर प्रतिबंध नहीं चाहता, अपितु वह उचित, बिना पाटन की कीमत चाहता है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में कोई कमी न हो।
- xiii. वर्धमान ऐक्रेलिक लिमिटेड (वीएएल), जो फाइबर का उत्पादन करती है, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड (वीटीएल), जो फाइबर की खपत करती है, से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। वीएएल द्वारा वीटीएल को की गई बिक्री औपचारिक कीमतों पर और बाजार कीमतों पर होती है। वीटीएल की बाजार स्थिति अन्य यार्न उपभोक्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। फाइबर

और यार्न का उत्पादन समूह के भीतर अलग-अलग गतिविधियां हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि समूह को यार्न कंपनी को फाइबर की क्रॉस सब्सिडी का सहारा लेना चाहिए।

- xiv. पेरू पर 80% शुल्क का अर्थ फाइबर की कीमतों में 80% की वृद्धि नहीं है। 5% शुल्क का भी यार्न की कीमतों पर 4% प्रभाव नहीं होगा, यह देखते हुए कि यार्न की लागत का 60% हिस्सा है।
- xv. गंगा एग्रोवूल्स लिमिटेड के वित्तीय परिणाम यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता 3-4% तक लागत वृद्धि को वहन कर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से, यार्न और फाइबर की कीमतों में साथ साथ ही वृद्धि होती है। यार्न के उपभोक्ता फाइबर की कीमत को डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर डाल देते हैं।
- xvi. डाउनस्ट्रीम उत्पादों में यार्न की लागत 60-80% तक होती है; अतः यार्न की कीमतों में 3-4% की वृद्धि होने से गारमेंट की कीमतों में करीब 2% तक की वृद्धि होगी, जिसे उपभोक्ता आसानी से वहन कर लेंगे।
- xvii. जहाँ डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयातों पर 20% का मूल सीमा शुल्क लगता है, वहीं ऐक्रेलिक फाइबर पर केवल 5% का शुल्क लगता है। डाउनस्ट्रीम उद्योग पहले से ही मूल सीमा शुल्क के माध्यम से संरक्षित हैं।
- xviii. यदि यार्न पर मूल सीमा शुल्क कम भी कर दिया जाए, तो भी यार्न उद्योग उसे वहन कर सकेगा।
- xix. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क अथवा कीमत वृद्धि का भार अपने ऊपर न डालने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
- xx. वस्त्र मंत्रालय की सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं, जिनमें कि ऐक्रेलिक फाइबर पर पाटनरोधी उपायों को हटाए जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है, ।
- xxi. वस्त्र मंत्रालय ने सभी हितधारकों के विचार लिए बिना ही सिफारिशें की हैं क्योंकि आवेदकों से कोई इनपुट नहीं लिए गए थे। घरेलू उद्योग वस्त्र मंत्रालय को ये तथ्य स्पष्ट करने से वंचित रह गया और हितद्ध पक्षकारों द्वारा वस्त्र मंत्रालय को गुमराह किया गया।
- xxii. गंगा एग्रोवूल्स लिमिटेड (एक प्रमुख उपयोगकर्ता) के वित्तीय विवरणों की लंबी अवधि तक चली जांच से पता चलता है कि इसका प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में एक समान ही रहा है। शुल्कों को

हटाए जाने के बाद उनके प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं आया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इन शुल्कों का उनके प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

xxiii. भारत के अलावा, ऐक्रेलिक फाइबर के प्रमुख उपभोक्ता बाजार चीन और तुर्की हैं और इन देशों में कीमत भारतीय बाजार की तुलना में अधिक है। इन देशों के उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से भारतीय उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक कीमत पर ऐक्रेलिक फाइबर मिल रहा है। तथापि, इन देशों के उपभोक्ता अप्रतिस्पर्धी नहीं हुए हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख देशों में ऐक्रेलिक फाइबर की औसत आयात कीमत दर्शायी गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऐक्रेलिक फाइबर की कीमतें केवल भारतीय बाजार में ही कम हैं।

क्र. सं.	वर्ष	यूओएम	भारत में आयात कीमत	तुर्की में आयात कीमत	चीन में आयात कीमत	वैश्विक आयात कीमत (भारत के अलावा)
1	2014	रु./ मी. टन	1,69,105	1,63,807	2,01,924	1,90,693
2	2015	रु./ मी. टन	1,41,253	1,42,603	1,72,956	1,70,776
3	2016	रु./ मी. टन	1,15,916	1,36,173	1,47,298	1,50,961
4	2017	रु./ मी. टन	1,34,838	1,47,289	1,54,009	1,62,668
5	2018	रु./ मी. टन	1,68,790	1,73,104	1,96,006	2,02,026
6	2019	रु./ मी. टन	1,46,519	1,58,652	1,99,129	1,96,632
7	2020	रु./ मी. टन	1,23,714	1,31,966	1,92,701	1,83,435
8	2021	रु./ मी. टन	1,79,550	2,17,782	2,27,468	2,38,561
9	2022	रु./ मी. टन	2,20,416	2,45,933	2,92,354	2,72,811
10	2023	रु./ मी. टन	1,71,674	1,90,181	2,41,091	2,42,609
11	2024	रु./ मी. टन	1,68,247	1,75,038	2,60,840	2,47,472

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

137. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लागू करना जन हित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकार्ड और हितों के संबंध में सूचनाओं पर विचार किए जाने के आधार पर किया गया है।

138. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें कि उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क का भावी प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अदला-बदली, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव और उन कारकों के संबंध में सूचना की मांग की, जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न हुई नई स्थिति के साथ समायोजन करने में तेजी अथवा विलंब हो सकता है।
139. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना होता है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनः स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है।
140. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जिसे इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजा गया था। आवेदकों के अलावा, भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं ने भी प्रश्नावली दाखिल की है। तथापि, केवल आवेदकों ने ही प्रस्तावित उपायों के प्रभाव का परिकलन किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तथापि, विगत तीन वर्षों में उत्पाद की कीमतों में काफी गिरावट आई है। कीमतें अभी भी विगत कीमतों से काफी कम रहेंगी। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क से यह सुनिश्चित होता है कि विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बना रहे।
141. इस अनुरोध के संबंध में कि उत्पाद पर विगत शुल्क लागू के कारण यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह पता चल सके कि पहले लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि यार्न की कीमतें फाइबर की कीमतों के अनुरूप रहती हैं, और इसलिए अंतिम उत्पाद पर प्रभाव का निर्धारण किया जाना चाहिए। जहां तक अंतिम उत्पाद का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का अंतिम उत्पाद पर प्रभाव नगण्य होगा।

क्र. सं.	विवरण		मूल्य
1	मूल स्वेटर की कीमत, रु. प्रति पीस	ए	600

2	स्वेटर में ऐक्रेलिक फाइबर का अंश	बी	30%
3	ऐक्रेलिक फाइबर की कीमत में वृद्धि	सी	6%
4	ऐक्रेलिक फाइबर का आयात मूल्य	डी	154
5	स्वेटर में ऐक्रेलिक फाइबर की लागत में वृद्धि	ई = बी X सी X डी	2.77
6	लागत में वृद्धि का प्रभाव	एफ = ई/ ए	0.46%

142. उपयोगकर्ताओं का यह कहना है कि वे बहुत ही कम मार्जिन पर काम करते हैं। तथापि उपयोगकर्ता द्वारा उपयोगकर्ता प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना की जांच से यह पता चलता है कि उपयोगकर्ताओं ने पर्याप्त लाभ की सूचना दी है। तथापि उपयोगकर्ताओं ने लाभ की सूचना दी है, लेकिन घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
143. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने जाने से उन भारतीय उपयोगकर्ताओं को अनुचित रूप से दंडित किया जाएगा जो इन स्रोतों से उच्च-गुणवत्ता वाले अथवा विशिष्ट ऐक्रेलिक फाइबर पर निर्भर हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। इसके अलावा, घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के अलावा, अन्य देशों से भी आयात होता है। भारतीय उद्योग में भारत की समग्र मांग की पूर्ति करने की क्षमता है। यदि उपयोगकर्ता संबद्ध देशों से उत्पाद प्राप्त करना जारी रखते हैं, तो भी वे पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, शुल्क लगाए जाने से उपयोगकर्ता के उद्योग में आपूर्ति की कमी नहीं होगी।
144. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वस्त्र मंत्रालय ने ऐक्रेलिक यार्न उद्योग की हानि के कारण पाटनरोधी शुल्कों को वापस लेने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उपयोगकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध दस्तावेजों में केवल यह कहा गया है कि शुल्क हटाए जाने की सिफारिश की गई थी और इसमें इस अस्वीकृति का कारण नहीं बताया गया है। शुल्क इस संभावना के साथ हटाए गए थे कि ऐक्रेलिक फाइबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर उपलब्ध होगा। रिपोर्ट में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि यार्न उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह देखने में आया है कि उपयोगकर्ताओं ने डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पिछले शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की है। यह भी नहीं दर्शाया गया है कि उपायों को हटाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग को कैसे लाभ हुआ है।
145. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने तुर्की और चीन जैसे प्रमुख खपत बाजारों में ऐक्रेलिक फाइबर की कीमतों के संबंध में जानकारी प्रदान की है। यह देखने में आया है कि इन बाजारों में कीमतें भारतीय बाजार की कीमतों से काफी अधिक हैं। यह भी देखने में आया है कि उपायों को वापस लेने के बाद ऐक्रेलिक फाइबर की मांग में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। अतः यह स्थापित नहीं होता है कि

पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अप्रतिस्पर्धात्मक कैसे हो जाएंगी।

ट. प्रकटीकरण के बाद टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

146. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां दाखिल की गई हैं :

- क. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड को बाहर करने के लिए आवेदक द्वारा संशोधित क्षति विवरण प्रस्तुत करना और यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि शेष आवेदक स्थायी आवश्यकता को पूरा करता है।
- ख. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड की संगत संस्था द्वारा किए गए आयातों को मात्रात्मक प्रभाव के विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं प्रदत्त क्षति का एक विशिष्ट मामला प्रतीत होता है।
- ग. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह दायित्व हो जाता है कि वह सभी हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे संशोधनों का समय पर प्रकटन करे और उन्हें टिप्पणियां करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे।
- घ. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारण करने के लिए दूसरी पद्धति के तहत तुर्की को गलत माना है क्योंकि प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य की पहली पद्धति का उपयोग करने में विफल रहा है।
- ङ. चीन और थाईलैंड के पास ऐक्रेलिक फाइबर उत्पादन के लिए सुस्थापित विनिर्माण आधार, तुलनीय औद्योगिक अनुप्रयोग और कम से कम 90% एक्रिलोनिट्राइल युक्त ऐक्रेलिक फाइबर के उत्पादन के लिए समान तकनीकी प्रक्रियाएं हैं, जो थाईलैंड को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में उपयुक्तता प्रदान करती हैं। थाई ऐक्रेलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड की स्थापित क्षमता और उत्पादन पैमाना जिलिन ग्रुप सहित चीन के उत्पादकों के समान है।
- च. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विभिन्न उत्पादों को बाहर रखा गया है और तुर्की से ऐक्रेलिक फाइबर के समग्र निर्यात को चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

- छ. मांग की चक्र प्रकृति से इस बात की पुष्टि होती है कि जांच की अवधि में लाभ में मामूली गिरावट स्वाभाविक थी और कथित रूप से पाटित किए गए आयातों के कारण नहीं थी।
- ज. ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि जांच की अवधि के दौरान मांग में गिरावट का घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों और कीमत संबंधी प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- झ. थाईलैंड और चीन जन. गण. के मामले में पाटन और क्षति मार्जिन क्रमशः 0-50% और 0-20% की रेंज में प्रदान किया गया है, जबकि पेरू के मामले में यह 110-120% तक और 210-220% तक की रेंज में है। इसके बाद, क्षति विश्लेषण करने के लिए आयातों का संचयन खराब परिणाम दे सकता है।
- ञ. संबद्ध उत्पाद डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की लागत का करीब 60-70% तक हैं, और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से इन उपयोगकर्ताओं पर अनुचित समस्याएं आएंगी। स्वेटर के उदाहरण का उपयोग करके प्रभाव का आकलन किया गया है, लेकिन प्रभाव की गणना यार्न निर्माताओं और कटाई करने वालों पर की जानी चाहिए, जहां पर कि शुल्क का प्रकटीकरण करने में अनुमानित 0.46% की तुलना में काफी अधिक प्रभाव (10-15%) पड़ेगा।
- ट. भारत, चीन और तुर्की में कीमतों के बीच की गई तुलना गलत है। उल्लिखित भारतीय कीमतें केवल मूल फाइबर के लिए हैं, जबकि चीन और तुर्की की कीमतों में उच्च मूल्य वाले उत्पाद और माल भाड़ा शामिल है, जिससे तुलना अनुचित और भ्रामक होती है।
- ठ. पेरू से आयात किए गए उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर होने के कारण समान वस्तु से भौतिक और कार्यात्मक रूप से भिन्न है। उत्पादों की भारत में समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा नहीं हैं।
- ड. विगत जांच पर निर्भरता को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक जांच का आकलन रिकॉर्ड पर मौजूद विशिष्ट तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ढ. केवल एक ही एचएस कोड के तहत वर्गीकरण होने से यह स्थापित नहीं होता है कि आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग के समान वस्तु है। उत्पाद वर्गीकरण के तहत अवमानक रूप से निर्मित वस्तुओं का आयात होने से उत्पाद का गलत वर्गीकरण हो जाएगा।
- ण. पेरू के उत्पादक ने प्राधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग किया है और अलग से शुल्क देने से मना करना अनुचित है।

- त. प्राधिकारी ने अवशिष्ट पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए डेटा के आधार अथवा स्रोत का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी ने केवल उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्य बताए हैं; प्रकटीकरण के अभाव में निर्यातक की धारणा को समझने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।
- थ. जांच की अवधि के दौरान एक्रिलोनाइट्राइल की कीमतों में तेजी से गिरावट आने के बावजूद, घरेलू उद्योग की लागत संरचना आनुपातिक रूप से कम नहीं हुई है, जो अकुशलता को दर्शाती है। यह बाजार में गिरावट से पहले ऊंची कीमतों पर खरीदी गई कच्ची सामग्री के कारण हो सकता है।
- द. आवेदन और प्रकटीकरण विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों में काफी अंतर है।
- ध. पाटनरोधी शुल्क से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत में वृद्धि हो जाएगी और ऐक्रेलिक फाइबर अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध नहीं होगा।
- न. टीएएफ उन्नत तकनीक का उपयोग करता है और भारत में उत्पादक अलग तकनीक का उपयोग करते हैं। वे हितों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

147. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:

- क. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर उपयोगकर्ताओं द्वारा पहचाने गए कुछ ग्रेडों पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया है। आवेदक इन उत्पादों को उत्पाद के दायरे के भीतर विचार करने का अनुरोध करता है अन्यथा प्रस्तावित शुल्कों की प्रभावकारिता कम हो जाएगी और घरेलू उद्योगों को क्षति होती रहेगी।
- ख. वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड की संगत संस्था ने उत्पाद को कैप्टिव प्रयोजन से आयात किया है और वह उत्पाद के वाणिज्यिक व्यापार में संलग्न नहीं है।
- ग. वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को इस बात की सूचना नहीं थी कि उसकी संबद्ध कंपनी ने उत्पाद का आयात किया है क्योंकि ये दो स्वतंत्र कानूनी संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं।

- घ. वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड द्वारा आयातित उत्पाद की कम मात्रा को देखते हुए, आवेदक का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाए।
- ङ. क्षतिरहित कीमत के लिए बिक्री कीमत अनुपात निर्धारित करने के लिए आवंटन हेतु कैप्टिव खपत पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- च. एक्रिलोनाइट्राइल की समग्र आवश्यकता आयातित थी और यदि उत्पाद का उपयोग घरेलू बाजार के लिए किया जाता, तो सीमा शुल्क लागू होता। घरेलू बाजार के लिए क्षतिरहित कीमत की गणना में, एक काल्पनिक सीमा शुल्क शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वह स्पष्ट करे कि क्या इस पर विचार किया गया है।
- छ. आवेदक इस स्पष्टीकरण की मांग करते हैं कि क्या क्रेता ऋण और साख पत्रों से संबंधित व्यय को बैंक शुल्क माना जाता है न कि ब्याज लागत के रूप में। ब्याज वहन करने वाले लेनदारों को नियोजित पूंजी की गणना के लिए चालू देनदारियों का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ब्याज का भुगतान अलग से किया जाता है।
- ज. व्यापार देयताओं के प्रति सावधि जमा के रूप में रखी गई राशि, यद्यपि बैलेंस शीट में सावधि जमा के रूप में दर्शायी जाती है, लेकिन उसे वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि वे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का भाग हैं।
- झ. जांच के आंकड़ों की अवधि के लिए बीमा आय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आय 1998-2013 की एक नीति से संबंधित थी जो 2023 में परिपक्व होगी, जिस पर हाल के वर्षों में कोई प्रीमियम व्यय चार्ज नहीं किया गया है।
- ञ. आवेदकों ने यह नोट किया है कि अन्य कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी लागतों को वास्तविक जांच अवधि की लागतों के बजाय क्षति अवधि के न्यूनतम मूल्यों का उपयोग करके मानकीकृत किया गया प्रतीत होता है। यह अनुबंध III के पैरा 4(i) का खंडन करता है, जिसमें जांच अवधि के मूल्यों के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- ट. इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड के संयंत्र पूर्ण रूप से मूल्यहास में हैं, और मूल्यहास लागत उत्पादक की कुल लागत के 1% से भी कम है। 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल अपर्याप्त है क्योंकि यह लागत पर 5% से कम लाभ के बराबर है, जो इसे डीजीटीआर द्वारा अनुमत सामान्य मूल्य पर

लाभ से कम दर्शाता है। प्राधिकारी एनआईपी के प्रयोजन के लिए 5% लाभ पर विचार कर सकते हैं।

- ठ. आवेदक द्वारा सूचित उत्पादन को प्राधिकारी द्वारा संभवतः कुल उत्पादन में "एक्रिलिक अपशिष्ट" को शामिल करने के कारण बढ़ाया गया है। एक्रिलिक अपशिष्ट को अन्य आय के रूप में माना गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई लागत पर दोहरा प्रभाव पड़ता है।
- ड. भारतीय एक्रिलिक फाइबर उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है।
- ढ. वर्ष 2021 में पाटनरोधी शुल्क हटने के बाद भी डाउनस्ट्रीम उद्योग का प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है।
- ण. ऐक्रिलिक यार्न का आयात नगण्य है और इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिससे आयातों से कोई विशेष प्रतिस्पर्धा दिखाई नहीं दे रही है।
- त. शुल्क हटने के बाद भी यार्न का निर्यात स्थिर बना हुआ है और उत्पादक अभी भी अग्रिम प्राधिकार के तहत फाइबर का शुल्क-मुक्त आयात कर सकते हैं। शुल्क हटने से डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में मांग में वृद्धि अथवा प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 148. प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ उन तर्कों और तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ में आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक संबोधित किया गया है। इच्छुक पार्टियों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की जाती है। कोई भी निवेदन जो केवल पिछले सबमिशन का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- 149. हितबद्ध पक्षकारों ने यह टिप्पणी की है कि थाईलैंड के लिए क्षति का संचयी आकलन उपयुक्त नहीं है क्योंकि संबद्ध देशों में पाटन और क्षति मार्जिन में थाईलैंड और चीन जन. गण. के लिए 0-5% से लेकर

पेरू के लिए 210-220% तक काफ़ी भिन्नता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ प्रतिस्थापनीय हैं, और उपभोक्ता इनका परस्पर उपयोग कर सकते हैं। तथ्य यह है कि उपयोगकर्ताओं ने विषय देशों के भीतर विचाराधीन उत्पाद को परस्पर विनिमय के लिए आयात किया है, विषय देशों में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में समानता स्थापित करता है। इसलिए, थाईलैंड से आयात के लिए अलग से चोट निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

150. सामान्य मूल्य के निर्धारण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर, प्राधिकारी पहले ही जांच कर चुके हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन और थाईलैंड के विकास का स्तर तुलनात्मक नहीं है। यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि विकास का स्तर समान है, लेकिन संपूर्ण जांच के दौरान इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल यह तथ्य पर्याप्त नहीं है कि थाईलैंड में उत्पादक की स्थापित क्षमता और उत्पादन का पैमाना चीन के सहयोगी उत्पादक के साथ तुलनीय है। यद्यपि रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि थाईलैंड में उत्पादक काफी हद तक निर्यातोन्मुखी हैं, तथापि, जहां तक उत्पाद का संबंध है, चीन में उत्पादक के लिए यही बात लागू नहीं की जा सकती। इसलिए, इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्यों के आधार पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है कि थाईलैंड वर्तमान जांच में एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरा देश है। यह तर्क दिया गया है कि तुर्की से संपूर्ण आयात को सामान्य मूल्य के लिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें विचाराधीन उत्पाद और अपवर्जित उत्पाद दोनों शामिल हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम लेन-देनवार डेटा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए और पीसीएन आधार पर केवल डेटा पर विचार किया है।
151. इच्छुक पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे से वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड को बाहर रखे जाने के बाद आवेदकों द्वारा संशोधित चोट की सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर टिप्पणियां दायर की हैं पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण संशोधित क्षति आंकड़ों के आधार पर है और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने और अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। जब वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड को नियम 2(ख) के तहत पहले ही अपात्र घरेलू उत्पादक माना जा चुका है, तो अन्य दो ही उत्पादक एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक हैं और वे आधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वर्धमान के एक संगत पक्ष द्वारा किए गए आयातों के कारण स्वयं प्रदत्त क्षति के आरोप के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्धमान को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल न करके ऐसी किसी भी संभावना का समाधान किया गया है। प्राधिकारी द्वारा क्षति का आकलन अन्य दो घरेलू उत्पादकों के मानदंडों के आधार पर किया गया है, जो नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में शामिल हैं।

152. इस टिप्पणी के संबंध में कि मांग की चक्र प्रकृति से इस बात की पुष्टि होती है कि जांच की अवधि में लाभ में गिरावट आना स्वाभाविक था और यह कथित पाटित आयातों के कारण नहीं था, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि मांग में गिरावट आई थी, लेकिन संबद्ध देशों से आयात में भी वृद्धि हुई थी। संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि विशेष रूप से इस तथ्य के कारण हुई थी कि ये आयात पाटित कीमतों पर थे। जांच से पता चला है कि आयात घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम हैं। यदि संबद्ध देशों से इन कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि नहीं हुई होती, तो घरेलू उद्योग के लिए अपनी कीमतें कम करने का कोई कारण नहीं था। बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से कम आयात में वृद्धि, आयात और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है।
153. इस दावे के संबंध में कि यार्न निर्माताओं और कताई करने वालों पर शुल्क का प्रभाव 10% से 15% तक अधिक होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐक्रेलिक फाइबर एक मध्यवर्ती कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग ऐक्रेलिक फाइबर के निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग अपारेल, ब्लेकेट और अन्य वस्त्र अनुप्रयोगों जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों में किया जाता है। आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि ऐक्रेलिक यार्न की मांग ऐक्रेलिक फाइबर की मांग के काफी करीब है। घरेलू मांग की तुलना में ऐक्रेलिक यार्न का आयात नगण्य है, पिछले दशक में अधिकतम आयात मात्रा केवल 7,000 मीट्रिक टन तक रहा है। डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं ने यह स्थापित नहीं किया है कि वे ऐक्रेलिक फाइबर की कीमत में वृद्धि अथवा कमी को अपनी यार्न की कीमतों में नहीं डालते हैं। यह दावा कि यार्न उत्पादकों पर प्रभाव 10-15% का अधिक प्रभाव होगा, यह न तो सत्यापित लागत आंकड़ों द्वारा समर्थित है और न ही किसी सहायक दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन कीमतों में क्षतिरहित स्तर से आगे वृद्धि करना नहीं है, बल्कि केवल अनुचित व्यापार के प्रभाव को कम करना और समान अवसर बनाए रखना है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में काफी अधिक पाटन मार्जिन पाया है, जो यह शर्ता है कि संबद्ध देशों के उत्पादक उत्पाद को वैश्विक कीमतों पर भारतीय बाजार में निर्यात नहीं कर रहे हैं।
154. इस तर्क के संबंध में कि भारत, चीन और तुर्की में प्रचलित कीमतों के बीच की गई तुलना गलत है, यह विश्लेषण समर्पित कोड के आंकड़ों के आधार पर किया गया है जिसमें बेसिक फाइबर और विशेष फाइबर दोनों शामिल हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया था कि वे चीन और थाईलैंड से विशेष फाइबर का आयात कर रहे हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता कि भारत में आयात के सभी आंकड़े बेसिक फाइबर का प्रतिनिधित्व करते हैं। समर्पित आंकड़े सीआईएफ आधार पर हैं जो सभी देशों के लिए तुलनात्मक आधार पर हैं। प्राधिकारी यह भी स्पष्ट करते हैं कि अंतिम जांच परिणामों में निष्कर्ष निकालने में भारतीय बाजार और अन्य बाजारों में कीमत के अंतर को एकमात्र कारक नहीं माना गया है।
155. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अवमानक ऐक्रेलिक फाइबर को बाहर रखने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण में इस मामले पर पहले ही विस्तार से जांच की जा

चुकी है और प्राधिकारी इस मामले की विस्तार से जांच करना आवश्यक नहीं समझते। पेरू के सहयोगी निर्यातक ने भी कोई नई जानकारी और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।

156. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि प्राधिकारी ने अवशिष्ट पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रयुक्त आंकड़ों के आधार अथवा स्रोत का प्रकटन नहीं किया है और "उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों" का संदर्भ अपर्याप्त है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अवशिष्ट पाटन मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार है। जहां कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है अथवा जांच में बाधा डालता है, वहां प्राधिकारी को उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम देने की आवश्यकता होती है। प्राधिकारी ने अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण और सत्यापन दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए उत्पादक को विभिन्न पत्र भेजे थे, लेकिन उत्पादक ने संगत सूचना और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए हैं। सुडामेरिकाना डी फाइब्रस एस.ए. अपनी पूरी क्षमता से सहयोग करने में विफल रहा है। जब उत्पादक के आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया जा सका, तो प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों को लागू करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था।
157. ऊंची कीमतों पर कच्ची सामग्री की खरीद और जांच की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट संबंधी टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों ने (क) खपत कीमत और (ख) एक्रिलोनाइट्राइल की खरीद कीमत दोनों के संबंध में सूचना प्रदान की है। यह देखने में आया है कि दोनों कीमतों के बीच अंतर केवल [***] % है। यह भी देखने में आया है कि आवेदक और थाईलैंड में उत्पादक द्वारा बताई गई कच्ची सामग्री की लागत तुलनीय है। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि बाजार में गिरावट से पहले ऊंची कीमतों पर कच्ची सामग्री की पिछली खरीद को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।
158. जहां तक इस टिप्पणी का संबंध है कि आवेदन और प्रकटीकरण विवरण के बीच आयात में अंतर है, यह नोट किया जाता है कि जहां आवेदक ने आयात की मात्रा और कीमत का आकलन करने के लिए अपने आवेदन में बाजार आसूचना संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया था, वहीं प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेन देन-वार आंकड़ों के अनुसार आयातों पर विचार किया है। इसके अलावा, कुछ उत्पाद टाइप को अब बाहर रखा गया है। अतः आवेदन की तुलना में भारत में आयात की मात्रा और मांग में परिवर्तन आया है। घरेलू उद्योग के घटक में परिवर्तन के कारण आंकड़ों में भी परिवर्तन आया है। आवेदन में वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन प्राधिकारी ने वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना उचित समझा है।
159. आवेदकों ने क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के संबंध में कतिपय टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और यह अनुरोध किया है कि यदि उनके दावों पर विचार किया गया है तो कृपया प्रकटीकरण करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत आयातित कच्ची सामग्री पर नोशनल सीमा शुल्क, क्रेता

ऋण और साख पत्रों के संबंध में बैंक शुल्कों का निपटान, चालू परिसंपत्तियों में जमा राशि का निपटान, बीमा आय का निपटान और बिक्री कीमत अनुपात की गणना पद्धति के संबंध में आवेदकों के दावों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। तथापि, अन्य कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी लागतों का मानकीकरण न करने और क्षतिरहित कीमत के लिए 5% लाभ के संबंध में आवेदकों के दावों पर विचार नहीं किया गया है।

ठ. निष्कर्ष

160. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज है और घरेलू उद्योग के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है:

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार और किस्मों का एक्रिलिक फाइबर है, जिसमें होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर, एंटी-पिलिंग एक्रिलिक फाइबर, ब्लूसाइन® अनुमोदित जेल-डाई एक्रिलिक फाइबर, पिगमेंट (या घोल) डाई एक्रिलिक, उच्च संकोचन एक्रिलिक फाइबर, पिगमेंट डाई या साल्यूशन डाई एक्रिलिक फाइबर, रीसाइकल जीआरएस-प्रमाणित एक्रिलिक, एसिड-डाईएबल एक्रिलिक, एंटी-बैक्टीरियल एक्रिलिक, थर्मोरेगुलेटरी एक्रिलिक और 100% एक्रिलोनिट्राइल युक्त कम-घर्षण एक्रिलिक फाइबर शामिल नहीं हैं।
- ख. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत उप-शीर्ष 5501 30 00, 5503 30 00 और 5506 30 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पाद को 55033090 के अंतर्गत भी आयात किया गया है।
- ग. आवेदकों द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
- घ. इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि उन्हें पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने से अयोग्य ठहराया जा सके।
- ड. वर्धमान एक्रिलिक लिमिटेड अपनी संगत संस्था द्वारा किए गए आयातों का कारण स्पष्ट नहीं कर पाया है और उसने इस संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है कि आयातित उत्पाद की घरेलू बाजार में खपत की गई है, बिक्री की गई है अथवा निर्यात किया गया है। अतः प्राधिकारी ने उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर कर दिया है।

- च. इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड और पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग हैं और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करते हैं।
- छ. पेरू स्थित उत्पादक सुडामेरिकाना डे फाइब्रस एस.ए. ने आंकड़ों अथवा सूचनाओं के सत्यापन की पेशकश नहीं की है, प्राधिकारी ने उत्पादक को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया है।
- ज. यह पाया गया है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों ने भारत को उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया है।
- झ. चीन पहले इस उत्पाद का शुद्ध आयातक था। तथापि, महत्वपूर्ण क्षमताएं स्थापित करने के साथ, चीन शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बन गया है।
- ञ. थाईलैंड के उत्पादकों के पास उत्पाद की घरेलू मांग [***] मीट्रिक टन की तुलना में काफी अधिक क्षमता [***] मीट्रिक टन है।
- ट. भारतीय उद्योग के पास पूरी मांग [***] मीट्रिक टन को पूरा करने की क्षमता [***] मीट्रिक टन होने और जांच अवधि में उत्पाद की मांग में गिरावट दर्शाने के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात में 19,235 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
- ठ. संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है। पहुंच कीमत के चलते घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतों पर बिक्री नहीं कर पाया है और इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है।
- ड. समग्र जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है। भारतीय उद्योग की क्षमता देश में समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ढ. भारतीय उद्योग के बाजार अंश में गिरावट के साथ ही, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में भी काफी गिरावट आई है।
- ण. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का कर-पूर्व लाभ और नकदी लाभ नकारात्मक हो गया है। व्याज और कर-पूर्व लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में जांच की अवधि के दौरान तीव्र रूप से गिरावट आई है।

त. जांच में ऐसा कोई अन्य कारक सामने नहीं आया है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो। घरेलू उद्योग को यह क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

थ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ड. सिफारिश

161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित कर दिया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और संस्तुत उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति की पूर्ति करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

162. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन के कम मार्जिन और क्षति के मार्जिन के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष**	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	55013000, 55033000, 55063000, 55033090.	एक्रिलिक फाइबर*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कं, लिमिटेड, जिलिन क्यूफेंग केमिकल फाइबर कं, लिमिटेड और जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप आई/ई कं. लिमि.	34	मी. टन	यूएस \$
2	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	क्रम सं. 1 के अलावा कोई	216	मी. टन	यूएस \$

				सहित कोई देश	उत्पादक			
3	- वही -	- वही -	चीन जन. गण. थाइलैंड, और पेरु के अलावा कोई देश	चीन जन. गण.	कोई भी	216	मी. टन	यूएस \$
4	- वही -	- वही -	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	थाई एक्रिलिक फाइबर कं, लिमि.	56	मी. टन	यूएस \$
5	- वही -	- वही -	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्रम सं. 4 के अलावा कोई उत्पादक	236	मी. टन	यूएस \$
6	- वही -	- वही -	चीन जन. गण. थाइलैंड, और पेरु के अलावा कोई देश	थाइलैंड	कोई भी	236	मी. टन	यूएस \$
7	- वही -	- वही -	पेरु	पेरु सहित कोई देश	कोई भी	920	मी. टन	यूएस \$
8	- वही -	- वही -	चीन जन. गण. थाइलैंड, और पेरु के अलावा कोई देश	पेरु	कोई भी	920	मी. टन	यूएस \$

viii. पिगमेंट-डाई अथवा सॉल्यूशन डाई ऐक्रेलिक फाइबर,

ix. पुनर्चक्रित जीआरएस-प्रमाणित ऐक्रेलिक फाइबर,

x. थर्मोरेगुलेटरी ऐक्रेलिक फाइबर।

* * सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ड. आगे की प्रक्रिया

163. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/ नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****NOTIFICATION****New Delhi, the 18th August, 2025****FINAL FINDING****Case No. AD(OI) 14/2024****Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Acrylic Fibre’ originating in or exported from China PR, Peru and Thailand.****A. BACKGROUND OF THE CASE**

F. No. 6/16/2024-DGTR – Having regard to the Custom Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Rules”) thereof.

1. Indian Acrylic Limited, Pasupati Acrylon Limited and Vardhaman Acrylics Limited (hereinafter referred to as the “applicants”) have filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), from China PR, Peru and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/16/2024-DGTR dated 29th June 2024, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the applicants.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. In accordance with Rule 5(5) of the Rules, the Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
- ii. In accordance with Rule 6(1) of the Rules, the Authority issued a public notice dated 29th June 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- iii. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury analysis period covers 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- iv. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, the known importers/users in India, and the other interested parties, as per the addresses made available by the applicants. The interested parties were asked to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make submissions in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.
- v. In accordance with Rule 6(3) of the Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules. The embassies of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers to submit their responses to the questionnaire within the prescribed time limit.
- vi. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject countries.

SN	Subject countries	Name of producers/exporters in the subject countries
1	China PR	Jilin Chemical Fiber Group I/E Co. Ltd.
2		Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd
3		Shandong Qilu Petrochemical Engineering Co. Ltd.
4		SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.
5		Yancheng Labon Technical Fiber Co. Ltd.
6	Peru	Sudamericana de Fibras S.A
7	Thailand	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd.

- vii. In response to the above, the following producers/exporters from the subject countries have responded and filed exporter's questionnaire response:

SN	Subject countries	Producers/exporters in the subject countries
1	China PR	Jilin Chemical Fiber Group I/E Co. Ltd.
2		Jilin Jimont Acrylic Fiber Co. Ltd.
3		Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd
4	Peru	Sudamericana De Fibras S.A
5	Thailand	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd.

- viii. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority also sent questionnaire to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information:

SN	Users/importers
1	Arvind OG Nonwovens Private Limited
2	Ashutosh Fibre Private Limited
3	Asian Paints Limited
4	Autotech Non-Wovens Private Limited
5	Bhagwati Cotton & Spinning Mills Private Limited
6	Exide Industries Limited
7	Ganga Acrowools Limited
8	Grasim Industries Limited
9	Harsha Industries Corporation
10	Industrial Filters & Fabrics Private Limited
11	Lakhmi Woollen Mills
12	Maha Lakshmi Spinning Mills
13	Oswal Woollen Mills Limited
14	Perennials India Private Limited
15	Ramji Acro Limited
16	Shiva Fibres Private Limited
17	Shiwalya Spinning and Weaving Mills Private Limited
18	Shree Ganesh Industries
19	Sri Annapurna Cotton Mills & Industries Limited
20	Supreme Nonwoven Industries Private Limited
21	The India Jute and Industries Limited

- ix. In response to the above notification, the following importers and users have registered in the present investigation and have made submissions:

SN	Users/importers
1	Ganga Acrowools Limited
2	Maha Lakshmi Spinning Mills
3	Oswal Woollen Mills Ltd
4	Shiv Woollen Mills
5	Shree Ganesh Spinners
6	Sportking India Limited

- x. Udey Udyog, Punjab Spinners Association, Wool & Woollens Export Promotion Council, Sharman Woollen Mills Private Limited and Knitwear & Textile Club have filed letters requesting non imposition of measures. These parties have not circulated their submissions with other interested parties.
- xi. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to or not supplied relevant information to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.

- xii. The Authority issued an economic interest questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and applicants. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. An economic interest questionnaire was filed by the applicants and participating exporters from Peru and Thailand, and importers and users.
- xiii. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) to provide DG System data of the imports of the product under consideration for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this final finding.
- xiv. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs, if required, within 15 days of the circulation of the initiation notification. Based on submissions, the Authority clarified and notified the PCN on 26th September 2024.
- xv. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity for the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 21st January 2025 in hybrid mode. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- xvii. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 23 May 2025 wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- xviii. In accordance with Rule 8 of the Rules, the Authority conducted the verification of the information provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the purposes of the present investigation.
- xix. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the applicants.
- xx. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxi. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 17th July 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

- xxii. “***” in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$= Rs. 83.69.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration in the present investigation is acrylic fibre of all types and kinds. Acrylic fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of acrylonitrile, which is a major raw material to produce acrylic fibre. The terms acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.

4. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).

5. The product under consideration is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975 under the sub-headings 55013000, 55033000 and 55063000. The product is also being imported under 55033010 and 55033090. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the investigation.”

C.1 Submission made by the other interested parties.

5. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article.
- i. The applicants do not manufacture anti-pilling acrylic, Bluesign® approved gel-dyed acrylic, pigment (or solution) dyed acrylic, recycled GRS certified acrylic, homopolymer acrylic, acid dyeable acrylic, anti-bacterial acrylic, thermoregulatory acrylic, low abrasion acrylic and high shrinkage acrylic.
 - ii. The specialty grades of acrylic fibre range from USD 2100 to 5000 per MT, significantly higher than the regular grades, which are priced between USD 1600 and 1800 per MT. The price difference shows that these are specialty grades and justifies their exclusion.
 - iii. Anti-pilling acrylic fibre should be excluded from the scope of the product, as the applicants lack the capability to supply it in the domestic market. This is evident from the applicant’s website, which shows no listing of anti-pilling. Further, no product promotion of anti-pilling acrylic fibre was undertaken by the applicants.
 - iv. While standard acrylic fibre has 90% acrylonitrile and linear polymer chains, the anti-pilling acrylic fibre contains 5-10% comonomers, cross-linked polymer chains, and requires specific production techniques.

- v. Standard fibre tenacity is 2-3.5 g/denier, while anti-pilling fibre is above 3.5 g/denier. In Martindale Pilling Tests, standard fibre rates 1-2, and anti-pilling rates 4-5. Thus, standard acrylic fibre cannot substitute anti-pilling acrylic fibre.
- vi. Standard acrylic fibre is used in low to mid-range knitwear, casual wear, basic home textiles, and industrial applications, while anti-pilling acrylic fibre is used in premium knitwear, luxury outerwear, high-end blankets, high-traffic upholstery, military, and protective clothing, and specialized applications.
- vii. Anti-pilling acrylic fibre sells at a premium price due to its enhanced performance, while standard acrylic fibre is seen as an economical option. Consumer perceptions and price differences indicate separate market segments for this fibre.
- viii. The anti-pilling acrylic fibre, gel-dyed fibre, and high shrinkage fibre are technically and commercially distinct from standard grades produced by the applicants.
- ix. Imports from Peru are limited to substandard products, which do not compete in the same market as products exported from other subject countries. The low import price indicates separate market segment and is not commercially or technically substitutable.
- x. Substandard products are made on the same production lines but without defined quality specifications. This results in less processable fibres, more waste, and reduced spinning machine productivity due to frequent yarn breaks and wraps.
- xi. The products exported from Peru are substandard and are technically and commercially non-substitutable with the products manufactured by the domestic industry. The price differences and end use application make the product different.
- xii. The low import price from Peru indicates a separate market segment and is not commercially or technically substitutable with the applicants' products.
- xiii. Conditions of competition between imports from Peru and imports from the other subject countries are clearly different. The imports should therefore not be cumulated.

C.2 Submission made by the applicants.

6. The applicants have submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration in the present investigation is acrylic fibre of all types and kinds. The product is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of acrylonitrile, which is a major raw material to produce acrylic fibre.
 - ii. The term of acrylic fibre includes acrylic staple fibre, acrylic tow fibre and acrylic top fibre.
 - iii. Anti-pilling acrylic fibre and standard acrylic fibre share the same raw materials, chemical composition, and molecular structure. The only difference is the extra processing in anti-pilling acrylic fibre, which enhances resistance to pilling without altering its essential characteristics.
 - iv. Anti-pilling acrylic fibre and standard acrylic fibre are interchangeable. The applicant has exported the product. During the period of investigation, the import of anti-pilling acrylic fibre is hardly 100-120 MT, which constitute [***] of the Indian demand
 - v. Gel-dyed acrylic is just dyed acrylic fibre with no change in its fundamental properties. Regardless of the dyeing method, the end product is always dyed acrylic fibre, used in the same way. These products are interchangeable. The applicants have

- supplied gel-dyed acrylic before, but due to low demand, they are not currently producing it, and imports are minimal.
- vi. The other interested parties have requested for the exclusion of high shrinkage fibre on the ground that the same is not produced by the domestic industry. However, the applicants have supplied high shrinkage acrylic in the domestic market. The demand for the product is very low. Level of shrinkage is a relative term and does not alter the product or the manner in which the product is used or the end use.
 - vii. On the submission of other interested parties requesting exclusion of specialty grades, the total imports of these products are less than 160 MT which does not even constitute 1% of the total India demand.
 - viii. On the submission of other interested parties that there is a significant difference in the prices of the specialty product, these specialty grades product have been imported in the period of investigation and at a price similar to that of regular acrylic fibre. Even if specialty grades were exported at higher prices in the past, these can be exported at comparable prices in future and can substitute the product sold by the applicants, thus undermining the purpose for which the present anti-dumping duty.
 - ix. The applicants produce specialty grades although production is in smaller quantities
 - x. If any grade is excluded from the scope of the product under consideration, imports of that grade will continue being dumped. Exclusion of the so-called specialty grades would lead to continued injury to the applicants.
 - xi. The producer from Peru claimed that it was exporting “sub-standard products” to India, which do not meet the technical specifications of first-quality acrylic fibre. In the anti-dumping investigation in 2018, the exporter had requested the exclusion of lower-grade products on similar grounds, but the product was not excluded.
 - xii. The product imported from Peru and supplied by the domestic industry is the same. There is no technology capable of producing such a large quantity of sub-standard acrylic fibre below raw material cost. Minimal low-quality acrylic fibre is produced in India and sold at a slight discount.
 - xiii. The imports of Acrylic Fibre waste are classifiable under the Customs heading 5504 which is outside the scope of the investigation.
 - xiv. Ganga Acrowools Limited is one of the largest consumers and has participated in the present investigation. The consumer has purchased from domestic industry, China and Thailand and Peru but has not made any submission on the exclusion of low-quality acrylic fibre from Peru.
 - xv. The import price of Peru has moved in line with the prices of the other subject countries. The producers from subject countries have sold the product to the same set of customers.
 - xvi. The product has been investigated in past, and it has been consistently found that the imported product from Peru is same as other countries and supplied by the producers in India.
 - xvii. There are around 15-20 producer in India which are sourcing from Peru and the other subject countries. Therefore, the contention that imports of Peru are limited to substandard products that do not compete in the same market as the products exported from other subject countries is incorrect.

xviii. No evidence has been put forward to show that the specialty grade is different from regular acrylic fibre. The applicants have already submitted evidence to show that exclusion requested products are no specialty grade.

C.3 Examination by the Authority

7. The submissions made by the other interested parties and the applicants regarding the product under consideration and the like article have been examined and addressed hereunder.
8. The product under consideration is acrylic fibre of all types and kinds. Acrylic fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of acrylonitrile, which is a major raw material to produce acrylic fibre. The terms acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance. The product is used for manufacturing yarn, which in turn is used in making apparels, household items and industrial use etc.
9. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the PUC and PCNs, within 15 days of the circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.
10. Based on the comments received from the interested parties, the Authority considered the following PCN methodology for the present investigation which was notified vide notice dated 26th September 2024 published on the DGTR website.

SN	Product type	Colour	PCN Code
1	Staple fibre or tow	Dyed	P11
		Undyed	P12
2	Top	Dyed	P21
		Undyed	P22

11. The product under consideration is classifiable under Chapter 55 of the Custom Tariff Act, 1975 under sub-headings 55013000, 55033000 and 55063000. Transaction wise import data was procured, and it is seen that in addition to 55013000, 55033000 and 55063000, the product has also been imported under 55033090 as well. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the subject investigation.
12. Several interested parties have submitted that the scope of the product under consideration (PUC) should exclude certain specialty grades of acrylic fibre that possess distinct technical or commercial characteristics and are allegedly not produced by the domestic industry. The exclusions sought include:
 - i. Anti-pilling acrylic fibre,

- ii. Bluesign® APPROVED gel-dyed acrylic fibre,
 - iii. High shrinkage acrylic fibre,
 - iv. Homopolymer acrylic fibre,
 - v. Pigment-dyed or solution-dyed acrylic fibre,
 - vi. Recycled GRS-certified acrylic fibre,
 - vii. Acid dyeable acrylic fibre,
 - viii. Anti-bacterial acrylic fibre,
 - ix. Thermoregulatory acrylic fibre, and
 - x. Low-abrasion acrylic fibre.
13. The interested parties have submitted that these are technically advanced or environmentally certified variants which serve niche applications and are priced significantly higher than standard grades. It has also been submitted that the applicants do not produce most of these grades, and wherever claimed, there is no evidence of regular domestic sales.
14. The Authority notes that several of these specialty grades have been imported under distinct brand names, such as:
- Pilbloc for anti-pilling acrylic fibre, and
 - Durashine for pigment-dyed (solution-dyed) acrylic fibre.
 - AMICOR for anti-bacterial acrylic fibre.
15. These imports have been made under identifiable commercial names, indicating that the goods were ordered for their specific performance characteristics. The concerned exporters have also explained the technical specifications and proprietary formulations of these grades in their responses.
16. It is further noted that while the applicants have claimed to produce anti-pilling acrylic fibre, it has not been sold in the domestic market during the period of investigation. Only a single sample invoice of export has been provided, and no evidence of regular commercial sale of this grade within India has been submitted. For other grades such as Bluesign® APPROVED, pigment/solution dyed, recycled GRS-certified, acid dyeable, anti-bacterial, thermoregulatory, and low-abrasion acrylic fibre, the applicants have not claimed any production.
17. In view of the above, the Authority is of the view that the applicants have not established sufficient grounds to include the aforementioned specialty grades within the scope of the product under consideration. Given, the lack of domestic production or sale, combined with the low demand and differentiated nature of such imports and the inability of the applicant to justify inclusion, the Authority proposes to exclude the following products from the scope of the product under consideration.
- i. Anti-pilling acrylic fibre,
 - ii. Bluesign® APPROVED gel-dyed acrylic fibre,
 - iii. High shrinkage acrylic fibre,
 - iv. Homopolymer acrylic fibre,

- v. Pigment-dyed or solution-dyed acrylic fibre,
 - vi. Recycled GRS-certified acrylic fibre,
 - vii. Acid dyeable acrylic fibre,
 - viii. Anti-bacterial acrylic fibre,
 - ix. Thermoregulatory acrylic fibre, and
 - x. Low-abrasion acrylic fibre.
18. As regards the exclusion of acrylic fibre imported from Peru on the ground that it is of sub-standard quality, the Authority notes that the product cannot be excluded from the scope of the investigation merely on the ground that the product is sub-standard. The issue was also raised in the previous anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre from China PR, Belarus, Ukraine, European Union and Peru and the product was not excluded from the scope of the product under consideration. It is also seen that imports of waste acrylic fibre are classifiable under Heading – 5505 Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres. Waste of Acrylic Fibre are classifiable under 55051010. However, the imports of Peru are reported in the above-mentioned HS codes for product under consideration. It is also noted from the information on record that there are around 15-20 producers in India that are sourcing from Peru and the other subject countries. Ganga Acrowools Limited has participated in the present investigation and has purchased from the domestic industry, China and Thailand and Peru, but has not made any such submission. Therefore, the Authority does not find it appropriate to exclude the product imported from Peru from the scope of the investment.
19. In view of the above, the scope of the product under consideration is confirmed as below.
- The product under consideration in the present investigation is acrylic fibre of all types and kinds, excluding homopolymer acrylic fibre, anti-pilling acrylic fibre, Bluesign® APPROVED gel-dyed acrylic fibre, pigment (or solution) dyed acrylic, high shrinkage acrylic fibre, pigment dyed or solution dyed acrylic fibre, recycled GRS-certified acrylic, acid-dyeable acrylic, anti-bacterial acrylic, thermoregulatory acrylic, and low-abrasion acrylic fibre containing 100% acrylonitrile*
20. The product under consideration, produced by the applicants and imported from the subject countries, is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers can use them interchangeably. It is therefore proposed to be considered that the goods produced by the applicants are like articles to the product under consideration, imported from the subject countries.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission made by the other interested parties

21. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
- i. Vardhaman Acrylic Limited has a related parties Vardhaman Spinning & General Mills and Vardhman Textiles Limited which have imported the product under consideration from Thailand during the period of investigation, but the applicant has not disclosed the information.
 - ii. In the previous Antidumping investigation on imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Belarus, Ukraine, European Union and Peru, the Authority excluded Vardhman Acrylics Ltd. from the scope of the domestic industry.
 - iii. The investigation should be terminated on the ground that one of the applicants has made a misdeclaration that it does not have any related importer.
 - iv. Indian Acrylic Limited has imported product under consideration from the subject countries in the period of investigation and therefore cannot be considered as domestic industry under the definition of Rule 2(b).

D.2 Submission made by the applicants

22. The applicants have submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
- i. The application was filed by Indian Acrylic Limited, Pasupati Acrylon Limited and Vardhman Acrylics Limited. There is no other producer of like article in India. The applicants accounts for 100% share in the total Indian production.
 - ii. Indian Acrylic Limited has imported [***MT] of product under consideration from the subject countries in the period of investigation. The imports were made for making yarn for export purposes. The imports are negligible in comparison to total imports, the company production and overall demand in India.
 - iii. While Vardhman Acrylics Limited is not related to exporter in the subject countries, it is related to an importer of the product. However, the related importer has not traded the product but captively consumed it.
 - iv. The low volume of imports by related company of Vardhman Acrylic Limited does not disentitle Vardhman Acrylic Limited from being treated as eligible domestic industry.
 - v. The imports made by related party of Vardhman Acrylics Limited in the previous investigation in relation to production of the company was between 20-30%. In the present investigation, the imports in relation to company production was only [***%].
 - vi. Imports made by the related party of Vardhman Acrylic Limited is less than 1% of Indian demand and Vardhaman production. Since the volume of imports were low, it does not disentitle them from being treated an eligible domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

23. The submissions made by the interested parties and the applicants concerning standing and scope of the domestic industry have been examined and addressed hereunder:
24. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers.”

25. The present application has been filed by Indian Acrylic Limited, Pasupati Acrylon Limited and Vardhaman Acrylics Limited. Apart from the applicants there are no other producers of the like article in India.
26. One of the applicants, namely Indian Acrylics Limited, imported [*** MT] of the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. Indian Acrylics Limited has claimed that these imports were used for the further production of yarn intended for export purposes and the yarn produced using the imported product under consideration was not sold in the domestic market. The table below shows the volume of imports made by Indian Acrylics Limited and compares the said imports with the company production, total demand in India, and total imports. The volume of imports has been verified using DG system data.

SN	Particulars	Imports
1	Imports made by applicant	*** MT
2	Imports in relation to company's production	Less than 1%
3	Imports in relation to total demand	Less than 1%
4	Imports in relation to total imports	Less than 1%

27. The Authority notes that the volume of imports made by Indian Acrylics Limited during the period of investigation is insignificant compared to the total volume of imports, the company production, and the total demand in the country. It is also seen that Indian Acrylic Limited has only imported in the period of investigation. The imports made by Indian Acrylics Limited are not of such volume as to disqualify them from being treated as an eligible domestic industry.
28. As regards the submissions on Vardhaman Acrylic Limited having a related importer, the applicant has submitted that Vardhman Acrylics Limited and Vardhman Textiles Limited are separate legal entities, and Vardhman Acrylics Limited was not aware of any such imports by its affiliate due to internal policies that restrict such communication.
29. The Authority notes that Vardhman Textiles Limited has consistently imported the product under consideration from the subject countries. It is also seen that DG System transaction-wise data does not show any imports of Vardhaman Spinning & General Mills Limited. The

table below shows the import volume made by Vardhman Textiles Limited over the injury period as per DG system data:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Vardhman Textile Limited	MT	***	***	***	***

30. Vardhman Acrylic Limited has not been able to justify the reason for the imports made by Vardhman Textiles Limited. Vardhman Acrylic Limited has not provided any information on whether the imported product has been consumed or sold in the domestic market, or exported. Even in the previous anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre from Belarus, Ukraine, the European Union and Peru, Vardhman Textiles Limited was not considered eligible domestic industry. In light of submissions made by other interested parties and the consistent imports made by the related importer for the domestic market, the Authority finds it appropriate to exclude Vardhman Acrylics Limited from the scope of the domestic industry.
31. In view of the above, the Authority holds that Indian Acrylic Limited and Pasupati Acrylon Limited are the only eligible producers under Rule 2(b). The two producers constitute 100% share in the total eligible Indian production of the like article in India.
32. On the basis of the above, considering the provisions of Rule 2(b) and the facts of the case, the Authority concludes that Indian Acrylic Limited and Pasupati Acrylon Limited account for a major proportion of the total domestic production of the product in India. The Authority holds that the two producers constitute a domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS ISSUES.

E.1 Submissions made by the other interested parties.

33. The other interested parties have submitted as follows with regards to confidentiality:
 - i. The applicants have claimed excessive confidentiality, in violation of Trade Notice No. 10/2018 as they have not disclosed actual aggregated data of sales value: (a) domestic sales – SSI (b) domestic sales other than SSI (c) exports sales and (d) captive consumption, PBIT per unit, total PBIT, interest and finance cost and depreciation.
 - ii. The applicants have determined normal value for Peru and Thailand based on the price reported in the CMA report but claimed them confidential. Such prices are available in the public domain.
 - iii. The applicants have claimed public information on shutdown as confidential despite it being provided in the annual report.
 - iv. The applicants have claimed volume of imports made by Indian Acrylics Limited and resale price of imported material as confidential.
 - v. The applicants had received sufficient protection through trade remedial measures spanning over two decades from 1996 to 2019 on various countries. The principle of

progressive liberalization under Article 11.1 of the WTO requires anti-dumping in force as long as it's necessary. Reliance placed on WTO Appellate Body ruling in US-Carbon Steel (India).

E.2 Submissions made by the applicants.

34. The applicants have submitted as follows with regards to confidentiality:
- i. The disclosure of actual sales value, profit and expenses would disclose their selling prices and profits. Since the information is highly business sensitive, it would adversely impact the position of the applicants in the market.
 - ii. Disclosure of profits and selling prices could lead customers to demand price adjustments, knowing others paid less. This could compromise the applicants' market position and potentially cause a loss of sales as customers might switch to different suppliers.
 - iii. The normal value of Peru and Thailand is based on the price reported in the CMA report. CMA reports are third party paid information and not available in public domain. The domestic industry is not authorized to disclose such information.
 - iv. The shutdown details provided in the application are much more in detail than those available in public domain. The information in the annual report is a mere statement whereas the information provided to the Authority is much more detailed.
 - v. On the submission that resale price of imports has been claimed confidential, the applicants have clearly stated that the imports made by Indian Acrylics Limited are for producing yarn only for export purposes and has not been sold in the domestic market.

E.3 Examination by the Authority

35. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).
36. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sab-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

37. The submissions made by the applicants and the other interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, have been examined. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
38. As regards the submission that the applicants have received sufficient protection through trade remedy measures for over two decades, the Authority notes that there is no bar on the number of times the applicants can seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters or no bar on the number of times anti-dumping duty can be imposed. The recommendations for the imposition of anti-dumping duty are made only after a thorough investigation by the Authority and when the requisite legal requirements are met.
39. In accordance with Rule 8 of the Anti-Dumping Rules, the Authority sought further clarifications from the domestic industry and other interested parties. Communications were issued to the participating producers from the subject countries as well as to the importers in India. The responses received from interested parties have been examined and taken into consideration to the extent deemed relevant. It is noted that Shiv Woolen Mills did not file a complete questionnaire response and verification documents.
40. It is observed that while Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. reported that it had extended post-invoicing discounts through credit notes to certain user-importers—namely Ganga Acrowools Limited, Maha Lakshmi Spinning Mills, and Shree Ganesh Spinners. The users did not report any such discounts in their respective questionnaire responses. This resulted in a lack of reconciliation between the invoice values reported by the producer and the corresponding purchase values reported by these users.
41. Upon noticing these inconsistencies, the Authority issued communications to the concerned importers seeking clarification. In response, Shree Ganesh Spinners stated that credit notes had been accounted for in their books, while Maha Lakshmi Spinning Mills maintained that no discounts or rebates were received. Ganga Acrowools Limited initially denied receiving any post-invoicing discounts or rebates. However, both Shree Ganesh Spinners and Ganga Acrowools Limited later acknowledged that the credit notes were recorded in their accounts and that the purchase price reflected the gross value. In contrast, the producer had reported invoice values on a net basis, thereby confirming the mismatch in reporting by the users. Further, these user-importers did not provide the reconciliation statement for commercial

invoices, credit notes received, and the payments made, along with the documents as sought by the authority.

42. The Authority also requested all interested parties to provide details regarding the presence of commission agents representing producers in the subject countries. In response, exporters Jilin Jimont Acrylic Fiber Co., Ltd, Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd, and Jilin Chemical Fiber Group I/E Co., Ltd submitted that nearly all of their sales—except one invoice—were made through a commission agent. These producers also submitted copies of the agreements with the commission agents, which confirm that marketing of the product and realization of payment were responsibilities assigned to the agent.
43. However, one of the user-importers, Ganga Acrowools Limited, who imported goods from these suppliers, stated that no commission agent was involved in their transactions. This results in conflicting statements from the exporter and the importer with respect to the mode of sale. The records submitted by the producers are supported by written agreements, whereas no evidence has been provided by the user to substantiate its claim.
44. In view of the above, the Authority concludes that the responses submitted by the participating user-importers, namely Shiv Woolen Mills, Ganga Acrowools Limited, Maha Lakshmi Spinning Mills, and Shree Ganesh Spinners, are incomplete, inconsistent, and unreliable. Their failure to disclose post-invoicing discounts, along with contradictory claims regarding the involvement of commission agents, indicates a lack of full cooperation in the investigation process.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1 Submission made by the other interested parties

45. The other interested parties have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
 - i. For purposes of normal value for China PR, Thailand should be considered as surrogate country. Thailand operates under market economy with the prices and cost are determined by market forces.
 - ii. The data provided by the Thailand producers provides direct and verifiable information about the cost and price in the market.
 - iii. Thailand is the largest exporter of the product to India.
 - iv. Peru cannot be considered as third market economy country as producers from Peru produces and sells substandard products. Therefore, Peru cost and price for constructing normal value would not be appropriate.
 - v. The Authority has in past considered Thailand as appropriate market economy third country for China PR.
 - vi. Chinese producers' plants operate at approximately 90% capacity utilization, leaving limited scope for aggressive dumping. Their production strategy focuses on meeting domestic demand, with exports serving as a supplementary market.

F.2 Submission made by the applicants

46. The applicants have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i. Article 15(a)(ii) of the China's Accession Protocol had expired in December 2016 as envisaged under Article 15(b) and the same cannot be applied to the present case.
 - ii. The participating Chinese group has failed to file the MET questionnaire in the present investigation. Hence, the Authority should not determine normal value on the basis of their domestic sales. No comments with respect to normal value should be considered as it is belated.
 - iii. Since Chinese producers have not claimed market economy treatment, the normal value is required to be determined based on Para 7 of Annexure 1 of the anti-dumping rules. Further, the normal value has to be determined in a sequential manner only and this has also been confirmed by the Hon'ble Supreme Court in *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. vs Exide Industries Ltd.*
 - iv. Under Para 7 of Annexure 1, the first option under the rules is price or cost in a market economy third country. The rules provide that a market economy third country is required to be determined with regard the level of development of the product and the country.
 - v. Thailand cannot be considered as market economy third country as Thailand is also subject to this investigation. Similar view was taken by the Authority in the anti-dumping concerning imports of PVC Paste from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand.
 - vi. The second option under the rules is price from such a third country to another country, including India. The product is imported from Turkey, Japan etc. The volume of imports from Turkey is more than *de-minimis* and can be considered basis for normal value. Reference is placed on CESTAT decision in case of *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India*. The import price from Turkey is sufficient in volume and can be considered as a market economy third country.
 - vii. The other interested parties did not provide any evidence to show that Thailand qualifies as an appropriate market economy for China PR.
 - viii. There is only one producer in Thailand unlike China where there are many producers. China is a major consumer, while Thailand has low demand. Therefore, Thailand cannot be considered a market economy country having comparable level of development.
 - ix. Subject country considering as a surrogate is inconsistent with established practices and that alternative market economy countries should be considered.

F.3 Examination by the Authority

47. The response to exporters questionnaire has been filed by the following producers/exporters from the subject countries
- i. Jilin Chemical Fiber Group I/E Co. Ltd.
 - ii. Jilin Jimont Acrylic Fiber Co. Ltd.

- iii. Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd
- iv. Sudamericana De Fibras S.A
- v. Thai Acrylic Fibre Co. Ltd.

F.3.1 Determination of normal value and export price

a. Normal value and export price from China PR.

i. Normal value for China PR

48. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

49. The applicants had relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I and claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
50. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
51. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the

aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

52. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Para 7.
53. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in the case of a non-market economy contained in the various judgements. These judgements provide directions regarding the implementation of Para 7 of Annexure I of the Rules concerning the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.
54. At the stage of application, the applicants have claimed normal value on the basis of price from such third country to other countries including India. For this purpose, the applicants had considered the import price from Turkey into India.
55. As per the legal hierarchy, the normal value should be determined based on either the price or the constructed value in a market economy third country. If such information is unavailable, it should then be based on export prices from that country to other destinations, including India. The Authority notes that interested parties have proposed Thailand as a surrogate country for determining the normal value for China. However, the anti-dumping rules specify that a suitable market economy country should be selected considering the level of development of the country in question and the nature of the product. No evidence has been provided to demonstrate that China and Thailand are at comparable levels of development. Furthermore, Thailand has only one producer, whereas China has many, and Thailand's domestic demand is minimal. Thus, the level of development of the product in China and Thailand are not comparable. The interested parties have also cited a previous anti-dumping investigation involving imports of Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin from China and Korea, where Thailand was used as a market economy country. The Authority clarifies that in that case, normal value for China was determined based on Thailand's export prices and not its domestic prices. It was specifically noted that Thailand's export volume was the highest among non-subject countries, and since there were no anti-dumping measures in place against Thailand, the CIF price was deemed representative. Therefore, the Authority holds that Thailand cannot be regarded as a surrogate country for China in the current case.
56. The next methodology under the rules is to consider export prices from a market economy third country to other countries, including India. Among non-subject countries, Turkey has the highest import volume. Since Turkey is not subject to any anti-dumping measures and the volume of its exports exceeds the de minimis threshold, and those exports are not dumped, it qualifies under this method. The Authority also refers to the decision in *Kuitun*

Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India, where the Hon'ble CESTAT held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country to India, the relevant factors are the volume of such exports and the absence of dumping during the period of investigation. Therefore, the Authority has considered normal value based on the import price from Turkey, duly adjusted to arrive at the ex-factory level.

57. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

ii. Export price for China PR

i. Jilin group.

58. The following three companies have filed questionnaire response as part of Jilin group.

- Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd (Qifeng) (Producer & exporter)
- Jilin Jimont Acrylic Fiber co., Ltd. (Jimont) (Producer)
- Jilin Chemical FIBER Group I/E Co., Ltd. (JCFIE) (Exporter)

59. Since anti-pilling acrylic fibre is not part of the product under consideration, exports of anti-pilling acrylic fibre has not been considered. Qifeng has made direct exports to independent customers in India on CIF basis. The export volume is *** MT and gross value of export is *** CNY. Further, Qifeng has made indirect exports to independent customers in India through JCFIE, a related trader of the exporter on CIF basis. The export volume and gross value of the export of product under consideration is *** MT and *** CNY respectively. Qifeng has exported [***] MT of anti-pilling acrylic fibre which is outside the scope of the product under consideration. These imports have not been considered for the calculation of export price and landed price.

60. The export channel of Qifeng –

61. Jimont has made indirect exports to independent customers in India through ***, a related trader on CIF basis. The export volume and gross value of the export is *** MT and *** CNY respectively.

62. The export channel of Jimont –

63. Qifeng and Jinmont have claimed adjustments on account of ocean freight, inland transport, port expenses, commission, ocean insurance, bank charges, credit cost etc. In case of Qifeng's direct sales, there is no credit cost as payment terms do not provide for any credit period. Additionally, the ex-factory export price has been calculated by taking the ultimate exporter's invoice value in CNY and deducting all the adjustments, incidental and ancillary to export and as reported in the respective appendices of the exporter and the producer. The ex-factory export price as determined is mentioned in the dumping margin table.

ii. Any other producer/exporter.

64. The net export price for the other producers has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) and is shown in the dumping margin table.

b. Normal value and export price from Thailand

Thai Acrylic Fibre Co. Ltd.

65. Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. (TAF) has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation. It is seen that only [***] MT of product has been sold in the domestic market to unrelated parties. Sales to related parties are priced lower than the sales price to unrelated entity and have therefore, not been considered for the determination of normal value. It is also seen that out of total domestic sales, [***] MT of product has been sold of specialized grades which do not form part of the product under consideration. These grades have been specifically excluded from the scope of calculation of normal value and export price. The producer has exported [***] MT of product under consideration to India during the period of investigation.

66. The producer has only exported ***** in the Indian market and there are sufficient sales of the product in the domestic market.

i. Normal value.

67. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods on a PCN-wise basis. Where for PCN, less than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales. For the PCNs, where ever more than 80% of sales were made at profit, the normal value has been determined based on the selling price of all sales of that PCN.

68. TAF has claimed price adjustments on account of inland freight. The adjustments claimed have been allowed by the Authority. Thus, the normal value at ex-factory level for TAF has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

ii. Export price.

69. TAF had made direct exports to unrelated importers and end users in India. The volume of the export is *** MT and the gross value is *** USD.

The channel of export of TAF –

70. TAF has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight and port related expenses. All exports to India are to independent customers. In case of FOB entries, only Inland freight and Port expenses are deducted and in case of CIF entries, Ocean freight, Marine Insurance, Inland freight and Port expenses are deducted. Accordingly,

export price at ex-factory level has been determined and the same is shown on the dumping margin table.

Any other producer/exporter.

71. The normal value and export price for the other producers has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) and is shown in the dumping margin table.

c. Normal value and export price from Peru

Sudamericana De Fibras S.A

72. Sudamericana De Fibras S.A (SDF) has sold [***] MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] MT of the subject goods to India. SDEF has submitted that while the products sold in the domestic market are standard products, the products exported to India are substandard.
73. The exporter has not provided PCN-wise export information. The producer has not offered verification of its questionnaire response. Since the Authority is unable to verify the information given in the EQR of the producer, the normal value for the producer cannot be determined. It is seen that the producer has failed to co-operate with the Authority to the best of its ability. Therefore, it is proposed not to grant an individual dumping margin to the producer.

Any other producer/exporter.

74. The normal value and export price for all exporters from Peru have been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8).

d. Dumping margin

75. Based on the normal value and the export price as determined above, the dumping margin has been calculated and is shown in the table below.

DUMPING MARGIN

SN	Particulars	Normal value USD/MT	NEP USD/MT	Dumping margin USD/MT	Dumping margin %	Dumping margin range
A	China					
1	Jilin Jimont Acrylic Fiber Co., Ltd, Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd	***	***	***	***	20-30%
2	Any other producer	***	***	***	***	40-50%
B	Thailand					
1	Thai Acrylic Fibre	***	***	***	***	0-10%

	Co. Ltd					
2	Any other producer	***	***	***	***	10-20%
C	Peru					
1	Any producer	***	***	***	***	210-220%

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G. 1 Submission made by the other interested parties

76. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. Demand in India has fallen from 1,04,119 MT in the base year to 96,291 in the period of investigation. On the contrary, the sales of the domestic industry have remained stable throughout the injury period.
- ii. Any increase in the volume of allegedly dumped imports from subject countries is due to the decrease in market share of imports from other countries.
- iii. The imports from Thailand have remained stable. There is a sharp increase in imports from China PR (250%) which is the source of any injury to the domestic industry.
- iv. The imports from Thailand and China have increased by 248 and 58 index points respectively but imports from Peru have only increased by 1 index points in the period of investigation as compared to base year.
- v. The imports from Peru have remained stable over time and have not impacted the prices and market share of the applicants.
- vi. The injury margins for Thailand are in the range of 0-10%, which is not significant enough to warrant anti-dumping duties. They maintained that their pricing strategies have been fair and competitive, without engaging in aggressive undercutting.
- vii. A thorough analysis of domestic industry data shows that there is no significant volume or price effects due to the alleged dumped imports. Overall demand for the product has declined, and factors such as fire-related stock loss and pandemic-related disruptions must be considered.
- viii. The acrylic fibre market has been impacted by rising acrylonitrile prices. This has possessed significant challenges on the manufacturer to maintain profitability. The same has been confirmed by Pasupati in its annual report of 2023-24.
- ix. Conditions of competition between imports from Peru and imports from the other subject countries are clearly different. The imports should therefore not be cumulated.
- x. The import price has increased by 30% in the period of investigation from the base year but the applicants' selling price has remained stable. The applicants could have increased selling prices but due to strategic business decision, it decided to not increase the prices.
- xi. The import price from Thailand is higher than the other countries. Thus, any price pressure on the applicants is due to low priced imports from other countries.

- xii. China PR only has 6% market share whereas the domestic industry has approximately 70% market share which shows that domestic industry at a dominant position to dictate prices.
- xiii. Chinese producers primarily cater to their domestic market and that exports to India constitute a minor portion of their overall sales.
- xiv. The imports from Peru were undercutting the prices of the applicants in the previous year as well the applicants remained profitable. As when the import price from Peru increased in 2021-22, the PBIT of the applicants declined. This shows the import price from Peru has not impacted the performance of the applicants.
- xv. The proposal to exclude 2022-23 from injury analysis should not be accepted as 2022-23 saw unusually high growth by post-pandemic increase in demand, making some correction during the period of investigation.
- xvi. The capacity utilization and domestic sales of the applicants has increased in the period of investigation as compared base year.
- xvii. The average inventory of the applicants has declined in the period of investigation as compared to base year. The market share of the applicants has increased in the period of investigation.
- xviii. There are inconsistencies in the applicants' data, particularly regarding injury parameters. The applicants failed to establish a causal link between the alleged dumping and the injury suffered.
- xix. Reference is placed on *US – Hot-Rolled Steel*, WTO Appellate Body wherein it was held that unless the effects of other factors are clearly distinguished, Authorities have no rational basis to conclude that dumped imports are causing injury or to justify the imposition of anti-dumping duties.
- xx. The applicants have procured acrylonitrile at higher prices during an earlier period and have produced from higher cost inventory.
- xxi. The NIP law won't fully neutralize the impact of higher rates; it only addresses inefficient utilization in terms of volume. The Authority is requested to exclude high-priced acrylonitrile from stock consumed during the POI while determining the NIP and only consider the price of acrylonitrile purchased during the POI should be used for rate determination.
- xxii. The losses suffered by the applicants are due to exogenous factors such as Covid 19.
- xxiii. The applicants claimed a drop in return on capital employed in the period of investigation. However, there was a 15% increase in capital employed during 2022-23 which continued into the period of investigation without an increase in production capacity.
- xxiv. The applicants' shutdowns during FY 2020-21 were due to the COVID lockdown and government restrictions. Injury in the period of investigation is self-inflicted, attributed to internal factors such as technical challenges, employment and productivity issues, low-capacity utilization, and high costs, rather than alleged dumped imports.
- xxv. Vardhman in their annual report had admitted that high acrylonitrile consumption costs due to high-priced stock during the period of investigation contributed to the decline in demand.

- xxvi. Any fall in the internal transfer and exports by the applicants has an effect on the capacity utilization as well as on the profitability on account of higher fixed cost is not attribute to the imports from Thailand.
- xxvii. The acrylic fibre market faced tough competition from natural fibre in past few years. A decline in the demand of the product has caused significant injury to the applicants as the same was confirmed by the Indian Acrylic Limited and Pasupati Acrylon Limited in their annual report.
- xxviii. The injury suffered by the domestic industry are unfounded and due to internal inefficiencies rather than unfair trade practices.
- xxix. While Vardhaman Acrylic Limited and Pasupati Acrylon Limited made profits in the entire injury period as per the information available, it is only Indian Acrylic which claimed losses in some years during the past about 8 years and such losses for self-inflicted reasons cannot be the ground of the present proceedings.

G.2 Submission made by the applicants

77. The applicants have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. The product has been repeatedly dumped into India for more than two decades. The shift of dumping from one country to another has not allowed the applicants to operate at reasonable profits.
 - ii. There is only one producer in Thailand, namely Thai Acrylic Limited (TAF). TAF alone has a long history of dumping the product in the Indian market.
 - iii. Since the original investigation in 1997, the Authority has repeatedly found TAF is dumping, leading to the imposition and subsequent extensions of anti-dumping duties across several reviews in 2002, 2007, 2013, and 2019.
 - iv. Despite being subject to anti-dumping measures for more than 2 decades, imports from Thailand have continued to rise. TAF modus operandi involves dumping the product to capture the market.
 - v. An analysis of the historical import data shows that the volume of imports from Thailand continuously increasing trend from early 1999- 00 to 2015-16. This was the period when there was no demand supply gap.
 - vi. TAF initially had a capacity of 14,000 MT. However, over three decades, without any increase in domestic consumption, TAF increased its capacity. At present, TAF have an installed capacity of 1,20,000 MT against domestic demand of mere 5000 MT. It is obvious that excess capacities were set up with the aim to export the product globally and largely considering Chinese market.
 - vii. TAF has been exporting significant volume to China, India, Indonesia, Pakistan and other countries. However, TAF has faced significant loss of market in global markets in general and China and Indonesia in particular.
 - viii. TAF's total exports in 2015 were 108 KT which dropped to 98 KT in 2018 and to 90 KT in 2022. The loss is largely due to Chinese producers expanding capacities in last few years and global shrinking in demand.
 - ix. Due to loss in the Chinese market, TAF reduced its prices to India. The import price from Thailand declined more than the decline in the cost. TAF has sold the product at lower price in Indian market compared to exports to other countries.

- x. Chinese producers earlier lacked capacities and relied on imports from other countries and particularly from TAF. In the recent years, Chinese producers have established significant production capacities. As a result, China has transformed from being a net importer of 139 KT in 2015 and 130 KT in 2018 to becoming a net exporter of 21 KT in 2022.
- xi. Comparing the performance during the period of investigation with 2020-21 and 2021-22 would not be appropriate as these years were impacted by Covid-19. Thus, the performance during the period of investigation must be compared with the immediate previous year.
- xii. The primary cause of injury was the influx of low-priced dumped imports, which led to price depression, undercutting, and loss of market share.
- xiii. Demand for the product declined in 2021-22 due to impact of covid 19. The demand increased in 2022-23. However, it declined in the period of investigation. The decline in demand for the product follows a cyclic trend.
- xiv. The imports from subject countries increased in 2021-22 and declined marginally in 2022-23. The imports sharply increased again in the period of investigation.
- xv. Despite having sufficient capacity to cater entire demand and even though the demand for the product declined in the period of investigation, subject imports have increased by 40% compared to previous year and by 73% compared to base year.
- xvi. The imports in relation to demand have increased from 17% in immediately preceding year to 22% in the period investigation. In relation to production has increased from 16% in immediately preceding year to 28% in the period investigation.
- xvii. On weighted average basis the landed price of subject imports is below the selling price of the applicants. Thus, subject imports are undercutting the prices of the applicants.
- xviii. The increased imports from subject countries have caused significant price undercutting and financial losses suffered during the period of investigation. The imports from subject countries have contributed directly to the injury.
- xix. In 2021-22, both cost of sales and selling price of the applicants increased, but the selling price did not rise proportionally due to the impact of the second wave of COVID-19. In 2022-23, as the cost of sales declined, the selling price also declined. The applicants were earning a reasonable profit during this period.
- xx. During the period of investigation, while the cost of sales declined by Rs [***] per MT (23 index points), the selling price dropped more significantly by Rs [***] per MT (29 index points). Therefore, the selling price of the applicants are depressed.
- xxi. The capacity of the applicants has remained constant throughout the injury period and is sufficient to cater entire demand in the country.
- xxii. The production of the applicants has declined in the period of investigation compared to previous year.
- xxiii. The domestic sales and capacity utilization of the applicants followed similar trend as production and declined significantly in the period of investigation.
- xxiv. While the demand for the product declined by 7% in the period of investigation, the domestic sales and production declined by 20% and 15% respectively.
- xxv. Towards the end of period of investigation, the plants of the applicants have operated in between 20-30% capacity utilization only.

- xxvi. The market share of subject imports sharply increased during the period of investigation as compared to previous year. On the other hand, the market share of the applicants has declined.
- xxvii. The inventories with the applicants have sharply increased in the period of investigation as compared to previous years. The dumped imports have forced the applicants to operation with significant accumulated inventory.
- xxviii. When imports nearly doubled during the period of investigation, the applicants' inventories sharply increased. The applicants have been forced to intermittently suspend its production due to low priced imports from the subject countries.
- xxix. The impact of dumped imports was at such extent that the applicants' plants were cumulatively shut down for more than 100 days in the period of investigation alone.
- xxx. The cash profit and PBIT of the applicants declined in the period of investigation compared to previous year. The profit earned by applicants during the period of investigation is lower than the profits earned in the period impacted by Covid.
- xxxi. The cash profit and PBIT declined by 94% and 75% in the period of investigation compared to previous year. As a result, the ROI of the applicants sharply declined.
- xxxii. The applicants recorded lowest ROI in the period of investigation, which is even below the fixed deposit rate offered by the bank.
- xxxiii. The applicants could have aligned their selling price with the cost, however the landed price of subject imports declined by 32 index points, forcing the applicants to sell the product at loss.
- xxxiv. On the submission that the raw material prices have impacted the performance, the increase in raw material price has equally impacted the producers from the subject countries. The other interested parties have not provided any information on the claim of the decline in the prices of raw material. There is a difference of [***] between consumption price and purchase price of acrylonitrile.
- xxxv. The cost of raw materials, utilities, consumables, salaries, primary packing, and selling overheads constitutes 90% of expenses. A decline in production due to lower exports and internal transfers cannot lead to high fixed costs which could impact the domestic market performance.
- xxxvi. On the submission of the interested parties on the statements in the annual report, while the Authority is concerned with performance and domestic operations of the domestic industry over the injury whereas the annual reports focus on the product under consideration and company over all operations.

G.3 Examination by the Authority

- 78. The Authority has taken note of various submissions made by the applicants and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same, considering the facts available on record in light of applicable laws. The injury analysis made by the Authority addresses the various submissions made by the applicants and other interested parties.
- 79. As regards the submission that the domestic industry has procured acrylonitrile at higher prices which has led to high costs, it is clarified that the Authority has relied upon information from the books of accounts. The same is consistent with the practice of the

Authority. The cost of sales is calculated based on the consumption price of the raw material for the entire year.

80. As regards submission on statements in the annual reports stating that tough competition from natural fibre and a decline in demand for the product have been a cause of injury, the Authority notes that statements made in the annual report pertain to the company's overall performance, and presents macro-economic situation relating to the products. The performance may not be representative of the performance of the product under consideration during the investigation period and how imports have impacted the domestic industry. Further, it is seen that the demand or consumption for the product has declined. However, despite the same, the imports from subject countries have increased. Thus, increase in imports at dumped price when demand has fallen itself establishes that dumping has caused material injury to the domestic industry. It is also seen that one of the applicants (Indian Acrylics Limited) has identified, in its annual report, low priced imports as a cause of injury. It is also relevant that the Authority is concerned with margin of dumping and not reasons for dumping, while annual reports may explain these reasons for benefit of the shareholders.
81. As regards submission on an increase in the capital employed without an increase in the capacity, the Authority notes that changes in the capital employed are attributable to changes in the working capital deployed by the domestic industry. The net fixed assets deployed by the domestic industry have in fact declined. The Authority also notes that an increase in capital employed need not be limited to an increase in the capacity. The increase in the capital employed may be due to a number of factors such as a change in plant and machinery, an increase in the working capital, etc. In the present case, the capital employed has increased because the working capital of the domestic industry has increased which has led to an increase in the capital employed.
82. Regarding the submission that only Indian Acrylics Limited has incurred losses while the other two applicants have shown profits, the Authority notes that, in accordance with Rule 11(2) of the Rules, the assessment of injury must be based on the domestic industry as a whole, rather than on individual companies. Since the domestic industry has been defined to include Indian Acrylics Limited and Pasupati Acrylon Limited, the injury analysis has been conducted collectively for these two producers. Moreover, even when the arguments of the other interested are considered, it is seen from the information provided by them that both Pasupati Acrylon Limited and Vardhaman Acrylics Limited have also experienced a steep decline in profits.
83. It has been stated by the interested parties and the applicants that the performance was also impacted by Covid-19. The Authority notes that the Covid conditions prevailed during the year 2020-21 and 2021-22. The applicants too have requested that a comparison may be made with 2022-23. The Authority notes that the purpose of determining a period of investigation and the complete injury period for injury assessment is to consider the performance of the domestic industry for the entire period of four years. Therefore, the Authority has compared the performance of the domestic industry from the base year.

However, performance in the intervening period has been given due weightage in injury analysis.

Cumulative Assessment

84. Para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
85. The Authority notes that:
- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de-minimis* limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the applicants in the Indian market.
86. With regard to the contention that imports from Peru should not be cumulatively assessed due to differences in competitive conditions between imports from Peru and imports from other subject countries, the Authority notes that the information on record shows that users are procuring the product under consideration from Peru and other subject countries. It is also seen that the price of the product under consideration from Peru and other subject countries has moved in tandem. Therefore, the Authority does not find it appropriate to decumulate the imports from Peru and other subject countries.
87. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.
88. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of*

such imports on domestic producers of such articles..”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the anti-dumping rules.

H.4.1 Assessment of demand/apparent consumption

89. For determination of demand/apparent consumption of the product in India, the Authority has considered the sum of the domestic sales of the applicants and imports from subject countries and imports from other countries.

SN	Demand/Consumption	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	127	102
2	Sales of Vardhaman Acrylics Ltd.	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	72	112	101
3	Imports from subject countries	MT	11,859	14,778	14,164	19,235
4	Imports from other countries	MT	24,456	14,819	6,545	6,366
5	Total Demand in India	MT	1,02,846	91,348	1,02,414	93,366
	Trend	Index	100	89	100	91

90. It is seen that the demand for the product under consideration declined in 2021-22, increased in 2022-23, and then declined again during the period of investigation. The applicants have submitted that, given the nature of the product, its demand follows a cyclical trend. The applicants have provided information on historical demand for the product which shows that while demand has declined in certain years, it has subsequently increased in later years.

H.4.2 Volume effect of dumped imports on the domestic industry

91. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG system import data. The information is as below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
A	Imports volume					
1	Imports from subject countries	MT	11,859	14,778	14,164	19,235
2	Imports from other countries	MT	24,456	14,819	6,545	6,366

3	Total imports	MT	36,315	29,597	20,709	25,601
B	Subject Imports in relation to					
1	India consumption	%	12%	16%	14%	21%
	Trend	Indexed	100	140	120	179
2	India production	%	22%	30%	19%	34%
	Trend	Indexed	100	138	90	159
3	Total imports	%	33%	50%	68%	75%

92. It is seen that: -

- The volume of imports from subject countries increased in 2021-22, very marginally declined in 2022-23 and increased significantly again in the period of investigation.
- While the imports from subject countries have increased, the imports from other countries have declined in 2022-23, with a very marginal increase in the period of investigation.
- Despite the Indian industry having sufficient capacity to meet the entire domestic demand, and the demand for the product declined during the period of investigation, imports from the subject countries have increased.
- The imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption. The imports in relation to production and consumption increased in 2021-22, declined in 2022-23 and then increased again in the period of investigation. The imports in absolute terms and in relative terms are highest in the period of investigation.
- The share of imports from subject countries increased to 75% in total imports in India during the period of investigation from 33% in base year. The share of imports from subject countries increased throughout the injury period.

93. The applicants have submitted that there is only one producer in Thailand, namely Thai Acrylics Limited (TAF). Thailand was subjected to anti-dumping measures for more than two decades. TAF is the sole producer in Thailand, with a production capacity of 1,15,000 MT against a domestic demand of only 5,000 MT. TAF initially set up a 14,000 MT production capacity, but has continuously increased its capacity without any corresponding increase in domestic demand. From the response filed by the producer, it is seen that the domestic sales are [***] MT against the capacity of [***] MT. It is claimed that the export price from Thailand to India is consistently lower than the export price to other markets. The table below shows the export prices from Thailand to India and the rest of the world:

SN	Month	UOM	India	Rest of the world	Difference
1	Apr-23	₹/MT	1,73,173	1,79,791	6618
2	May-23	₹/MT	1,66,467	1,77,866	11399
3	Jun-23	₹/MT	1,48,501	1,63,315	14814
4	Jul-23	₹/MT	1,31,911	1,49,934	18024
5	Aug-23	₹/MT	1,32,606	1,41,138	8532
6	Sep-23	₹/MT	1,30,892	1,43,469	12577

7	Oct-23	₹/MT	1,38,971	1,43,999	5028
8	Nov-23	₹/MT	1,48,012	1,58,205	10193
9	Dec-23	₹/MT	1,37,731	1,51,146	13416
10	Jan-24	₹/MT	1,39,831	1,48,796	8964
11	Feb-24	₹/MT	1,46,092	1,51,754	5662
12	Mar-24	₹/MT	1,44,624	1,51,787	7163

Source: Trade map data provided by the applicants' HS code 550130 and 550330. (Written submissions)

94. It has also been submitted that China was earlier a net importer of the product. However, Chinese producers have established significant production capacities. As a result, China has transitioned from being a net importer to a net exporter. The volume of imports by China declined from 139 KT in 2015 to 22 KT in 2022.

H.4.3 Price effect of dumped imports on the domestic industry

95. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries with reference to the price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

96. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of dumped imports from the subject countries work out as follows:
97. The table below shows the price undercutting with respect to imports from Thailand.

SN	Thailand	Import volume in MT	Selling price ₹/MT	Landed price ₹/MT	Undercutting	
					₹/MT	%
1	P11	***	***	1,31,585	***	***
2	P12	***	***	1,58,461	***	***
3	P21	-	***	-	-	-
4	P22	-	***	-	-	-
5	Total	12,144	***	1,58,415	***	(0-5)%

98. It is also seen that the participating producer from Thailand has reported post-invoicing discounts in its questionnaire response. However, the DG System transaction-wise data does not take into account these discounts. Since there is only one producer in the case of

Thailand, the Authority proposes to determine price undercutting for Thailand based on the response filed. The undercutting is shown below.

SN	Thailand	Import volume in MT	Selling price ₹/MT	Landed price ₹/MT	Undercutting	
					₹/MT	%
1	P11	***	***	***	***	***
2	P12	***	***	***	***	***
3	P21	***	***	***	***	***
4	P22	***	***	***	***	***
5	Total	***	***	***	***	0-5%

99. The table below shows undercutting for China and Peru.

SN	China	Import volume in MT	Selling price ₹/MT	Landed price ₹/MT	Undercutting	
					₹/MT	%
1	P11	-	-	-	-	0%
2	P12	5,353	***	1,57,153	***	***
3	P21	-	-	-	-	0%
4	P22	-	-	-	-	0%
5	Total	5,353	***	1,57,153	***	(0-5)%

SN	Peru	Import volume in MT	Selling price ₹/MT	Landed price ₹/MT	Undercutting	
					₹/MT	%
1	P11	138	***	77,688	***	***
2	P12	1,600	***	1,05,295	***	***
3	P21	-	-	-	-	0%
4	P22	-	-	-	-	0%
5	Total	1,737	***	1,03,106	***	50-60%

100. The table below shows the weighted average price undercutting for the subject countries as a whole.

SN	Total	Import volume in MT	Selling price ₹/MT	Landed price ₹/MT	Undercutting	
					₹/MT	%
1	P11	***	***	***	***	***
2	P12	***	***	***	***	***
3	P21	-	-	-	-	-
4	P22	-	-	-	-	-
	Total	***	***	***	***	0-10%

101. It is seen that the weighted average landed price of the dumped imports from the subject countries as a whole is below the selling price of the domestic industry.

b. Price suppression/depression

102. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	158	137	116
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	145	132	104

103. It is seen that:

- In 2021-22, the cost of sales and the selling price of the applicants increased, but the selling price did not rise in tandem with the cost of sales. It has been stated that this was due to the impact of COVID-19.
- In 2022-23, while the cost of sales declined by 21 index points, the selling price of the applicants declined by only 13 index points. The domestic industry was able to earn a reasonable profit in the period.
- In the period of investigation, the cost of sales declined by 21 index points, but the selling price declined by 28 index points. The domestic industry has suffered losses in this period.
- When seen over the injury period, the domestic industry's cost has increased by 16 index points but the selling price has increased by 4 index points.

104. It is seen that when seen over the injury period, the domestic industry's prices are suppressed in the period of investigation.

H.4.4 Economic parameters of the domestic industry.

105. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions:

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sale.

106. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the applicants over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Trend	Index	100	100	100	100
3	Production	MT	***	***	***	***
4	Trend	Index	100	90	133	102
5	Capacity utilization	%	***	***	***	***
6	Trend	Index	100	90	133	102
7	Domestic sales	MT	***	***	***	***
8	Trend	Index	100	101	127	102
9	Demand	MT	1,03,129	91,845	1,03,275	94,803
10	Trend	Index	100	89	100	92

107. It is seen that:

- The capacity with the domestic industry has remained constant throughout the investigation period. It is seen that the capacity with the Indian industry is sufficient to cater entire demand in the country.
- The production and capacity utilisation of the domestic industry declined in 2021-22, but increased in 2022-23. The production and capacity utilization has declined once again in the period of investigation.
- The domestic sales of the domestic industry increased marginally in 2021-22 and increased again in 2022-23. However, the sales of the domestic industry have declined in the period of investigation.
- While the demand for the product under consideration has declined by 8% in the period of investigation, production and the domestic sales declined by 30% and 24% respectively.
- As per the information on record, the domestic industry was forced to shut down its operation for more than [***] days during the period of investigation because of dumping of the product.

b. Market share.

108. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, Vardhaman Acrylic Limited and subject and non-subject countries.

SN	Market share of	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
2	Trend	Index	100	113	127	113
3	Vardhaman Acrylic Limited	%	***	***	***	***
4	Trend	Index	100	81	112	111
5	Indian industry	%	65%	68%	80%	73%
6	Trend	Index	100	104	123	112
7	Imports from subject countries	%	12%	16%	14%	21%
8	Trend	Index	100	140	120	179
9	Imports from Other countries	%	24%	16%	6%	7%

10	Trend	Index	100	68	27	29
----	-------	-------	-----	----	----	----

109. It is seen that the market share of the domestic industry increased in 2021-22 and 2022-23. The market share has however declined in the period of investigation as compared to the immediately preceding year. The market share of Indian industry as a whole increased till 2022-23, but has declined in the period of investigation. The market of subject imports has increased in 2021-22, declined in 2022-23 but increased sharply in the period of investigation.

c. Inventories.

110. The inventory position with the applicants over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Opening stock	MT	***	***	***	***
2	Closing stock	MT	***	***	***	***
3	Average stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	60	57	68

111. It is seen that the average inventory with the domestic industry declined in 2021-22 and further declined in 2022-23. The average inventory increased in the period of investigation. The inventory level has declined over the injury period with curtailed production by the domestic industry.

d. Profitability, cash profits and return on investment.

112. The performance of the applicants has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Index	100	5	82	-21
3	Profit/loss	₹ Lacs	***	***	***	***
4	Trend	Index	100	5	104	-21
5	Cash profit per unit	₹/MT	***	***	***	***
6	Trend	Index	100	16	79	-10
7	Cash profit	₹ Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Index	100	16	100	-11
9	PBIT per unit	₹ /MT	***	***	***	***
10	Trend	Index	100	34	79	18
11	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
12	Trend	Index	100	35	100	19
13	ROCE	%	***	***	***	***
14	Trend	Index	100	35	81	15

113. It is seen that:

- a. The profits of the domestic industry sharply declined in 2021-22 when subject imports increased despite decline in demand. Profits increased in 2022-23 when the demand increased, but subject imports remained at similar level. The domestic industry was earning profits till 2022-23.
- b. With significant increase in dumped imports in the period of investigation, despite decline in demand, the profits of the domestic industry declined sharply and domestic industry suffered financial losses.
- c. The cash profit and PBIT followed the same trend as that of profit before tax. Cash profit and PBIT declined in 2021-22, increased in 2022-23 and then steeply declined in the period of investigation. The domestic industry is operating with cash losses and has the lowest PBIT in the period of investigation.
- d. The return on capital investment declined sharply in the period of investigation as compared to the previous year. The domestic industry has recorded their lowest return during the period of investigation.

e. Employment, wages and productivity

114. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
2	Trend	Index	100	96	98	98
3	Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
4	Trend	Index	100	116	123	113
5	Productivity per day	MT	***	***	***	***
6	Trend	Index	100	90	133	102
7	Productivity per employee	MT	***	***	***	***
8	Trend	Index	100	94	136	105

115. It is seen that:

- a. The number of employees with the domestic industry declined in 2021-22 but increased in 2022-23. However, the number of employees marginally declined in the period of investigation. On overall basis, the number of employees remained at similar levels.
- b. The productivity declined in 2021-22, increased in 2022-23 and then declined in the period of investigation. The trends in productivity are same as trends in production.
- c. Wages increased in 2021-22, further increased in 2022-23 but declined in the period of investigation.
- d. The domestic industry submitted that these parameters are dependent on several other parameters, and do not reflect the direct impact of dumping on the industry.

f. Growth

116. The growth of the applicants in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per given table below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	POI
1	Production	Y/Y	-10%	47%	-23%
2	Capacity utilization	Y/Y	-10%	47%	-23%
3	Domestic sales volume	Y/Y	1%	26%	-19%
4	Inventory	Y/Y	-40%	-6%	19%
5	Profit per unit	Y/Y	-95%	1513%	-125%
6	PBIT per unit	Y/Y	-66%	130%	-77%
7	Cash profit per unit	Y/Y	-84%	386%	-113%
8	Return on capital employed	Y/Y	-65%	134%	-81%

117. It is seen that the domestic industry has recorded negative growth in volume and price parameters in the period of investigation. With increase in low priced imports from subject countries in the POI, the growth of the domestic industry in production, domestic sales, capacity utilization, profit per unit, PBIT per unit, cash profit per unit and return on capital employed was negative.

g. Magnitude of dumping margin

118. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumping into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment.

119. The performance of the domestic industry was adversely impacted on both volume and price accounts. As the import price from subject countries declined, the domestic industry suffered from losses, cash losses, and low return on investment. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been significantly impacted.

i. Factors affecting price

120. Examination of DG system import data showed that the weighted average import price from subject countries is below the selling price of the domestic industry. With increase in the volume of imports from subject countries, the domestic industry has been unable to change its selling price commensurate with the changes in the cost of sales. There is significant price effect of the imports due to low priced imports from subject countries. Therefore, the imports from subject countries have affected the prices of the applicants.

j. Conclusion on injury

121. Based on the above, the following conclusions have been drawn.
- Volume of imports from subject countries has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.

- b. Despite having sufficient capacities with the domestic industry, the imports from subject countries have increased.
- c. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry has not been able to move its prices in line with the movement in the cost of production and therefore, domestic industry's prices are depressed.
- d. Capacity of the domestic industry remained constant over the injury period. Production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry have declined.
- e. Due to dumped imports, the domestic industry was forced to shut down its operation.
- f. The market share of subject imports has increased in the period of investigation while that of the domestic industry have declined. The market share of Indian industry has also declined in the period of investigation.
- g. The average inventories with the domestic industry increased in the period of investigation.
- h. The domestic industry is suffering financial losses. The cash profit turned negative and profit before interest declined in the period of investigation. The domestic industry has recorded their lowest return in the period of investigation.
- i. The domestic industry has seen negative growth both in volume and price parameters.
- j. The dumping margin is positive and significant.
- k. The dumping from the subject countries has impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.
- l. The weighted average landed price of the dumped imports has declined steeply and is the only factor affecting the prices of the domestic industry.

122. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

123. The Authority is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the applicants. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the applicants.

a. Volume and price of imports from third countries

124. Imports from the subject countries constitute 74% share in the total imports into India. The imports of the subject goods from other countries are either (a) at insignificant volumes, or (b) at higher prices and hence not causing injury to the domestic industry. Further, whereas the subject imports have increased significantly, imports from other countries have steeply declined.

b. Contraction in demand

125. The demand for the product under consideration has declined in the period of investigation and over the injury period. Despite a decline in demand, the imports from subject countries have increased. Resultantly, the decline in domestic sales of the domestic industry is far

higher than the decline in demand. With the decline in demand, both domestic industry and subject imports should have shown a decline. Whereas the demand declined by around 8000 MT, the subject imports increased by 6000 MT and the Indian industry lost sales by 14,000 MT. Even other domestic producers also lost sales volumes. Hence, decline in demand could not have been the principal cause of injury to the domestic industry.

c. Change in the pattern of consumption

126. There has been no known material change in the pattern of consumption for the product under consideration.

d. Trade restrictive practices

127. No interested parties have provided any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority notes that trade restrictive practice has not caused injury to the domestic industry.

e. Development of technology

128. The Authority notes that the technology for the production of the subject goods has not undergone any change. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance

129. The Authority has considered the injury data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

g. Performance of other products

130. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury.

h. Causal link between dumping and injury.

131. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.

- a. Imports from subject countries are at dumped prices.
- b. The landed price of imports is below the cost and price of the domestic industry.
- c. The positive price undercutting and price suppression has adversely impacted the profits, cash profits and return on investment of the applicants.
- d. As a result of low-priced imports, the domestic industry's profitability turned into losses during the period of investigation.
- e. With an increase in dumped imports, the domestic sales of the domestic industry have declined. Consequently, production and market share of the domestic industry has declined.

132. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

133. The Authority has determined the non-injurious price for the applicants on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the applicants. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and the best utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax, and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
134. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared on PCN basis. The weighted average of the injury margin determined for producers/exporters by the Authority is provided in the table below:

SN	Particulars	NIP USD/MT	Landed price USD/MT	Injury margin USD/MT	Injury margin %	Injury margin range
A	China					
1	Jilin Jimont Acrylic Fiber Co., Ltd, Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd and Jilin Chemical Fiber Group I/E Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10%
2	Any other producer	***	***	***	***	10-20%
B	Thailand					
1	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd	***	***	***	***	0-10%
2	Any other producer	***	***	***	***	10-20%
C	Peru					
1	Any producer	***	***	***	***	110-120%

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1 Submissions made by the other interested parties

135. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- Applicants employ 1,300 to 1,500 people while 30–40 spinning mills employ 40,000–50,000 workers in semi-organized sectors and 7,500–10,000 in MSMEs/SMEs

- producing sweaters and shawls, employing around 10 lakh people. These industries will be adversely impacted by the imposition of measures.
- ii. The past duties had allowed the applicant to earn super abnormal profits.
 - iii. The past duties on the product have historically increased yarn prices, making India's downstream industries like sweater/shawl production uncompetitive compared to countries like China, Vietnam, and Bangladesh. This has impacted both domestic and export market growth. Imposition of anti-dumping duties would repeat past challenges.
 - iv. Vardhaman is also into yarn production and the users can never compete with the yarn sold by the applicants if anti-dumping duties are imposed. Users will face supply issue since the applicants are into downstream product production.
 - v. The product under consideration is the main raw material in Yarn. The product constitutes 60-70% of the cost of the downstream users and the anti-dumping duty sought in the range of 5-80% will impact in the range of 4-48%. Users will shift to imported yarn or finished good.
 - vi. The domestic industry for attempting to block imports of specialty grades not produced domestically. They argued that such actions limit consumer choice and increase input costs for downstream industries.
 - vii. Imposition of anti-dumping duties would unfairly penalize Indian users who rely on high-quality or specialized acrylic fibre from these sources.
 - viii. The imposition of duty will lead to increase in the cost of raw materials.
 - ix. The downstream industry provides 1 million jobs directly and indirectly.
 - x. The anti-dumping duty will not help the Indian industry as the local fibre prices will be increased to match the imported price including anti-dumping duty. This will lead to increase in yarn prices thus making fabric producers in-competitive in local and international market.
 - xi. Ministry of Textiles also recognized that anti-dumping duty on acrylic fibre is adversely affecting the acrylic yarn value chain and apparently recommended to the Ministry of Finance to revoke such duties.
 - xii. Anti-dumping duty on acrylic fibre is going to dry up the spinning mills and also their downstream users employing more than 10 Lakh people

J.2 Submissions made by the applicants

136. The applicants have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. There is no evidence on record to suggest that the imposition of duties has adversely impacted the user's industry despite the duties being imposed for more than 2 decades. The impact of anti-dumping duty on end use product is miniscule.
 - ii. India is self-reliant in the product, with applicants having sufficient capacity to meet domestic demand.
 - iii. The import value from subject countries in the period of investigation alone is Rs 310 cr. The import value over the injury period is more than Rs 1000 cr.
 - iv. In 2021-22, import prices were around Rs 2,00,000 per MT, which have now declined to Rs 1,50,000 per MT. The past high import prices did not affect the user industry. Thus, it is very unlikely that the anti-dumping measures will impact them.

- v. Producers from the subject countries operate solely on revenue maximization. They may switch markets for better prices. On the other hand, the applicants, being in the same national territory as consumers, will prioritize the consumer's interest.
- vi. The applicants have undertaken various social activities from the profit earned from this business. If the duties are not imposed, profits of the applicants will decline affecting all the initiatives taken by the applicants. Anti-dumping duty is in the interest of producers, consumers and public at large.
- vii. Anti-dumping measures is not a protection but a tool to address the unfair pricing in the Indian market. Rather, the purpose of anti-dumping duty is to prevent unfair trade practice from producer's exporters from subject countries.
- viii. On the submission that the spinning mills employ large number of people, the spinning mills are not working in acrylic fibre exclusively. Acrylic fibre is only one of the products for them.
- ix. Import prices from Thailand fluctuated significantly over the injury period, allowing consumers to swiftly react to price changes. In contrast, the price changes due to proposed ADD would be insignificant, and consumers could easily pass on this increase in price.
- x. The sale price of yarn moved in tandem with the purchase price of fibre, indicates that the consumers have the ability to align their sales prices accordingly.
- xi. The domestic industry operated with idle capacities; thus, the users won't face supply disruption. The domestic industry would be able to supply to the extent of full import volume, if operated at 88% capacity.
- xii. There are various other sources of supply in addition to the domestic industry. The domestic industry doesn't seek import prohibition but fair, un-dumped prices, ensuring no supply shortage for consumers.
- xiii. Vardhman Acrylic Ltd. (VAL), which produces fibre, operates independently from Vardhman Textiles Ltd. (VTL), which consumes fibre. The sales made by VAL to VTL are at arm's length and at market price. VTL's market position remains competitive with other yarn consumers. Fibre and yarn production are distinct activities within the Group. There is no reason why group should resort to cross subsidization of fibre to the yarn company.
- xiv. An 80% duty on Peru does not mean an 80% increase in fibre prices. Even a 5% duty wouldn't have a 4% impact on yarn prices, considering yarn constitutes 60% of the cost.
- xv. Financial results of Ganga Agrowools Limited shows that consumers can absorb a 3-4% cost increase. Historically, yarn and fibre prices move together. Yarn consumers would pass fibre price to the downstream product.
- xvi. Yarn costs form a 60-80% in the downstream products; hence a 3-4% increase in yarn prices would result in about a 2% increase in garment prices, easily absorbed by consumers.
- xvii. While imports of downstream products attract a 20% basic customs duty, Acrylic Fibre has only a 5% duty. The downstream industries are already protected through basic custom duty.
- xviii. Even if the basic custom duty on yarn is reduced, yarn industry would be able to absorb the same.

- xix. The downstream industry hasn't shown any adverse impacts of the anti-dumping duty or the inability to pass on price increase. The impact of anti-dumping duty is miniscule.
- xx. Recommendations of the Ministry of Textiles which highlight the reasons for removal of anti-dumping measures on acrylic fibre are not in public domain.
- xxi. Ministry of Textiles gave recommendations without seeking views of all the stakeholders as no inputs were sought from the applicants. The domestic industry was deprived of clarifying these facts to Ministry of Textiles, and the MOT was misled by the interested parties.
- xxii. Examination of the financial statements of Ganga Agrowool Limited (a major user) over a longer period shows that its performance has remained consistent over the years. There has been no material improvement in the performance post the removal of measures which affirms that the duties did not have any material impact on the performance.
- xxiii. Other than India, the major consuming markets for acrylic fibre are China and Turkey and the price in these countries are far higher than the price in the Indian market. The consumers in these countries are evidently getting acrylic fibre at a price far higher than Indian consumers. The consumers in these countries have however not become incompetent. The table below shows the average import price of Acrylic Fibre in major countries. It is thus evident that the prices of acrylic fibre are low only in the Indian market.

SN	Year	UOM	Import price into India	Import price into Turkey	Import price into China	Import price global (other than India)
1	2014	Rs/MT	1,69,105	1,63,807	2,01,924	1,90,693
2	2015	Rs/MT	1,41,253	1,42,603	1,72,956	1,70,776
3	2016	Rs/MT	1,15,916	1,36,173	1,47,298	1,50,961
4	2017	Rs/MT	1,34,838	1,47,289	1,54,009	1,62,668
5	2018	Rs/MT	1,68,790	1,73,104	1,96,006	2,02,026
6	2019	Rs/MT	1,46,519	1,58,652	1,99,129	1,96,632
7	2020	Rs/MT	1,23,714	1,31,966	1,92,701	1,83,435
8	2021	Rs/MT	1,79,550	2,17,782	2,27,468	2,38,561
9	2022	Rs/MT	2,20,416	2,45,933	2,92,354	2,72,811
10	2023	Rs/MT	1,71,674	1,90,181	2,41,091	2,42,609
11	2024	Rs/MT	1,68,247	1,75,038	2,60,840	2,47,472

J.3 Examination by the Authority

137. The Authority considered whether imposition of the proposed anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on

records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.

138. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.
139. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
140. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. Apart from the applicants, participating users have filed the questionnaire. However, only applicants have quantified the impact of proposed measures. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping measures may lead to increase in the prices. However, there was significant decline in the prices of the product in last three years. The prices would still remain materially below the past prices. Further, anti-dumping duty ensures that a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
141. As regards submission that past duties on the product led to increase in yarn prices, the Authority notes that there is no information on record to suggest that there was any adverse impact on the downstream industry as a result of the previously duties in force. The domestic industry submitted that the yarn prices move in tandem with the fibre prices, and therefore impact should be determined on the eventual end product. In so far as eventual end product is concerned, the domestic industry submitted that the impact of proposed anti-dumping on eventual end product would be quite insignificant.

SN	Particulars		Value
1	Original Sweater Price Rs per piece	A	600
2	Share of acrylic fibre in sweater	B	30%
3	Increase in price of acrylic fibre price	C	6%
4	Import price of acrylic fibre	D	154
5	Increase in cost of acrylic fibre in sweater	$E = B \times C \times D$	2.77
6	Impact of increase in cost	$F = E/A$	0.46%

142. It has been stated by the users that they operate on wafer-thin margins. However, examination of the information filed by the user in their user questionnaire response shows

that the users have reported adequate profits. While the users have reported profits, the domestic industry has suffered losses.

143. As regards submission that the imposition of anti-dumping duties would unfairly penalize Indian users who rely on high-quality or specialized acrylic fibre from these sources. The Authority notes that the anti-dumping measures will not restrict imports from the subject countries in any manner. Further, apart from the domestic industry and subject countries, there are imports from other countries as well. The Indian industry has the capacity to meet the entire demand in India. Even if the users continue to source the product from the subject countries, they are free to import after payment of anti-dumping duties. Moreover, the imposition of duties would not lead to a supply shortage to the user's industry.
144. The other interested parties have contended that Ministry of Textile had recommended withdrawal of anti-dumping duties because the acrylic yarn industry was suffering. The Authority notes that the documents in public domain relied on by the users merely state that the removal was recommended and it does not highlight the reason for such rejection. The duties were removed with an expectation that acrylic fibre would be available at internationally competitive prices. The report nowhere states that the yarn industry was adversely getting affected. It is seen that the users have not provided any information to establish the adverse impact of the past duties on the downstream industry. It has also not been shown how the removal of measures has benefited the downstream industry.
145. The Authority also notes that the applicant has provided information on acrylic fibre prices in major consumption markets such as Turkey and China. It is seen that the prices in these markets are significantly higher than the prices in the Indian market. It is also seen that the demand for acrylic fibre has not recorded any material growth post the withdrawal of measures. It is therefore not established how the imposition of anti-dumping measures will result in Indian market prices becoming uncompetitive in comparison to international prices.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Submissions by other interested parties

146. The following comments to the disclosure statement have been filed by the other interested parties.
- a. Exclusion of Vardhaman Acrylic Limited required revised injury statement to be submitted by the applicant, and demonstration that the remaining applicant satisfies the standing requirement.
 - b. Imports made by the related entity of Vardhman Acrylics Limited must be excluded from the analysis of volume effect as it leads to a typical case of self-inflicting injury.
 - c. After the exclusion of Vardhman Acrylics Limited from the ambit of the domestic industry, the Authority is obligated to disclose such revisions to all interested parties in a timely manner and provide them with adequate opportunity for comments.
 - d. The Authority has considered Turkey under second methodology for determining the normal value is incorrect as the Authority failed to exhaust the first methodology of price or constructed value in the market economy third country.

- e. China and Thailand have well-established manufacturing base for acrylic fibre production, comparable industrial applications and similar technological processes for production of acrylic fibre containing at least 90% acrylonitrile, reinforcing suitability of Thailand as market economy third country. The installed capacity and production scale of Thai Acrylic Fibre Co. Ltd is comparable to that of Chinese producers including Jilin Group.
- f. Various products have been excluded from the scope of the product under consideration and entire export of Acrylic Fibre from Turkey cannot be considered for determining normal value for China.
- g. The cyclic nature of demand confirms that the slight fall in the profits in the period of investigation was natural and not due to alleged dumped imports.
- h. There is no analysis which shows the fall in demand during the period of investigation has not had any impact on the volume parameters and price performance of the domestic industry.
- i. While dumping and injury margin in case of Thailand and China PR is provided in the range of 0-50% and 0-20% respectively, the same is in the range of 110-120% and 210-220% in case of Peru. Thereafter, cumulation of imports to do the injury analysis can give distorting results.
- j. Subject product constitutes around 60–70% of the downstream users' cost, and imposition of anti-dumping duty would impose undue hardship on these users. Impact has been assessed using the example of sweaters, but the impact should be calculated on yarn makers and spinners, where duty would have a much higher effect (10–15%) compared to the 0.46% projected in the disclosure.
- k. Comparison made between prices in India, China, and Turkey is incorrect. The Indian prices mentioned are only for basic fibre, while the prices from China and Turkey include higher-value products and freight, which makes the comparison unfair and misleading.
- l. The imported product from Peru is materially and functionally distinct from the like article due to quality differences. The products do not compete with the like article in India.
- m. Reliance of previous investigation must be rejected as each investigation must be assessed based on the specific facts and evidence on record.
- n. Classification under the same HS code alone does not establish that the imported product is a like article to the domestic industry. Imports of inferior made under product classification will lead to misclassification of the product.
- o. Producer from Peru has fully cooperated with the Authority and denial of separate duty is unjustified.
- p. The Authority has not disclosed the basis or source of data used to determine the residual dumping margin. The Authority has just stated the best facts available; the lack of disclosure has impacted on the exporter's ability to understand the assumption.
- q. Despite a sharp decline in acrylonitrile prices during the period of investigation, the domestic industry's cost structure did not reduce proportionally, showing inefficiency. This may be due to raw materials purchased at higher prices before the market declined.
- r. There is a significant difference in the data reported in the application and the disclosure statement.
- s. The anti-dumping duty will increase the cost for the downstream industry and Acrylic Fibre will not be available at international prices.
- t. TAF uses advanced technology and producers in India use different technology. They do not compete with interest.

K.2 Submissions by the domestic industry

147. The following comments to the disclosure statement have been filed by the domestic industry

- a. Authority has decided not to consider certain grades identified by users inside the scope of the product under consideration. The applicant requests to consider these products within the product scope otherwise the effectiveness of the proposed duties would be undermined, and domestic industries would continue to suffer.
- b. The related entity of Vardhman Acrylics Limited has imported the product for captive purpose and is not engaged in the commercial trading of the product.
- c. Vardhman Acrylic Limited was unaware that its affiliated company had imported the product as these operate as two independent legal entities.
- d. Given the low volume of product imported by Vardhman Textiles Limited, the applicants request the Authority to include Vardhman Acrylics Limited within the scope of the domestic industry.
- e. For determining sales value ratio for non-injurious price, captive consumption should also be considered for allocating.
- f. The entire Acrylonitrile requirement was imported, and if the product was used for domestic market, custom duty would apply. In calculation of non-injurious price for domestic market, a notional customs duty should be added. The Authority is requested to clarify if it has been considered.
- g. The applicants request clarification if expenses incurred related to buyer credit and letters of credit are considered as bank charges and not as interest cost. Interest-bearing creditors should not be considered as part of current liabilities for calculation of capital employed since interest is paid separately.
- h. The amounts held as fixed deposits against trade payables, though shown as fixed deposits in the balance sheet, should be treated as current assets, as they are part of working capital requirements.
- i. Insurance income should not be considered for the period of investigation data as the income pertained to a policy from 1998–2013 that matured in 2023, with no premium expenses charged in recent years.
- j. The applicants note that other raw material and utility costs appear to have been normated using the lowest values from the injury period, rather than actual period of investigation costs. This contradicts Para 4(i) of Annexure III, which requires use of period of investigation prices.
- k. The plants of Indian Acrylic Limited are completely depreciated, and the depreciation cost is less than 1% part of the overall cost of the producer. 22% return on capital employed is inadequate as it amounts to less than 5% profit on cost, which makes it lower than the profits on normal value that DGTR allows. Authority may consider 5% profit for NIP purpose.
- l. The production reported by the applicant has been increased by the Authority likely due to the inclusion of “Acrylic waste” in total production. Acrylic waste has been treated as other income. This results in a dual impact on per unit cost.
- m. The Indian acrylic fibre industry is fully self-reliant with sufficient capacity to meet domestic demand.
- n. The performance of the downstream industry has remained stable even after the removal of anti-dumping duties in 2021.
- o. Imports of acrylic yarn are negligible and have not increased, showing no significant competition from imports.
- p. Exports of yarn have also remained steady, with no major growth post-duty removal, and producers can still import fibre duty-free under advance authorization. The removal of duties has not led to increased demand or improved performance in the downstream sector.

K.3 Examination by the Authority

148. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
149. The interested parties have commented that a cumulative assessment of injury is inappropriate for Thailand due to significant variations in the dumping and injury margins across the subject countries ranging from 0-5% for Thailand and China PR to 210-220% for Peru. The Authority notes that the goods imported from subject countries are technically and commercially substitutable with the like article produced by the domestic industry, and that consumers can use them interchangeably. The fact that the users have imported the product under consideration interchangeably within the subject countries establishes similarity in conditions of competition across the subject countries. Therefore, there is no need for a separate injury determination for imports from Thailand.
150. On the comments of other interested parties on normal value determination, the Authority has already examined that the level of development of China and Thailand for the product under consideration are not comparable. While the interested parties claimed that level of development are similar, no evidence was provided in support of the contention during the entire investigation. The mere fact that installed capacity and production scale of the producer in Thailand is comparable with the participating producer from China, is not sufficient. While the data on record shows that the producer in Thailand is significantly export oriented, the same cannot be held for the producer in China as far as the product is concerned. Therefore, it cannot be considered based on the facts of the case presented by the interested parties, that Thailand is an appropriate market economy third country in the present investigation. It has been contended that the entire imports from Turkey cannot be considered for normal value as it contains both the product under consideration and the excluded product, it is clarified that the Authority has considered only the data for the product under consideration and on PCN basis based on DG System Transaction wise data.
151. The interested parties have filed comments on the need for submitting the revised injury information by the applicants post exclusion of Vardhaman Acrylic Limited from the scope of the domestic industry, the Authority notes that the disclosure statement is based on revised injury data and the interested parties were given opportunity to defend their interests and make submissions. When Vardhaman Acrylic Limited has already been considered as ineligible domestic producer under Rule 2(b), the other two producers are the only eligible domestic producers and satisfy the requirement of standing. With regard to the allegation of self-inflicted injury due to the imports made by a related party of Vardhaman, the Authority notes that any such possibility stands addressed by not including Vardhaman as part of the

domestic industry. Injury assessment has been done by the Authority based on the parameters of the other two domestic producers which constitute domestic industry in terms or Rule 2(b).

152. As regards the comment that the cyclic nature of demand confirms that the decline in profits in the period of investigation was natural and not due to alleged dumped imports, the Authority notes that while the demand had declined, the imports from the subject countries had increased. The increase in the imports from the subject countries was particularly driven by the fact that these imports were at dumped prices. The investigation has shown that the imports are below the cost and price of the domestic industry. Had these low-priced imports not increased from the subject countries, there was no reason for the domestic industry to reduce its prices. The increase in the imports below the cost of sales and selling price establishes the direct relationship between imports and injury to the domestic industry.
153. With regard to the claim that the impact of duty on yarn makers and spinners would be higher ranging from 10% to 15, the Authority notes that acrylic fibre is an intermediate raw material used in manufacturing acrylic yarn, which in turn is used in downstream products such as apparel, blankets, and other textile applications. The applicants have contended that the demand for acrylic yarn closely aligns with that for acrylic fibre. Imports of acrylic yarn are negligible compared to domestic demand, with the highest import volume in the past decade reaching only 7,000 MT. The downstream users have not established that they do not pass on the increase or reduction in acrylic fibre price in their yarn prices. The assertion that the impact on yarn producers would be as high as 10-15% is neither supported by verified costing data nor any supporting documentary evidence. The Authority also notes that the imposition of anti-dumping duty is not aimed at increasing prices beyond non-injurious levels but only at offsetting the impact of unfair trade and restoring a level playing field. It is also noted that the Authority has found a significantly high dumping margin in the present investigation which shows that the producers in the subject countries are not exporting the product to the Indian market at global prices.
154. On the submission that comparison made between prevailing price in India, China and Turkey is incorrect, the analysis has been made based on the data for the dedicated code which includes both basic fibre and the speciality fibres. The interested parties had also claimed that they are importing speciality fibres from China and Thailand. Therefore, it cannot be considered that the entire import into India of the dedicated code represents basic fibre. The data considered is on CIF basis which are on comparable basis for all countries. The Authority also clarifies that price difference in the Indian market and the other market is not the sole factor considered in arriving at the conclusions in the final findings.
155. As regards the submissions on exclusion of sub-standard Acrylic Fibre from the scope of product under consideration, the Authority notes that the issue has already been examined in detail in disclosure statement and the Authority does not find it necessary to examine the issue in detail. The participating exporter from Peru has also not provided any new information and evidence.

156. The interested parties have claimed that the Authority did not disclose the basis or source of data used to determine the residual dumping margins and that the reference to “best facts available” is insufficient. The Authority notes that the determination of residual dumping margins is in accordance with Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. Where any interested party fails to provide the necessary information or impedes the investigation, the Authority is required to base its findings on the best facts available. The Authority had sent various communications to the producer seeking additional information/clarifications, and verification documents but the producer did not provide the relevant information and documents. Sudamericana De Fibras S.A. has failed to co-operate to the best of its ability. When the data of the producer could not be verified, the Authority had no option but to choose to apply facts available.
157. As regards the comments on raw material procurement at higher prices and the decline in the raw material price in the period of investigation, the Authority notes that the applicants have provided information with respect to both (a) consumption price and (b) purchase price of acrylonitrile. It is seen that the difference between the two prices is only [***] %. It is also seen that the raw material cost reported by the applicant is i and the producer in Thailand are comparable. Therefore, the Authority considers that the past procurement of raw material at higher prices before market decline cannot be considered as a cause of injury.
158. As regards the comment that there is difference in the import between the application and the disclosure statement, it is noted that whereas the applicant had relied on the market intelligence data in its application, for assessment of volume and value of imports, the Authority has considered the imports as per the DG System transaction wise data. Further, few product types have now been excluded. Therefore, the volume of imports and demand in India have undergone change as compared to the application. The data has also undergone a change because of the change in constituent of the domestic industry. Vardhman Acrylics Limited was included as domestic industry in the application, but the Authority has found it appropriate to exclude Vardhman Acrylics Limited in the scope of the domestic industry.
159. The applicants filed certain comments on the determination of non-injurious price and have requested disclosure if their claims have been considered. It is clarified that the claims of the applicants with regard to notional customs duty on raw material imported under advance authorization, treatment of bank charges in relation to buyer credit and letters of credit, treatment of deposits in current assets, treatment of insurance income and calculation methodology for sales value ratio have been considered by the Authority. However, the claims of the applicants with regard to no normation of other raw material and utility costs and 5% profit for non-injurious price have not been considered.

L. CONCLUSION

160. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and based on above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- a. The product under consideration in the present investigation is acrylic fibre of all types and kinds, excluding homopolymer acrylic fibre, anti-pilling acrylic fibre, Bluesign® APPROVED gel-dyed acrylic fibre, pigment (or solution) dyed acrylic, high shrinkage acrylic fibre, pigment dyed or solution dyed acrylic fibre, recycled GRS-certified acrylic, acid-dyeable acrylic, anti-bacterial acrylic, thermoregulatory acrylic, and low-abrasion acrylic fibre containing 100% acrylonitrile
- b. The product under consideration is classifiable under Chapter 55 of the Custom Tariff Act, 1975 under sub-headings 5501 30 00, 5503 30 00 and 5506 30 00. The product has also been imported under 55033090 as well.
- c. The product supplied by the applicants is a like article to the product under consideration imported from the subject countries.
- d. The imports made by Indian Acrylics Limited are not of such volume as to disqualify them from being treated as an eligible domestic industry.
- e. Vardhman Acrylic Limited has not been able to justify the reason for the imports made by its related entity and has not provided any information on whether the imported product has been consumed or sold in the domestic market or exported. Therefore, Authority has excluded the producer from the scope of the domestic industry.
- f. Indian Acrylic Limited and Pasupati Acrylon Limited constitute as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- g. Sudamericana de Fibras S.A, the producer from Peru, has not offered verification of data, information, the Authority has not granted an individual dumping margin to the producer.
- h. It is found that the producers from the subject countries have exported the product to India at dumped prices.
- i. China was earlier a net importer of the product. However, with establishing significant capacities, China has transitioned from being net importer to net exporter.
- j. Producer from Thailand has significantly high capacities [***] MT as compared to the domestic demand [***] MT for the product.
- k. Despite the Indian industry have the capacity [***] MT to cater entire demand [***] MT and the demand for the product showing a decline in the period of investigation, the imports from the subject countries have increased by 19,235 MT.
- l. The landed price of imports from subject countries is undercutting the prices of the domestic industry. The landed price has prevented the domestic industry to sell at remunerative prices and as a result, the domestic industry has suffered financial losses.
- m. The capacity with the domestic industry has remained constant throughout the investigation period. The capacity with the Indian industry is sufficient to cater entire demand in the country.
- n. With decline in the market share of the Indian industry, the production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry has materially declined in the period of investigation.
- o. The profit before tax and cash profit of the domestic industry has turned negative in the period of investigation. The profit before interest and tax and return on capital employed has sharply declined in the period of investigation.
- p. The investigation has not shown any other factor which could have caused injury to the domestic industry. The injury to the domestic industry is due to dumped imports.
- q. The imposition of anti-dumping duty will not have any adverse effect on the downstream industry.

M. RECOMMENDATION

161. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
162. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of an anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty table

SN	Heading**	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	55013000, 55033000, 55063000, 55033090.	Acrylic fibre*	China PR	Any country including China PR	Jilin Jimont Acrylic Fiber Co., Ltd, Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd and Jilin Chemical Fiber Group I/E Co., Ltd.	34	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than SN 1.	216	MT	US\$
3	-do-	-do-	Any country other than China PR, Thailand and Peru	China PR	Any	216	MT	US\$
4	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd	56	MT	US\$

5	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than SN 4	236	MT	US\$
6	-do-	-do-	Any country other than China PR, Thailand and Peru	Thailand	Any	236	MT	US\$
7	-do-	-do-	Peru	Any country including Peru	Any	920	MT	US\$
8	-do-	-do-	Any country other than China PR, Thailand and Peru	Peru	Any	920	MT	US\$

* *The scope of the product under consideration excludes acrylic fibre of following types.*

- i. *Anti-pilling acrylic fibre,*
- ii. *Acid dyeable acrylic fibre,*
- iii. *Anti-bacterial acrylic fibre,*
- iv. *Bluesign® APPROVED gel-dyed acrylic fibre,*
- v. *High shrinkage acrylic fibre,*
- vi. *Homopolymer acrylic fibre,*
- vii. *Low-abrasion acrylic fibre containing 100% acrylonitrile.*
- viii. *Pigment-dyed or solution-dyed acrylic fibre,*
- ix. *Recycled GRS-certified acrylic fibre,*
- x. *Thermoregulatory acrylic fibre.*

* * *Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.*

N. FURTHER PROCEDURE.

163. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/ Rules.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority